

प्ररूप	आईटीआर-6	भारतीय आयकर विवरणी [धारा 11 के अधीन छूट का दावा करने वाली कम्पनियों से भिन्न कंपनियों के लिए ] [आय-कर नियम, 1962 का नियम 12 देखें ] (कृपया अनुदेश देखें)	निर्धारण वर्ष					
			2	0	2	5	-	2

भाग क -साधारण		साधारण										
व्यक्तिगत सूचना	(क1)नाम					(क2) स्थायी खाता सं.						
	(क3) क्या कंपनी के नाम में कोई परिवर्तन है ?यदि हां, तो कृपया पुराना नाम दें					(क4) कारपरिट पहचान संख्या (का.प.स.) एम. सी. ए. द्वारा जारी						
	(क8) फ्लैट/द्वार/ब्लॉक सं.		(क9)परिसर/भवन/ग्राम कानाम		(क5) निगमन की तारीख (दिन/मास/वर्ष)		(क6) कारबार के प्रारंभ की तारीख(दिन/मास/वर्ष)					
					/ /		/ /					
	(क10) सड़क/मार्ग/डाक घर		(क11) क्षेत्र/अवस्थान					(क7)कंपनी का प्रकार (निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/>				
								(i) देशी कंपनी		<input type="checkbox"/>		
								(ii) विदेशी कंपनी		<input type="checkbox"/>		
	(क12) कस्बा/शहर/जिला		(क13) राज्य		(क14) पिन कोड /जिप कोड			यदि पब्लिक कंपनी है तो <input type="checkbox"/> 6, लिखें , और यदि प्राइवेट कंपनी है तो 7 लिखें (कंपनी अधिनियम की धारा 3 में यथापरिभाषित				
			(क15) देश									
	(क16 ) कार्यालय की दूरभाष संख्या एसटीडी कोड सहित / मोबाइल नं.-1			(क17) मोबाइल नं.--2			(क18) ई-मेल पता -1					
ई-मेल पता -2												
	(क19) (का)	आय का रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख (ड्रॉप डाउन का उल्लेख करें) 1. 31 अक्टूबर 2. 30 नवंबर										
फाइल करने की प्राप्ति	(क19) (कii)	1. धारा के अधीन फाइल की गई (सही का निशान लगाएं ) [कृपया अनुदेश देखें ]					<input type="checkbox"/> 139(1)-नियत तारीख को या उससे पूर्व <input type="checkbox"/> 139(4)- विलंबित, <input type="checkbox"/> 139(5)-पुनरीक्षित, <input type="checkbox"/> 92गघ- उपांतरित विवरणी, <input type="checkbox"/> 119(2)(ख) -विलम्ब की माफी के पश्चात् <input type="checkbox"/> 170क- प्राधिकरण अथवा न्यायालय द्वारा आदेश के पश्चात्					
		2. या धारा के अधीन सूचना के उत्तर में फाइल की गयी है					<input type="checkbox"/> 139(9), <input type="checkbox"/> 142(1), <input type="checkbox"/> 148, <input type="checkbox"/> 153ग					
	(ख)	यदि पुनरीक्षित/त्रुटिपूर्ण/उपांतरित है तो मूल विवरणी फाइल करने की प्राप्ति संख्या और तारीख प्रविष्ट करें (दिन/मास/वर्ष)					_/_/_					

(ग)	यदि धारा 139(9)/142(1)/148/ 153ग के अधीन नोटिस अथवा धारा 119(2)(ख) या धारा 170क में निर्दिष्ट आदेश के अधीन आदेश की प्रतिक्रिया में दायर की गई हो तो कृपया यूनिट संख्या/दस्तावेज पहचान संख्या तथा ऐसे नोटिस/आदेश की तारीख भरें, अथवा यदि धारा 92गघ के अधीन भरी गई तो अग्रिम मूल्य निर्धारण करार की तारीख भरें।	/_/_
(घ)	आवासीय प्रास्थिति(निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> निवासी <input type="checkbox"/> अनिवासी	
(ङ.)	क्या आपने धारा 115खक/115खकक/115खकख के अधीन कराधान का विकल्प चुना है ? (ई फाईलिंग उपयोगिता में ड्रापडाउन है) (घरेलू कंपनी पर लागू) यदि हां, कृपया नि.व. का वर्णन करें जिसमें उक्त विकल्प का पहली बार प्ररूप (10-झ-ख / 10-झ-ग / 10-झ घ) तथा पावती संख्या के साथ उपयोग किया गया है यदि नहीं , क्या इस वर्ष के लिए विकल्प चुना है? हां/नहीं कृपया प्ररूप 10- झ-ख/ प्ररूप 10--झ-ग/ 10-झ घदाखिल करने की तारीख और पावती संख्या दें	
(च)	क्या पिछले वर्ष 2021-2022 में कुल व्यापारवर्त /सकल प्राप्तियां 400 करोड़ रुपये से अधिक है? (हाँ / नहीं) (घरेलू कंपनी के लिए लागू होना)	
(छ)	क्या निर्धारित देश का या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र जिसके साथ भारत ने धारा 90(1) में निर्दिष्ट करार किया है या केन्द्रीय सरकार ने 90क(1) के अधीन कोई करार किया है का निवासी है ?	
(ज)	अनिवासी की दशा में, क्या भारत में स्थायी स्थापन (पी.ई.) है ? (निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं	
(झ)	अनिवासी के मामले में क्या भारत में महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति (एस.ई.पी) है ? (चिन्ह) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं कृपया विवरण प्रस्तुत करें (क) धारा 9(1)(i) के स्पष्टीकरण 2क(क) में निर्दिष्ट पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान संव्यवहार से उत्पन्न भुगतान का योग (ख) धारा 9(1)(i) के स्पष्टीकरण 2क(ख) में निर्दिष्ट भारत में उपयोगकर्ताओं की संख्या	
(ञ)	क्या निर्धारित से कम्पनियों के संबंध में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण चाहना अपेक्षित है ? यदि हां, कृपया विवरण दें . अधिनियम जिनके तहत रजिस्ट्रीकरण की आवश्यकता है	
	रजिस्ट्रीकरण की तारीख	(दिन/मास/वर्ष)
		रजिस्ट्रीकरण सं०
(ट)	क्या कंपनियों के वित्तीय विवरण कंपनी (भारतीय लेखा मानक नियम) 2015 के उपाबंध में विनिर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों के तैयार किए गए हैं/निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं	
(ठ)	क्या निर्धारित की अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में इकाई और केवल परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में आय व्युत्पन्न करता है? (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं	
(ड)	क्या निर्धारित कंपनी समापन के अधीन है (सही का निशान)/ <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं	
(ढ)	क्या एफ.आई.आई/एफ.पी.आई है? हां/नहीं यदि हां, कृपया सेबी रजिस्ट्रीकरण सं० बताएं	
(ण)	क्या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 581क में यथापरिभाषित उत्पादक कंपनी है ? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं	
(त)	क्या निर्धारित के प्रतिनिधि द्वारा यह विवरणीफाइल की जा रही है ? ( निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं यदि हां तो निम्नलिखित जानकारी दें -	
	(1) निर्धारित के प्रतिनिधि का नाम	
	(2) प्रतिनिधि की हैसियत (ड्रॉप डाउन का उल्लेख करें)	
	(3) निर्धारित के प्रतिनिधि का पता	
	(4) निर्धारित के प्रतिनिधि का स्थायी खाता संख्यांक/आधार संख्या	
(थ)	क्या आप डीपीआईआईटी द्वारा स्टार्ट अप के रूप में मान्यताप्राप्त हैं <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं	
	1 यदि हां, तो कृपया डीपीआईआईटी द्वारा आबंटित स्टार्ट अप मान्यता सं. का उल्लेख करें	
	2 क्या अन्तर मंत्रालयीय प्रमाणन बोर्ड से प्रमाणपत्र प्राप्त हो गया है <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं	
	3 यदि हां, तो प्रमाणन संख्या का उल्लेख करें	

	4	क्या डीपीआईआईटी अधिसूचना तारीख 19.02.2019 के पैरा 5 के अनुसार प्ररूप-2 में घोषणा विवरणी के फाइल किए जाने से पूर्व फाइल की गई है ?	<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
	5	यदि हां, तो प्ररूप-2 फाइल करने की तारीख का उल्लेख करें	
	(द)	विधिक अस्तित्व पहचानकर्ता (एल ई आई) ब्यौरे अनिवार्य है (यदि प्रतिदाय 50 करोड़ या अधिक हो)	
		एल ई आई संख्या	तक विधिमान्य
संपरीक्षा सूचना	(ध)	क्या आप सुक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के रूप में मान्यता प्राप्त हैं?	<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
		यदि हां, कृपया एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के अनुसार आबंटित रजिस्ट्रीकरण संख्या दें।	
	(क1)	क्या आप धारा 44कक के अनुसार लेखा रखने के लिए दायी है ? (निशान लगाएं )	<input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
	(क2)	क्या निर्धारित धारा 44कड/44ख/44खख/44खखक/44खखख/44घके अधीन ही आय की घोषणा कर रहा है निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं	
	(क2i)	यदि नहीं, वर्ष के दौरान क्या व्यवसाय की कुल बिक्री/टर्नओवर/सकल प्राप्तियां रु. 1 करोड़ से अधिक या 10 करोड़ से अधिक नहीं है? (निशान लगाएं) हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> नहीं, टर्नओवर 10 करोड़ से अधिक नहीं <input type="checkbox"/> नहीं, टर्नआवेर 10 करोड़ से अधिक <input type="checkbox"/>	
	(क2ii)	क2i पर यदि हां का चयन किया गया है, क्या समस्त प्राप्त राशि का कुल योग जिसमें बिक्री टर्नओवर अथवा सकल प्राप्तियां अथवा पूंजीगत खाते जैसे कि पूंजीगत योगदान, ऋण इत्यादि पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान राशि शामिल है, नकद में तथा गैर खाता पेयी चेक/ डी.डी उक्त राशि से पांच प्रतिशत से अधिक न हो	(क2ii) <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
	(क2iii)	क2i पर यदि हां का चयन किया गया है क्या भुगतान का कुल योग व्यय के लिए सम्मिलित राशि अथवा पूंजीगत खाता जैसे कि परिसंपत्ति अधिग्रहण, ऋण का भुगतान इत्यादि एवं गैर खाता पेयी चेक /डी.डी पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान नकद में उक्त भुगतान के पांच प्रतिशत से अधिक न हो?	(क2iii) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
	(ख)	क्या आप धारा 44कखके अधीन संपरीक्षा के लिए दायी है ? (निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं (प्रणाली को टिप्पणी : यदि टर्नओवर 10 करोड़ से अधिक हो यह स्वतः ही होना चाहिए)	
		यदि (ख) का हां चयन किया गया है तो निम्नलिखित किस शर्त के अनुसार:	
	(खा)	विक्रम, आवर्त या सकल प्राप्तियां, धारा 44कख में विनिर्दिष्ट सीमाओं से अधिक हैं। (निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/>	
	(खii)	निर्धारित धारा 44खख के अधीन आता है किंतु अनुमानित आधार पर आय प्रस्तावित नहीं कर रहा है। (निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/>	
	(खiii)	निर्धारित धारा 44खखख के अधीन आता है किंतु अनुमानित आधार पर आय प्रस्तावित नहीं कर रहा है। (निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/>	
	(खiv)	अन्य (निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/>	
	(ग)	यदि (ख) है तो क्या लेखाओं की लेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा की गई है ? (निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं	
	(1)	लेखा परीक्षा रिपोर्ट देने की तारीख का उल्लेख (दिन/मास/वर्ष )	
	(2)	लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने वाले लेखा परीक्षक का नाम	
	(3)	लेखा परीक्षक की सदस्यतासंख्या	
	(4)	लेखा परीक्षक का नाम (संपत्तिक/फर्म)	
	(5)	स्वत्वाधिकार/फर्म रजिस्ट्रीकरण सं०	
	(6)	लेखा परीक्षक (संपत्तिक/ फर्म) का स्थायी खाता संख्यांक (पैन) / आधार सं.	
	(7)	लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख	
	(8)	लेखा परीक्षा रिपोर्ट की पावती संख्या	
	(9)	यू डी आई एन	
(घ)		क्या आप धारा 92ड के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी है ? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं	

	(घii)	यदि (घझ) हां है, क्या धारा 93 अ के अधीन खातों को संपरीक्षित किया गया है	<input type="checkbox"/> हां	<input type="checkbox"/> नहीं	लेख परीक्षा प्रस्तुत करने की तारीख दि./मा./वर्ष	पावती संख्या
	(घiii)	यदि अन्य लेखा परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी, वर्णन करें क्या आपने ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, यदि हां, कृपया नीचे उल्लिखित विवरण प्रदान करें [कृपया अनुदेश 5 देखें] <input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		क्र. सं.	अनुभाग कोड		तारीख (दिन/मास/वर्ष)	पावती संख्या
धारण स्थिति	ड.	यदि आयकर अधिनियम से भिन्न किसी अन्य अधिनियम, के अधीन संपरीक्षा प्रतिवेदन देने के लिए दायी है, अधिनियम, धारा और संपरीक्षा प्रतिवेदन देने की तारीख का अभिकथन करें ?				
		अधिनियम और धारा	(दिन/मास/वर्ष)	अधिनियम और धारा	(दिन/मास/वर्ष)	
	(क)	कंपनी का स्वरूप (यदि नियंत्रित कंपनी है तो 1 चयन करें, यदि समानुंगी कंपनी है तो 2 चयन करें), यदि दोनों है तो 3 चयन करें, यदि कोई अन्य है तो 4 चयन करें				
	(ख)	यदि समानुंगी कंपनी है तो, का उल्लेख करें				
		पैन	धारक कंपनी का नाम	धारक कंपनी का पता	धारित शेषों का प्रतिशत	
	(ग)	यदि धारक कंपनी है तो समानुंगी कंपनी का उल्लेख करें				
		पैन	समानुंगी कंपनी का नाम	समानुंगी कंपनी का पता	धारित शेषों का प्रतिशत	
कारबार संगठन	(क)	समामेलक कंपनी की दशा में, समामेलित कंपनी का उल्लेख करें				
		पैन	समामेलक कंपनी का नाम	समामेलक कंपनी का पता	समामेलन की तारीख	
	(ख)	समामेलित कंपनी की दशा में, समामेलक कंपनी का उल्लेख करें				
		पैन	समामेलित कंपनी का नाम	समामेलित कंपनी का पता	समामेलन की तारीख	
	(ग)	अवीलीन कंपनी की दशा में, परिणामिक कंपनी के ब्यौरे दें				
		पैन	परिणामिक कंपनी का नाम	परिणामिक कंपनी का पता	निर्विलियन की तारीख	
(घ)	परिणामिक कंपनी की दशा में, अवीलीन कंपनी के ब्यौरे दें					
	पैन	अवीलीन कंपनी का नाम	अवीलीन कंपनी का पता	निर्विलियन की तारीख		
प्रमुख व्यक्ति	उन प्रबंध निदेशक, निदेशक, सचिव तथा प्रधान अधिकारियों के ब्यौरे जो पूर्व वर्ष के दौरान कार्यालय में रहे हैं और पात्र व्यक्तियों के ब्यौरे जो विवरणी को सत्यापित कर रहे हैं					

	क्रम सं.	नाम	पदनाम	आवास का पता	स्थायी खाता संख्यांक / आधार सं.	निदेशक की दशा में, एमसीएद्वारा जारी निदेशक पहचान संख्यांक (नि.प.सं.)
शेयरधारक की सूचना	उन व्यक्तियों की विशिष्टियां, जो पूर्व वर्ष में किसी समय दसप्रतिशत से अन्वून मतदान शक्ति शेयरधारण के फायदाप्रद स्वामी थे।					
	क्रम सं.	नाम और पता	धारित शेयरों का प्रतिशत		स्थायी खाता संख्यांक (यदि आबंटित है)	
स्वामित्व संबंधी जानकारी	असूचीबद्ध कंपनी के मामले में, प्राकृतिक व्यक्तियों की विशिष्टियां जिन्हें पूर्व वर्ष किसी भी समय मत शक्ति के 10% से अन्वून शेयर धारकों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से असीमित हितधारी स्वामी थे।					
	क्रम सं.	नाम	पता	धारित शेयरों का प्रतिशत	स्थायी खाता संख्यांक / आधार सं.(यदि आबंटित किया गया है)	
	विदेशी कंपनी की दशा में, कृपया अव्यवहित मूल कंपनी के ब्यौरे प्रस्तुत करें।					
	क्रमसं.	नाम	पता	निवास का देश	स्थायी खाता संख्यांक (यदि आबंटित किया गया है)	निवास के देश में आबंटित कररदाता की रजिस्ट्रीकरण संख्या या कोई विशिष्ट पहचान संख्या
	विदेशी कंपनी की दशा में, कृपया क्रमांतिम कंपनी मूल कंपनी के ब्यौरे प्रस्तुत करें।					
क्रमसं.	नाम	पता	निवास का देश	स्थायी खाता संख्यांक (यदि आबंटित किया गया है)	निवास के देश में आबंटित कररदाता की रजिस्ट्रीकरण संख्या या कोई विशिष्ट पहचान संख्या	
कंपनी का स्वरूप और	कंपनी का स्वरूप					(निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/>
	1	क्या आप आयकर अधिनियम की धारा 2(36क)में यथा परिभाषित पब्लिक सेक्टर कंपनी हैं				<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
	2	क्या आप भारतीय रिजर्व बैंक के स्वामित्वाधीनवाली कंपनी हैं				<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं

3	क्या आप ऐसी कंपनी हैं, जिसमें चालीस प्रतिशत से अन्यून शेयर सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा या उस बैंक के स्वामित्वाधीन किसी निगम द्वारा (एकमात्र रूप से या साथ मिलकर) धारित किए हुए हैं।	<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
4	क्या आप बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 5 के खंड (ग) में यथापरिभाषित बैंककारी कंपनी है	<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
5	क्या आप अनुसूचित बैंक हैं, जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की दूसरी सूची में सम्मिलित बैंक है	<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
6	क्या आप बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण में रजिस्ट्रीकृत कंपनी है (बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 की धारा 3 की उपधारा(1) के अधीन स्थापित)	<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
7	क्या आप गैर बैंककारी वित्तीय संस्थान की कंपनी है	<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
8	क्या कंपनी सूचीबद्ध है ? यदि हां, कृपया अनुसूची-धज-1 और अनुसूची-कठ-1 को भरना सुनिश्चित करें	<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
कारबार या वृत्ति की प्रकृति यदि एक से अधिक कारबार या वृत्ति है तो तीन मुख्य कृत्य/उत्पाद उपदर्शित करें (उनसे भिन्न, जो धारा 44कड के अधीन आय की घोषणा करते हैं)		
क्रम सं.	कोड [कृपया अनुदेश संख्या 7 (i) देखें]	वर्णन
(i)		
(ii)		
(iii)		

भाग क-तुलन पत्र 31मार्च, 2025 को या समामेलन की तारीख को तुलन पत्र

I	साधारण पूंजी और दायित्व		
साधारण पूंजी और दायित्व	1	शेयरधारक की निधि	
	क	शेयरपूंजी	
	i	प्राधिकृत	का
	ii	पुरोधृत, अभिदत्त और पूर्णतः संदत्त	काii
	iii	अभिदत्त, किंतु पूर्णतः संदत्त नहीं	काiii
	iv	कुल( काii + काiii)	काiv
	ख	आरक्षित और अधिशेष	
	i	पूंजी आरक्षित	खा
	ii	पूंजी मोचन आरक्षित	खii
	iii	प्रतिभुति प्रीमियम आरक्षित	खiii
iv	डिबेंचर मोचन आरक्षित	खiv	
v	पुर्नमूल्यांकन आरक्षित	खv	

		vi	शेयर विकल्प बकाया रकमें	खvi		
		vii	अन्य आरक्षिति (स्वरूप और रकम विनिर्दिष्ट करें)			
		क		viiक		
		ख		viiख		
		ग	कुल ( viiक+viiख)	खvii		
		viii	अतिशेष अर्थात् लाभ और हानि लेखा के लेखे में अतिशेष (नामपक्ष का अतिशेष ऋणात्मक रकम में दर्शित किया जाए )	खviii		
		ix	कुल (खा + खii + खiii + खiv + खv + खvi + खvii + खviii) (नामपक्ष का अतिशेष यथा ऋणात्मक रकम में दर्शित किया जाए )		खix	
	ग		शेयर अधिपत्रों से प्राप्त रकम		1 ग	
	घ		शेयरधारक की कुल निधि (काiv + खix+1ग)		1घ	
2			शेयर आवेदन की रकम, जिसका आबंटन लंबित है			
		i	एक वर्ष से कम से लंबित है	i		
		ii	एक वर्ष से अधिक से लंबित है	ii		
		iii	कुल ( i+ii)		2	
3			स्थगित दायित्व			
	क		दीर्घकालिक उधार			
		i	बंधपत्र/डिबेंचर			
		क	विदेशी मुद्रा	iक		
		ख	रूपया	iख		
		ग	कुल (iक +ii ख)		iग	
		ii	आवधिक ऋण			
		क	विदेशी मुद्रा	iiक		
		ख	ऋण रूप में			
		1	बैंकों से	ख1		

			2 अन्य से	ख2		
			3 कुल (ख1+ख2)	ख3		
		ग	कुल आवधिक ऋण (iiक+ख3)			iiग
		iii	आस्थगित भुगतान का दायित्व			iii
		iv	संबंधित पक्षकारों से निक्षेप (अनुदेशों को देखें )			iv
		v	अन्य निक्षेप			v
		vi	संबंधित पक्षकारों से ऋण और अग्रिम (अनुदेशों को देखें )			vi
		vii	अन्य ऋण और अग्रिम			vii
		viii	दीर्घकालिक वित्तपोषण पट्टा अनबंध पत्र की परिपक्वता			viii
		ix	कुल दीर्घकालिक (iग+iiग+iii+iv+v+vi+vii+viii)			3क
		ख	आस्थगित कर दायित्व (कुल)			3ख
		ग	अन्य दीर्घकालिक दायित्व			
			i व्यापार संदेय	i		
			ii अन्य	ii		
		iii	कुल अन्य दीर्घकालिक दायित्व (i+ii)			3ग
		घ	दीर्घकालिक विनिधान			
			i कर्मचारियों के फायदे के लिए विनिधान	i		
			ii अन्य	ii		
		iii	कुल (i+ii)			3घ
		ड	कुल स्थगित दायित्व (3क+3ख+3ग +3घ)			3 ड
		4	चालू दायित्व			
		क	अल्पकालिक उधार			
			i मांग पर प्रतिसंदेय ऋण			
			क बैंकों से	iक		
			ख गैर-बैंककारी कंपनियों से	iख		
			ग अन्य वित्तीय संस्थाओं से	iग		
			घ अन्य से	iघ		

			ड कुल प्रतिसंदेय ऋण, मांगे जाने पर (i+ii+iii+iv+v)	iड	
		ii	संबंधित पक्षकारों से प्राप्त निक्षेप (अनुदेशों को देखें )	ii	
		iii	संबंधित पक्षकारों से ऋण और अग्रिम (अनुदेशों को देखें )	iii	
		iv	अन्य ऋण और अग्रिम	iv	
		v	अन्य निक्षेप	v	
		vi	कुल अल्पकालिक उधार ( iड+ii+iii+iv+v)	4क	
	ख	व्यवसाय संदेय			
		i	एक वर्ष से अधिक के लिए बकाया	i	
		ii	अन्य	ii	
		iii	कुल व्यवसाय संदेय ( i+ii)	4ख	
	ग	अन्य चालू दायित्व			
		i	दीर्घकालिक ऋण की प्रचलित परिपक्वता	i	
		ii	वित्तपोषण पट्टा अनुबंध पत्र की प्रचलित परिपक्वता	ii	
		iii	उधार पर प्रोद्भूत ब्याज जो शोध्य नहीं है	iii	
		iv	उधार पर प्रोद्भूत और शोध्य ब्याज	iv	
		v	अग्रिम में प्राप्त आय	v	
		vi	असदत्त लाभांश	vi	
		vii	प्रतिभुक्ति के आबंटन के लिए आवेदन हेतु प्राप्त हुई रकम तथा प्रतिदाय और उस पर प्रोद्भूत ब्याज के देय	vii	
		viii	असदत्त परिपक्व निक्षेप और उस पर प्रोद्भूत ब्याज	viii	
		ix	असदत्त डिबेंचर और उसपर प्रोद्भूत ब्याज	ix	
		x	अन्य संदेय	x	
		xi	कुल अन्य चालू दायित्व (i+ii+iii+iv+v+vi+vii+viii+ix+x)	4ग	
	घ	अल्पकालिक उपबंध			
		i	कर्मचारीवृंद के फायदे के लिए उपबंध	i	
		ii	आय-करके लिए उपबंध	ii	

		iii	प्रस्तावित लाभांश	iii				
		iv	लाभांश पर कर	iv				
		v	अन्य	v				
		vi	कुल अल्पकालिक उपबंध (i + ii + iii + iv + v)		4 घ			
	ड	कुल चालू दायित्व (4क + 4ख + 4ग + 4घ)			4ड			
कुल शेयर और दायित्व (1 घ + 2 + 3ड + 4ड)						1		
II	आस्तियां							
आस्तियां	1	गैर- चालू आस्तियां						
	क	स्थिर आस्तियां						
		i	मूर्त आस्तियां					
			क	सकल ब्लाक	ik			
			ख	अवक्षयण	ix			
			ग	हास से हुई हानियां	ig			
		घ	ब्लाक (ik - ix - ig)	i घ				
		ii	अमूर्त आस्तियां					
		क	सकल ब्लाक	iiक				
		ख	अवक्षयण	iiख				
		ग	हास से हुई हानियां	iiग				
	घ	शुद्ध ब्लाक (iiक - iiख - iiग)	iiघ					
	iii	पूँजीगत चालू काम					iii	
	iv	विकास के अधीन अमूर्त आस्तियां					iv	
	v	कुलस्थिर आस्तियां (iघ + iiघ + iii + iv)					क v	
ख	गैर-चालू विनिधान							
	i	संपत्ति में विनिधान		i				
		ii		शेयर लिखतों में विनिधान				
	क	सूचीबद्ध शेयर		iiक				

	ख	गैर-सूचीबद्ध शेयर	iiख		
	ग	योग (iiक + iiख )	iiग		
	iii	अधिमान्नी शेयरों में विनिधान	iii		
	iv	सरकारी या न्यास प्रतिभूतियों में विनिधान	iv		
	v	डिबेंचरों या बंधपत्रों में विनिधान	v		
	vi	पारस्परिक निधियों में विनिधान	vi		
	vii	भागीदारी फर्मों में विनिधान	vii		
	viii	अन्य विनिधान	viii		
	ix	कुल गैर-चालू विनिधान ( i + iic + iii + iv + v + vi + vii + viii )	खix		
ग		आस्थगित कर आस्तियां (शुद्ध)	ग		
घ		दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम			
	i	पूँजी अग्रिम	i		
	ii	प्रतिभूतिनिक्षेप	ii		
	iii	संबंधित पक्षकारों को ऋण और अग्रिम (अनुदेश देखें )	iii		
	iv	अन्य ऋण और अग्रिम	iv		
	v	कुल दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम ( i + ii + iii + iv )	घ v		
	vi	घv में सम्मिलित दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम , जो			
	क	कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए है	viक		
	ख	कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए नहीं है	viख		
	ग	आय-कर अधिनियम की धारा 2(22) (ड) के अनुसार किसी शेयरधारक को, जो शेयर का फायदाप्रद स्वामी है, या किसी समुत्थान को या ऐसे शेयरधारक के फायदे के लिए/की ओर से, दिया गया है	viग		
ड		अन्य गैर-चालू आस्तियां			
	i	दीर्घकालिक व्यापार प्राप्य			
	क	प्रतिभूत, अच्छे समझे गए	ik		
	ख	गैर-प्रतिभूत, अच्छे समझे गए	ix		
	ग	शंकास्पद	ig		

		घ	कुल अन्य गैर-चालू आस्तियां (iक + iख + iग)	iघ			
	ii	अन्य		ii			
	iii	योग (iघ+ ii)			डiii		
	iv	ड iii में सम्मिलित कुल गैर-चालू आस्तियां, जो आय-कर अधिनियम की धारा 2(22) (ड) के अनुसार किसी शेयरधारक से, जो शेयर का फायदाप्रद स्वामी है, या किसी समुत्थान से या ऐसे शेयरधारक के फायदे के लिए/की ओर से, देय है		iv			
	च	कुल गैर-चालू आस्तियां (कv+ खix + ग+ घv + डiii)			1च		
2	चालू आस्तियां						
	क	चालू विनिधान					
	i	शेयर लिखितों में विनिधान					
		क	सूचीबद्ध शेयर	iक			
		ख	गैर-सूचीबद्ध शेयर	iख			
		ग	योग (iक + iख)	iग			
	ii	अधिमानी शेयरों में विनिधान				ii	
	iii	सरकारी या न्यास प्रतिभूतियों में विनिधान				iii	
	iv	डिबेंचरों या बंधपत्रों में विनिधान				iv	
	v	पारस्परिक निधियों में विनिधान				v	
	vi	भागीदारी फर्मों में विनिधान				vi	
	vii	अन्य विनिधान				vii	
	viii	कुल चालू विनिधान (ic + ii + iii + iv + v + vi + vii)				कviii	
	ख	संपत्ति-सूची					
		i	कच्चा माल	i			
		ii	चालू काम	ii			
		iii	तैयार माल	iii			
		iv	व्यवसाय - स्टॉक (व्यवसाय के लिए अर्जित माल )	iv			
		v	भंडार और स्पेयर	v			
		vi	खुले औजार	vi			

	vii	अन्य	vii		
	viii	कुल संपत्ति-सूची (i + ii + iii + iv + v + vi + vii)			ख viii
ग		व्यापार प्राप्य			
	i	6 मास से अधिक से बकाया	i		
	ii	अन्य	ii		
	iii	कुलव्यवसाय प्राप्य (i + ii + iii)			गiii
घ		नकदी और नकद समतुल्य			
	i	बैंक नकद	i		
	ii	चैक, ड्राफ्ट	ii		
	iii	नकद अतिशेष	iii		
	iv	अन्य	iv		
	v	कुल नकदी और नकद समतुल्य (i + ii + iii + iv)			घv
ङ		अल्पकालिक ऋण और अग्रिम			
	i	पक्षकारों से संबंधित ऋण और अग्रिम (अनुदेश देखें)	i		
	ii	अन्य	ii		
	iii	कुल अल्पकालिक ऋण और अग्रिम (i+ii)			ङiii
	iv	ङiii में सम्मिलित अल्पकालिक ऋण और अग्रिम , जो			
		क कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए है	ivक		
		ख कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए नहीं है	ivख		
		आय-कर अधिनियम की धारा 2(22) (ड) के अनुसार किसी शेयरधारक को , जो शेयर का ग फायदाप्रद स्वामी है, या किसी समुत्थान को या ऐसे शेयरधारक के फायदे के लिए/की ओर से, दिया गया है	ivग		
च		अन्य चालू आस्तियां			च
छ		कुल चालू आस्तियां (कviii + खviii + गiii + घv + ङiii + च)			2छ
		कुल आस्तियां (1च+2छ)			II

भाग क-तुलन पत्र -  
भारतीय लेखा मानकों के  
रूप में

31 मार्च, 2025 को या व्यावसायिक संयोजन की तारीख के अनुसार [एक कंपनी के लिए लागू है, जिसका वित्तीय विवरण कंपनियों के उपाबंध (भारतीय लेखा मानकों) नियम, 2015 में निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानक के अनुपालन में तैयार किए गए हैं]

I साधारण शेयर और दायित्व					
1 साधारण शेयर					
अ साधारण शेयर पूंजी					
i	प्राधिकृत	का			
ii	जारी, अभिदत्त और पूरी तरह से भुगतान किया गया	काii			
iii	अभिदत्त लेकिन पूरी तरह से भुगतान नहीं किया गया	काiii			
iv	कुल (काii + काiii)			क+iv	
आ अन्य साधारण शेयर					
i	अन्य रिजर्व				
	क पूंजी विमोचन आरक्षित	िक			
	ख डिबेंचर विमोचन रिजर्व	िख			
	ग शेयर विकल्प बकाया लेखा	िग			
	घ अन्य (प्रकृति और रकम निर्दिष्ट करें)	िघ			
	ड. कुल अन्य भंडार (िक+ िख + िग + िघ)	िड.			
ii	प्रतिधारित आय (पी और एल के कथन नामें पक्ष का अतिशेष -वीई आंकड़े के रूप में दर्शित)	ii			
iii	कुल (खांड. + ii) (डेबिट शेष राशि को -ve आंकड़े के रूप में दिखाया जाएगा)			खांiii	
इ	कुल साधारण शेयर (काiv + खांiii)			1ग	
2 दायित्व					
अ गैर मौजूदा दायित्व					
I वित्तीय दायित्व					

<b>उधारी</b>			
<b>क बांड या डिबेंचर</b>			
1	विदेशी मुद्रा	क 1	
2	रुपए	क 2	
3	कुल (1 + 2)	क 3	
<b>ख उधार अवधि</b>			
1	विदेशी मुद्रा	ख 1	
2	रुपया उधार		
	i बैंकों से	i	
	ii अन्य पार्टियों से	ii	
	iii कुल (i + ii)	ख 2	
3	कुल अवधि उधार (ख 1 + ख 2)	ख3	
ग	आस्थगित संदाय दायित्व	ग	
घ	निक्षेप	घ	
ड.	संबंधित पक्षों से उधार (अनुदेश देखें)	ड.	
च	वित्त पट्टा बाध्यता की दीर्घकालिक परिपक्वता	च	
छ	यौगिक वित्तीय लिखतों की दायित्व घटक	छ	
ज	अन्य उधार	ज	
झ	कुल उधारी (क3 + ख3 + ग + घ + ड. + च + छ + ज)	झ	
ञ	व्यापार उधार	ञ	
ट	अन्य वित्तीय दायित्व (उपबंधों के अधीन II में विनिर्दिष्ट के अतिरिक्त)	ट	

<b>II उपबंध</b>			
क	कर्मचारी लाभ के लिए उपबंध	क	
ख	अन्य (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	ख	
ग	कुल उपबंध	IIग	
<b>III आस्थगित कर दायित्व (शुद्ध)</b>		III	
<b>IV अन्य गैर-तात्कालिक दायित्व</b>			
क	अग्रिम	क	
ख	अन्य (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	ख	
ग	कुल अन्य गैर-वर्तमान दायित्व	IVग	
<b>कुल गैर-वर्तमान देयताएं (Iअ + Iत्र + iट + IIग + III + IVग)</b>		2क	
<b>ख वर्तमान दायित्व</b>			
<b>I वित्तीय दायित्व</b>			
<b>i उधार लेना</b>			
क	मांग पर लौटाने वाले उधार		
	1 बैंकों से	1	
	2 अन्य पक्षकारों से	2	
	3 मांग पर प्रतिपूर्ति कुल उधार (1 + 2)	3	
ख	संबंधित पक्षकारों से उधार	ख	
ग	निकषेप	ग	
घ	अन्य उधार (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	घ	
कुल उधार (क3 + ख + ग + घ)		ii	
<b>ii व्यापार देनदारियां</b>		iii	
<b>iii अन्य वित्तीय दायित्व</b>			

	क	लंबी अवधि के उधार की चालू परिपक्वता	क		
	ख	वित्त पट्टा दायित्वों की चालू परिपक्वता	ख		
	ग	प्रोद्भूत ब्याज	ग		
	घ	अवैतनिक लाभांश	घ		
	ड.	प्रतिदेयता के विस्तार की प्रतिभूतियों के आबंटन के लिए प्राप्त आवेदन राशि और उस पर प्रोद्भूत ब्याज	ड.		
	च	असंदत्त परिपक्व निक्षेप और उस पर प्रोद्भूत ब्याज	च		
	छ	उस पर प्रोद्भूत असंदत्त परिपक्व डिबेंचर और ब्याज	छ		
	ज	अन्य (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	ज		
	झ	कुल अन्य वित्तीय दायित्व(क + ख + ग + घ +ड. +च +छ+ज)		liii	
	iv	कुल वित्तीय दायित्व(ii +lii +liii)		liv	
<b>II अन्य चालू दायित्व</b>					
	क	अग्रिम में प्राप्त राजस्व	क		
	ख	अन्य अग्रिम (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	ख		
	ग	अन्य (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	ग		
	घ	कुल अन्य वर्तमान दायित्व (क + ख +ग)		IIघ	
<b>III उपबंध</b>					
	क	कर्मचारी लाभ के लिए उपबंध	क		
	ख	अन्य (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	ख		
	ग	कुल उपबंध (क + ख)		IIIग	
<b>IV वर्तमान कर दायित्व (शुद्ध)</b>					
<b>IV</b>					
<b>कुल मौजूदा दायित्व (liv + IIघ + IIIग+ IV)</b>					
<b>2ख</b>					

	कुल साधारण शेयर और दायित्व (1ग + 2क +2ख)				I	
II	आस्तियां					
आस्तियां	1 गैर तात्कालिक आस्तियां					
	क संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर					
		क	सकल ब्लॉक	क		
		ख	मूल्यहास	ख		
		ग	हास हानि	ग		
		घ शुद्ध ब्लॉक (क- ख -ग)			क घ	
	ख पूंजीगत कार्य-प्रगति				ख	
	ग निवेश सम्पत्ति					
		क	सकल ब्लॉक	क		
		ख	मूल्यहास	ख		
		ग	हास हानि	ग		
		घ शुद्ध ब्लॉक (क- ख -ग)			ग घ	
	घ साख					
		क	सकल ब्लॉक	क		
		ख	हास हानि	ख		
		ग शुद्ध ब्लॉक (क- ख )			घ ग	
	ड. अन्य अमूर्त संपत्ति					
		क	सकल ब्लॉक	क		
		ख	उधारमुक्ति	ख		
		ग	हास हानि	ग		
	घ शुद्ध ब्लॉक (क- ख -ग)			ड.घ		

च विकास के अधीन अमूर्त संपत्ति		च	
छ वाहक संयंत्रों के अतिरिक्त जैविक आस्तियां			
क	सकल ब्लॉक	क	
ख	हास हानि	ख	
ग	शुद्ध ब्लॉक (क- ख)	छग	
ज वित्तीय आस्तियां			
I निवेश			
i साधारण साम्या लिखत में निवेश			
क	सूचीबद्ध साधारण शेयर	िक	
ख	असूचीबद्ध साधारण शेयर	िख	
ग	कुल (िक + iख)	िंग	
ii वरीयता शेयरों में निवेश		ii	
iii सरकार या न्यास प्रतिभूतियों में निवेश		iii	
iv डिबेंचर या बांड में निवेश		iv	
v म्युचुअल फंड में निवेश		v	
vi साझेदारी फर्मों में निवेश		vi	
vii अन्य निवेश( प्रकृति निर्दिष्ट करें)		vii	
viii कुल गैर-मौजूदा निवेश (िंग + ii + iii + iv + v + vi + vii)		जा	
II स्वीकार योग्य व्यापार			
क	सुरक्षित, अच्छा माना जाता है	क	
ख	असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	ख	
ग	संदिग्ध	ग	
घ	कुल प्राप्य व्यापार	जाII	

			<b>III उधार</b>			
		i	सुरक्षा निक्षेप	i		
		ii	संबंधित पक्षों को उधार (अनुदेश देखें)	ii		
		iii	अन्य उधार	iii		
		iv	अन्य उधार (i + ii + iii)		जIII	
		v	उक्त III में शामिल उधार, जो कि-			
		क	कारबार या व्यवसाय के प्रयोजन के लिए	vक		
		ख	कारबार या व्यवसाय के उद्देश्य के लिए नहीं	vख		
		ग	आय-कर अधिनियम के खंड 2 (22) (ड) के अनुसार, ऐसे शेयरधारक को शेयर के फायदेमंद स्वामी या किसी भी समुत्थान या इस तरह के शेयरधारक की ओर से / लाभ के लिए दिया गया है।	vग		
			<b>IV अन्य वित्तीय आस्तियां</b>			
		i	12 महीनों से अधिक की परिपक्वता वाली बैंक निक्षेप	i		
		ii	अन्य	ii		
		iii	अन्य वित्तीय आस्तियां का कुल (i + ii)		जIV	
			<b>झ आस्थगित कर आस्तियां (शुद्ध)</b>		।	
			<b>ञ अन्य गैर - वर्तमान परिसंपत्ति</b>			
		i	पूंजीगत अग्रिम	i		
		ii	पूंजी अग्रिम के अतिरिक्त अन्य अग्रिम	ii		
		iii	अन्य (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	iii		
		iv	कुल गैर-वर्तमान आस्तियां (i + ii + iii)		ज	

			आय-कर अधिनियम की धारा 2(22) (ड.) के अनुसार गैर-वर्तमान आस्तियां उक्त झ सहित है जो कि शेयरधारक, शेयर के फायदेमंद मालिक, या इस तरह के शेयरधारक के रूप में किसी भी समुत्थान से या की ओर से / लाभ	v		
			कुल गैर-मौजूदा आस्तियां (कघ + ख + गघ + घग + ड.घ + च + छग + जा + जाII + जाIII + जाIV + झ + ज)			1
			<b>2 वर्तमान आस्ति</b>			
			<b>क तालिकाएं</b>			
		i	कच्चा माल	i		
		ii	कार्य प्रगति पर है	ii		
		iii	तैयार माल	iii		
		iv	स्टॉक-इन-ट्रेड (व्यापार के लिए प्राप्त वस्तुओं के संबंध में)	iv		
		v	स्टोर और पुर्जों	v		
		vi	ढीला उपकरण	vi		
		vii	अन्य	vii		
		viii	कुल तालिकाएं (i + ii + iii + iv + v + vi + vii)			2क
			<b>ख वित्तीय आस्तियां</b>			
			<b>I निवेश</b>			
		i	साधारण शेयर लिखत में निवेश			
		क	सूचीबद्ध साधारण शेयर	i क		
		ख	असूचीबद्ध साधारण शेयर	i ख		
		ग	कुल (i क + i ख)	i ग		
		ii	वरीयता शेयरों में निवेश	ii		

	iii	सरकारी या न्यास प्रतिभूतियों में निवेश	iii		
	iv	डिबेंचर या बॉन्ड में निवेश	iv		
	v	म्युचुअल फंड में निवेश	v		
	vi	भागीदारी फर्मों में निवेश	vi		
	vii	अन्य निवेश	vii		
	viii	कुल वर्तमान निवेश (i + ii + iii + iv + v + vi + vii)		I	
	<b>II स्वीकार योग्य व्यापार</b>				
	i	सुरक्षित, अच्छा माना जाता है	i		
	ii	असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	ii		
	iii	संदिग्ध	iii		
	iv	प्राप्य कुल व्यापार (i + ii + iii)		II	
	<b>III नकद और नकद समकक्ष</b>				
	i	बैंकों के साथ अतिशेष (नकद और नकद समकक्षों की प्रकृति)	i		
	ii	हाथ में चेक और ड्राफ्ट	ii		
	iii	हाथ में पैसा	iii		
	iv	अन्य (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	iv		
	v	कुल नकद और नकद समकक्ष (i + ii + iii + iv)		III	
	<b>IV उपरोक्त III के अतिरिक्त बैंक अतिशेष</b>				IV
	<b>V उधार</b>				
	i	सुरक्षा निक्षेप	i		
	ii	संबंधित पक्षों को उधार (निर्देश देखें)	ii		
	iii	अन्य (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	iii		
	iv	कुल उधार (i + ii + iii)		V	

		v जो उपरोक्त V में शामिल उधार और अग्रिम हैं-		
		क कारबार या व्यवसाय के प्रयोजन के लिए	vक	
		ख कारबार या व्यवसाय के प्रयोजन के लिए नहीं	vख	
		ग आय कर अधिनियम की धारा 2(22)ड. के अनुसार शेयरधारक को दिया, लाभकारी मालिक होने के नाते के शेयर, या किसी भी समुत्थान या ओर से / लाभ का शेयरधारक	vग	
		VI अन्य वित्तीय आस्तियां	VI	
		कुल वित्तीय आस्तियां (I + II + III + IV + V + VI)	2ख	
		ग चालू कर आस्तियां (शुद्ध)	2ग	
		घ अन्य मौजूदा आस्तियां		
		i पूंजी अग्रिम के अतिरिक्त अग्रिम	i	
		ii अन्य (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	ii	
		iii कुल	2घ	
		कुल चालू आस्तियां (2क+2ख+2ग+2घ)	2	
		कुल आस्तियां (1 + 2)	II	

भाग क-

विनिर्माण लेखा

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए विनिर्माण लेखा (उस दशा में मद 1 से मद 3 भरे, जहां नियमित लेखा बहियां बनायी रखी जाती हैं, अन्यथा यथा लागू मद 61 से मद 62 भरें)

1	विनिर्माणकारी खाते का विकलन			
	क प्रारम्भिक तालिका			
	i कच्ची सामग्री का प्रारम्भिक स्टॉक	i		
	ii प्रगतिशील सामग्री का प्रारम्भिक स्टॉक	ii		
	iii योग (i + ii)		का	iii
	ख क्रय (प्रतिदायों और शुल्क या कर, यदि कोई हों, का योग)		ख	
	ग प्रत्यक्ष मजदूरी		ग	
	घ प्रत्यक्ष कर (घा + घाii + घाiii)		घ	
	i आवक वहन व्यय	i		

	ii	विद्युत् और ईंधन	ii		
	iii	अन्य प्रत्यक्ष व्यय	iii		
	ड कारखाना अधिव्यय				
	I	अप्रत्यक्ष मजदूरी	i		
	ii	कारखाना किराया और दर	ii		
	iii	कारखाना बीमा	iii		
	iv	कारखाना ईंधन और विद्युत्	iv		
	V	कारखाना साधारण व्यय	v		
	Vi	कारखाना मशीनरी का अवक्षयण	vi		
	Vii योग (i+ii+iii+iv+v+vi)				डvii
	च	विनिर्माण खाते में किए गए विकलनों का योग (कiii+ख+ग+घ+डvii)			1च
2	अंत स्टॉक				
	i	कच्ची सामग्री	2i		
	ii	प्रगतिशील कार्य	2ii		
	योग (2i + 2ii)				2
3	व्यापार लेखा में उत्पाद किए गए-अंतरित किए गए माल की लागत (1च - 2)				3

**भाग क - व्यापार लेखा** वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए व्यापार लेखा (उस दशा में मद 4 से मद 12 भरे, जहां नियमित लेखा बहियां बनायी रखी जाती हैं, अन्यथा यथा लागू मद 61 से मद 62 भरें)

व्यापार लेखे में जमा	4	प्रचालनों से प्राप्त राजस्व				
	क	विक्रय/सकल कारबार की प्राप्तियां (विवरणियों तथा प्रतिदायों और शुल्क या कर, यदि कोई हो, का योग)				
		i	माल का विक्रय	i		
		ii	सेवाओं का विक्रय	ii		
		iii	अन्य प्रचालन राजस्व (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)			
		क		iiiक		
		ख		iiiख		
		ग	योग (iiiक + iiiख)	iiiग		
		iv	योग (i + ii + iiiग)			कiv
		ख	व्यवसाय से सकल प्राप्तियां			ख
	ग	विक्रय किए गए या प्रदाय किए गए माल और सेवाओं की बाबत प्राप्त या प्राप्य शुल्क कर और उपकर				
	i	संघ उत्पाद कर	i			

	ii	सेवा कर	ii		
	iii	मूल्य वर्धितकर/विक्रय कर	iii		
	iv	केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	iv		
	v	राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)	v		
	vi	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	vi		
	vii	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	vii		
	viii	कोई अन्य शुल्क, कर या उपकर	viii		
	ix	योग (i + ii + iii + iv +v+ vi+vii+viii)			गix
	घ	प्रचालनों से कुल राजस्व (काiv + ख +गix)			4घ
	5	तैयार वस्तुओं का अंतिम (क्लोजिंग) स्टॉक			5
	6	व्यापार खाते में जमाओं का योग (4घ + 5 )			6
	7	तैयार मालों का आरम्भिक स्टॉक			7
	8	क्रय (प्रतिदायों और शुल्क या कर, यदि कोई हो, का योग)			8
	9	प्रत्यक्ष व्यय (9i + 9ii + 9iii)			9
	i	आवक वहन व्यय	i		
	ii	विद्युत और ईंधन	ii		
	iii	अन्य प्रत्यक्ष व्यय टिप्पण : प्रत्यक्ष कर की प्रकृति के अनुसार पंक्ति जोड़ी जा सकती है	iii		
	10	क्रय किए गए माल और सेवाओं के सम्बन्ध में संदेय या संदेय शुल्क और कर			
	i	सीमा शुल्क	10i		
	ii	प्रतिरोधी शुल्क	10ii		
	iii	विशेष अतिरिक्त शुल्क	10iii		
	iv	संघ उत्पाद शुल्क	10iv		
	v	सेवा कर	10v		
	vi	मूल्य वर्धित कर/विक्रय कर	10vi		
	vii	केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	10vii		
	viii	राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)	10viii		
	ix	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	10ix		
	x	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	10x		
	xi	संदेय या संदेय कोई अन्य कर	10xi		
	xii	योग (10i + 10ii + 10iii + 10iv + 10v + 10vi + 10vii + 10viii + 10ix + 10x + 10xi)			10xii
व्यापार लेखा में विकलन					

11	विनिर्माण खाते से उत्पादित-उपांतरित माल की लागत	11	
12	कारबार/व्यवसाय से लाभ और हानि लेखा में अंतरित सकल लाभ (6-7-8-9-10xii-11)	12	
12क	दिनभर व्यापार से आवर्त	12क	
12ख	दिन भर व्यापार से आय - लाभ व हानि लेख में अंतरित	12ख	

भाग क - लाभ और हानि		वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लाभ और हानि लेखा (उस दशा में मद 13 से मद 60 भरे, जहां नियमित लेखा बहियां बनायी रखी जाती हैं, अन्यथा यथा लागू मद 61 से मद 62 भरें)	
लाभ और हानि लेखा में जमा	13	व्यापार खाते से अंतरित सकल लाभ 12 + 12ख	13
	14	अन्य आय	
	i	किराया	i
	ii	कमीशन	ii
	iii	लाभांश आय	iii
	iv	ब्याज आय	iv
	v	नियत आस्तियों के विक्रय पर लाभ	v
	vi	प्रतिभूति संव्यवहार कर (एसटीटी) से प्रभार्य प्रतिभूति होने के कारण निवेश के विक्रय पर लाभ	vi
	vii	अन्य निवेश के विक्रय पर लाभ	vii
	viii	धारा 43क के अधीन विदेशी विनियम उतार-चढ़ाव के कारण अभिलाभ (हानि)	viii
	ix	धारा 28(vिक) के अधीन तालिका के पूंजी आस्ति में संपरिवर्तन किए जाने पर लाभ (संपरिवर्तन की तारीख को तालिका का उचित बाजार मूल्य)	ix
	x	कृषि आय	x
	xi	अन्य कोई आय (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें )	
		क	xiक
	ख	xiख	
	ग योग (xiक + xiख)	xiग	
	xii	अन्य आय का योग (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix + x + xiग)	14xii
	15	लाभ और हानि लेखा में जमाओं का योग (13+14xii)	15
लाभ और हानि खाते में विकल्प	16	जावक भाड़ा	16
	17	भण्डारों और पुर्जों का उपभोग	17
	18	विद्युत और ईंधन	18
	19	किराया	19
	20	भवन की मरम्मत	20

21	मशीनरी की मरम्मत			21	
22	कर्मचारियों को प्रतिकर				
	i	वेतन और मजदूरी	22i		
	ii	बोनस	22ii		
	iii	चिकित्सीय व्ययों की प्रतिपूर्ति	22iii		
	iv	छुट्टी नकदीकरण	22iv		
	v	छुट्टी यात्रा फायदे	22v		
	vi	अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में अभिदाय	22vi		
	vii	मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में अभिदाय	22vii		
	viii	मान्यताप्राप्त उपदान निधि में अभिदाय	22viii		
	ix	किसी अन्य निधि में अभिदाय	22ix		
	x	कर्मचारियों को अन्य फायदा, जिसके सम्बन्ध में व्यय उपगत किया गया है	22x		
	xi	कर्मचारियों के लिए कुल प्रतिकर (22i से 22x का योग)		22xi	
	xiiक	क्या अनिवासियों को संदत्त कोई प्रतिकर 22xi में सम्मिलित किया गया है	xiiक	हां / नहीं	
	xiiख	यदि हां, तो अनिवासियों को संदत्त रकम	xiiख		
23	बीमा				
	i	चिकित्सीय बीमा	23i		
	ii	जीवन बीमा	23ii		
	iii	की-मैन बीमा	23iii		
	iv	अन्य बीमा, जिसके अन्तर्गत कारखाना, कार्यालय, कार, माल आदि भी हैं	23iv		
	v	बीमा पर कुल व्यय (23i + 23ii + 23iii + 23iv)		23v	
24	कर्मकार और कर्मचारिवृन्द कल्याणकारी व्यय			24	
25	मनोरंजन			25	
26	आतिथ्य			26	
27	सम्मेलन			27	
28	विक्रय संवर्धन, जिसके अधीन प्रचार (विज्ञापन से भिन्न) भी है			28	
29	विज्ञापन			29	
30	कमीशन				
	i	किसी कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत से बाहर संदत्त या भारत में सदत्त	i		
	ii	अन्य को	ii		

	iii	योग (i + ii)		30iii	
31	स्वामिस्व				
	i	किसी कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत से बाहर संदत्त या भारत में सदत्त	i		
	ii	अन्य को	ii		
	iii	योग (i + ii)		31iii	
32	तकनीकी सेवाओं के लिए व्यवसायिक/परामर्श फीस/फीस				
	i	किसी कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत से बाहर संदत्त या भारत में सदत्त	i		
	ii	अन्य को	ii		
	iii	योग (i + ii)			
33	होटल, बोर्डिंग, आवास				33
34	विदेशी यात्रा पर किए गए व्यय से भिन्न यात्रा व्यय				34
35	विदेशी यात्रा व्यय				35
36	प्रवहण व्यय				36
37	टेलीफोन व्यय				37
38	अतिथि गृह व्यय				38
39	क्लब व्यय				39
40	उत्सव समारोह व्यय				40
41	छात्रवृत्ति				41
42	उपहार				42
43	दान				43
44	सरकार या किसी स्थानीय निकाय को संदत्त किराया और कर या संदेय दर और कर (आय पर करों को छोड़कर)				
	i	संघ उत्पाद शुल्क	44i		
	ii	सेवा कर	44ii		
	iii	मूल्य वर्धित कर/विक्रय कर	44iii		
	iv	उपकर	44iv		
	v	केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	44v		
	vi	राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)	44vi		
	vii	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	44vii		
	viii	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	44viii		
	ix	कोई अन्य दर, कर, शुल्क या उपकर, जिसमें एसटीटी और सीटीटी भी है	44ix		

	x	संदत या संदेय कुल दर और कर(44i + 44ii +44iii +44iv + 44v + 44vi + 44vii + 44viii +44ix)										44x	
45	संपरीक्षा फीस											45	
46	अन्य व्यय (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)												
	i										i		
	ii										ii		
	iii	योग (i + ii)									46iii		
47	इबन्त ऋण (उस व्यक्ति का स्थायी खाता संख्यांक आधार, यदि उपलब्ध हो, जिसके लिए एक लाख रुपए या उससे अधिक की रकम के लिए इबन्त ऋण का दावा किया गया है और रकम विनिर्दिष्ट करें)												
(i1)											47i (1)		
(i2)											47i (2)		
(i3)											47i (3)		
पंक्तियों को अपेक्षानुसार जोड़ा जा सकता है कुल (47i(1)+47i(2)+47i(3))											47i		
ii जहां स्थायी खाता संख्यांक/आधार उपलब्ध नहीं है, वहां अन्य (एक लाख रुपए से अधिक) (नाम और पूरे पते का उल्लेख करें)											47ii		
क्र.सं.	नाम	फ्लैट / द्वार/ ब्लॉक सं.	परिसर/ भवन/ ग्राम का नाम	सड़क/ मार्ग/ डाकघर	क्षेत्र/ अवस्थान	कस्बा/शहर/ जिला	राज्य	देश	पिन कोड	जिप कोड	रकम		
1													
पंक्तियों को अपेक्षानुसार जोड़ा जा सकता है													
iii अन्य (एक लाख रुपए से कम रकम)											47iii		
iv योग इबन्त ऋण (47i + 47ii + 47iii)											47iv		
48	इबन्त और शंकास्पद ऋणों के लिए उपबंध											48	
49	अन्य उपबंध											49	
50	ब्याज, अवक्षयण और करों से पहले लाभ [15 - (16 से 21 + 22xi + 23v + 24 से 29 + 30iii + 31iii + 32iii + 33 से 43 + 44x + 45 + 46iii + 47iv + 48 + 49)]											50	
51	ब्याज												
	i	किसी कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत से बाहर संदत या भारत में संदत								i			



	(ख)						
				कुल			
	यथा अपेक्षित पंक्तियों का विकल्प बढ़ाएं (कृपया नोट करें: वर्ष के दौरान किसी भी समय वाहनों की संख्या 10 वाहन से अधिक नहीं होनी चाहिए)						
	(ii)	धारा 44कड के अधीन माल गाड़ी से कुल प्रकल्पित आय [सारणी 61(i) के स्तम्भ (5) का योग]			61(ii)		
	टिप्पण - यदि लाभ धारा 44कड के अधीन विहित किए गए से कम है या वर्ष के दौरान किसी भी समय स्वामित्वाधीन/पट्टाकृत/किराए पर लिए गए माल गाड़ी का संख्या दस से अधिक है तो धारा 44कख के अधीन लेखाबहियां बनाए रखना या कर संपरीक्षा कराना अनिवार्य है						
लेखारहित मामला	62	ऐसी विदेशी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय धारा 44ख, धारा 44खख, धारा 44खखक, धारा 44खखख, 44घ में निर्दिष्ट कारबार से एक मात्र लाभों और अभिलाभों से मिलकर बनती है या जिसका कच्चे हीरे के विक्रय का पात्र कारबार हो (नियम 10नझक देखें), वहां निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करें					
	क	सकल प्राप्ति/आवर्त			62क		
	ख	शुद्ध लाभ			62ख		

**भाग क - विनिर्माण लेखा  
भारतीय - लेखा मानक**

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए विनिर्माण लेखा[ऐसी कंपनी, जिसकी वित्तीय विवरणियां (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के उपाबंध में विनिर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों के अनुपालन में तैयार की जाती हैं, के लिए लागू होना]

1	विनिर्माणकारी खाते का विकलन						
	क	आरम्भिक तालिक					
		i	कच्ची सामग्री का आरम्भिक स्टॉक	i			
		ii	प्रगतिशील कार्य का आरम्भिक स्टॉक	ii			
		iii	योग (i + ii)			कiii	
	ख	क्रय (प्रतिदायों और शुल्क या कर, यदि कोई हो, का योग)					ख
	ग	प्रत्यक्ष मजदूरी					ग
	घ	प्रत्यक्ष व्यय					घ
		i	आवक वहन व्यय	i			
		ii	विद्युत और ईंधन	ii			
		iii	अन्य प्रत्यक्ष व्यय	iii			
	ड	कारखाना उपरिव्यय					
		i	अप्रत्यक्ष मजदूरी				
		ii	कारखाना किराया और दर				
		iii	कारखाना बीमा				
	iv	कारखाना ईंधन और विद्युत					
	v	कारखाना साधारण व्यय					

		Vi कारखाना मशीनरी का अवक्षयण			
		Vii योग (i+ii+iii+iv+v+vi)			डvii
	च	विनिर्माण खाते में विकलनों का योग (का+ख +ग +घ +डvii)			1च
2	अन्त स्टॉक				
	i	कच्ची सामग्री	2i		
	ii	प्रगतिशील कार्य	2ii		
		योग (2i +2ii)			2
3	व्यापार लेखा में उत्पादित-अंतरित माल की लागत (1च - 2)				3

**भाग क - व्यापार लेखा  
भारतीय - लेखा मानक**

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए व्यापार लेखा[ऐसी कंपनी, जिसकी वित्तीय विवरणियां (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के उपाबंध में विनिर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों के अनुपालन में तैयार की जाती हैं, के लिए लागू होना]

व्यापार लेखा में जमा	4	प्रचालनों से राजस्व			
		क	विक्रय/कारबार की कुल प्राप्तियां (विवरणियों और प्रतिदायों तथा शुल्क या कर, यदि कोई हो, का योग)		
			i	माल का विक्रय	i
			ii	सेवाओं का विक्रय	ii
			iii	अन्य प्रचालन राजस्व (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)	
			क		iiiक
			ख		iiiख
			ग	योग (iiiक + iiiख)	iiiग
			iv	योग (i + ii + iiiग)	कiv
		ख	व्यवसाय से सकल प्राप्तियां		ख
		ग	विक्रीत या प्रदाय की गई माल और सेवाओं के सम्बन्ध में प्राप्त या प्राप्य शुल्क, कर और उपकर		
			i	संघ उत्पाद शुल्क	i
			ii	सेवा कर	ii
			iii	मूल्य वर्धित कर/विक्रय कर	iii
		iv	केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	iv	
		v	राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)	v	
		vi	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	vi	

	vii	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	vii		
	viii	कोई अन्य शुल्क कर और उपकर	viii		
	ix	योग (i + ii + iii + iv +v+ vi+vii+viii)		गix	
	घ	प्रचालनों से कुल राजस्व (काiv + ख+गix)		4घ	
5		तैयार वस्तुओं का अंतिम (क्लोजिंग) स्टॉक		5	
6		व्यापार लेखा में जमाओं का योग (4घ + 5 )		6	
व्यापार लेखों में देय	7	तैयार माल का आरम्भिक स्टॉक		7	
	8	क्रय (प्रतिदायों और शुल्क या कर, यदि कोई हो, का योग)		8	
	9	प्रत्यक्ष व्यय (9i + 9ii + 9iii)		9	
	i	आवक वहन व्यय	i		
	ii	विद्युत और ईंधन	ii		
	iii	अन्य प्रत्यक्ष व्यय टिप्पण : प्रत्यक्ष व्ययों की प्रकृति के अनुसार पंक्ति जोड़ी जा सकती है	iii		
	10	क्रय किए गए मालों और सेवाओं के सम्बन्ध में संदत्त या संदेय शुल्क और कर			
	i	सीमा शुल्क	10i		
	ii	प्रतिरोधी शुल्क	10ii		
	iii	विशेष अतिरिक्त शुल्क	10iii		
	iv	संघ उत्पाद शुल्क	10iv		
	v	सेवा कर	10v		
	vi	मूल्य वर्धित कर/विक्रय कर	10vi		
	vii	केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	10vii		
viii	राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)	10viii			
ix	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	10ix			
x	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	10x			
xi	संदत्त या संदेय कोई अन्य कर	10xi			
xii	योग (10i + 10ii + 10iii + 10iv + 10v + 10vi + 10vii + 10viii + 10ix + 10x + 10xi)		10xii		
11		विनिर्माण खाते से उत्पादित-अंतरित माल की लागत		11	
12		लाभ और हानि लेखा में अंतरित-कारबार/व्यवसाय से सकल लाभ (6-7-8-9-10xii-11)		12	
12क		दिन भर व्यापार से आवर्त		12क	
12ख		दिन भर व्यापार से आय - लाभ व हानि लेख में अंतरित		12ख	

भाग क - लाभ और हानि		वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लाभ और हानि लेखा [ऐसी कंपनी, जिसकी वित्तीय विवरणियां (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के उपाबंध में विनिर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों के अनुपालन में तैयार की जाती हैं, के लिए लागू होना]	
13	व्यापार खाते से अंतरित सकल लाभ (12 + 12ख)		13
	14 अन्य आय		
	i	किराया	i
	ii	कमीशन	ii
	iii	लाभांश आय	iii
	iv	ब्याज आय	iv
	v	नियत आस्तियों के विक्रय पर लाभ	v
	vi	प्रतिभूति संव्यवहार कर (एसटीटी) से प्रभार्य प्रतिभूति होने के कारण निवेश के विक्रय पर लाभ	vi
	vii	अन्य निवेश के विक्रय पर लाभ	vii
	viii	धारा 43कक के अधीन विदेशी विनियम उतार-चढ़ाव के कारण अभिलाभ (हानि)	viii
	ix	धारा 28(vिक) के अधीन तालिका के पूंजी आस्ति में संपरिवर्तन किए जाने पर लाभ (संपरिवर्तन की तारीख को तालिका का उचित बाजार मूल्य)	ix
	x	कृषि आय	x
	xi	अन्य कोई आय (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें )	
	क	xiक	
	ख	xiख	
	ग योग (xiक + xiख)	xiग	
	xii	अन्य आय का योग (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix + x + xiग)	14xii
15	लाभ और हानि लेखा में जमाओं का योग (13+14xii)		15
लाभ और हानि खाता में देय	16	जावक भाड़ा	16
	17	भण्डारों और पुर्जों का उपभोग	17
	18	विद्युत और ईंधन	18
	19	किराया	19
	20	भवन की मरम्मत	20
	21	मशीनरी की मरम्मत	21
	22	कर्मचारियों को प्रतिकर	
		i	वेतन और मजदूरी
	ii	बोनस	22ii

	iii	चिकित्सीय व्ययों की प्रतिपूर्ति	22iii		
	iv	छुट्टी नकदीकरण	22iv		
	v	छुट्टी यात्रा फायदे	22v		
	vi	अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में अभिदाय	22vi		
	vii	मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में अभिदाय	22vii		
	viii	मान्यताप्राप्त उपदान निधि में अभिदाय	22viii		
	ix	कोई अन्य निधि में अभिदाय	22ix		
	x	कर्मचारियों को अन्य फायदा, जिसके सम्बन्ध में व्यय उपगत किया गया है	22x		
	xi	कर्मचारियों के लिए कुल प्रतिकर (22i से 22x का योग)			22xi
	xii	क्या अनिवासियों को संदत्त कोई प्रतिकर 22xi में सम्मिलित किया गया है	xiiक	हां / नहीं	
		यदि हां, तो अनिवासियों को संदत्त रकम	xiiख		
23	बीमा				
	i	चिकित्सीय बीमा	23i		
	ii	जीवन बीमा	23ii		
	iii	की-मैन बीमा	23iii		
	iv	अन्य बीमा, जिसके अन्तर्गत कारखाना, कार्यालय, कार, माल आदि भी हैं	23iv		
	v	बीमा पर कुल व्यय (23i + 23ii + 23iii + 23iv)			23v
24	कर्मकार और कर्मचारिवृन्द कल्याणकारी व्यय				24
25	मनोरंजन				25
26	आतिथ्य				26
27	सम्मेलन				27
28	विक्रय संवर्धन, जिसके अधीन प्रचार (विज्ञापन से भिन्न) भी है				28
29	विज्ञापन				29
30	कमीशन				
	i	किसी कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत से बाहर संदत्त या भारत में सदत्त	i		
	ii	अन्य को	ii		
	iii	योग (i + ii)			30iii
31	स्वामिस्व				
	i	किसी कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत से बाहर संदत्त या भारत में सदत्त	i		

	ii	अन्य को	ii		
	iii	योग (i + ii)			31iii
32	व्यवसायिक/परामर्श फीस/ तकनीकी सेवाओं के लिए फीस				
	i	किसी कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत से बाहर संदत्त या भारत में सदत्त	i		
	ii	अन्य को	ii		
	iii	योग (i + ii)			32iii
33	होटल, बोर्डिंग, आवास				33
34	विदेशी यात्रा पर किए गए व्यय से भिन्न यात्रा व्यय				34
35	विदेशी यात्रा व्यय				35
36	प्रवहण व्यय				36
37	टेलीफोन व्यय				37
38	अतिथि गृह व्यय				38
39	क्लब व्यय				39
40	उत्सव समारोह व्यय				40
41	छात्रवृत्ति				41
42	उपहार				42
43	दान				43
44	सरकार या किसी स्थानीय निकाय को संदत्त या संदेय दर और कर (आय पर कर को छोड़कर)				
	i	संघ उत्पाद शुल्क	44i		
	ii	सेवा कर	44ii		
	iii	मूल्य वर्धित कर/विक्रय कर	44iii		
	iv	उपकर	44iv		
	v	केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	44v		
	vi	राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)	44vi		
	vii	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	44vii		
	viii	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	44viii		
	ix	कोई अन्य दर, कर, शुल्क या उपकर, जिसमें एसटीटी और सीटीटी भी है	44ix		
	x	संदत्त या संदेय कुल दर और कर(44i + 44ii +44iii +44iv + 44v + 44vi + 44vii + 44viii +44ix)			44x
45	संपरीक्षा फीस				45
46	अन्य व्यय (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)				
	i		i		



55	आस्थगित कर के लिए उपबंध	55	
56	कर के पश्चात् लाभ (53 - 54 - 55)	56	
57	पूर्व वर्ष से अग्रणीत अतिशेष	57	
58	विनियोग के लिए उपलब्ध रकम (56 + 57)	58	
59	विनियोग		
	i आरक्षितियों और अधिशेष में अन्तरण	59i	
	ii प्रस्तावित लाभांश/अन्तरिम लाभांश	59ii	
	iii लाभांश पर कर/पूर्वतर वर्षों के लिए लाभांश पर कर	59iii	
	iv कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सीएसआर क्रियाकलापों के लिए विनियोग (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अधीन आने वाली कंपनियों की दशा में)	59iv	
	v कोई अन्य विनियोग	59v	
	vi योग (59i + 59ii + 59iii + 59iv+59v)	59vi	
60	तुलन पत्र में लिए गए अतिशेष (58 - 59vi)	60	
61	क ऐसी मदें, जो लाभ और हानि के लिए पुनः वर्गीकृत नहीं की जाएंगी		
	i पुनर्मूल्यांकन अधिशेष में परिवर्तन	i	
	ii परिभाषित फायदा योजनाओं का पुनःपरिमाणन	ii	
	iii ओसीआई के माध्यम से साम्या लिखतें	iii	
	iv एफवीपीटीएल में पदाभिहित वित्तीय दायित्वों के अपने ही जमा जोखिम से सम्बन्धित उचित मूल्य परिवर्तन	iv	
	v सहयुक्तों और संयुक्त जोखिमों में उस सीमा तक अन्य व्यापक आय के अंश, जिन्हें लाभ और हानि के लिए वर्गीकृत नहीं किया जाना है	v	
	vi अन्य (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)	vi	
	vii उन मदों से सम्बन्धित आय कर, जो लाभ और हानि के लिए पुनःवर्गीकृत नहीं की जाएंगी	vii	
	viii योग		61क
	ख वे मदें, जो लाभ और हानि के पुनःवर्गीकृत की जाएंगी		
	i विदेशी प्रचालन की वित्तीय विवरणियों को परिवर्तित करने में विनिमय अंतर	i	
	ii ओसीआई के माध्यम से ऋण लिखतें	ii	
	iii नकद प्रवाह नियंत्रण में नियंत्रणकारी लिखतों पर अभिलाओं और हानि का प्रभावी लाभ	iii	
	iv सहयुक्तों और संयुक्त जोखिमों में उस सीमा तक ओसीआई का अंश, जो लाभ और हानि में वर्गीकृत की जाए	iv	
	v अन्य (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)	v	

	vi	उन मदों से सम्बन्धित आय कर, जो लाभ और हानि के लिए पुनःवर्गीकृत की जाएंगी	vi		
	vii	योग			61ख
62	कुल व्यापक आय (56 + 61A + 61B)				62

**भाग क - अन्य जानकारी**

अन्य जानकारी (यदि धारा 44कख के अधीन दायी हो, तो आज्ञापक, अन्य के लिए, यदि लागू हो, भरें)

अन्य जानकारी	1	पूर्व वर्ष में नियोजित लेखा पद्धति (चिह्नित करें) <input checked="" type="checkbox"/> वाणिज्य <input type="checkbox"/> नकद			
	2	यदि लेखा पद्धति में कोई परिवर्तन है (चिह्नित करें) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं			
	3क	धारा 145(2) के अधीन अधिसूचित आय संगणना प्रकटन मानकों के अनुसार विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में वृद्धि या हानि में कमी [अनुसूची आईसीडीएस के स्तम्भ XI(3)]	3क		
	3ख	धारा 145(2) के अधीन अधिसूचित आय संगणना प्रकटन मानकों के अनुसार विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में कमी या हानि में वृद्धि [अनुसूची आईसीडीएस के स्तम्भ XI(4)]	3ख		
	4	पूर्व वर्ष में नियोजित बंदस्टाक के मूल्यांकन की पद्धति (व्यवसायों के मामले में वैकल्पिक)			
	क	कच्ची सामग्री (यदि लागत या बाजार दरों पर, जो भी कम हो, 1 लिखें, यदि लागत पर तो 2 लिखें, यदि बाजार दर पर तो 3 लिखें)			<input type="checkbox"/>
	ख	तैयार माल (यदि लागत या बाजार दरों पर, जो भी कम हो, 1 लिखें, यदि लागत पर तो 2 लिखें, यदि बाजार दर पर तो 3 लिखें)			<input type="checkbox"/>
	ग	क्या स्टोक मूल्यांकनपद्धति में कोई परिवर्तन हुआ है (चिह्नित करें) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं			
	घ	धारा 145(2क) के अधीन विनिर्दिष्ट मूल्यांकन की पद्धति से विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में वृद्धि या हानि में कमी	4घ		
	ङ	धारा 145(2ख) के अधीन विनिर्दिष्ट मूल्यांकन की पद्धति से विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में कमी या हानि में वृद्धि	4ङ		
	5	लाभ-हानिलेखे में जमा न की गई रकम, जो --			
	क	धारा 28 की परिधिके भीतर आनेवाली मदें हैं	5क		
	ख	प्रोफार्मा जमाओं, वापसी, सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क या प्रतिदाय या विक्रय कर या मूल्यवर्धित कर का प्रतिदाय या माल और सेवा कर का प्रतिदाय, जहां ऐसे प्रत्यय वापसी या प्रतिदाय सम्बद्ध प्राधिकारियों द्वारा शोध के रूप में स्वीकार की जाए	5ख		
	ग	पूर्ववर्षों के दौरान स्वीकृतवृद्धि दावे	5ग		
	घ	आय की कोई अन्य मद	5घ		
ङ	पूंजी प्राप्ति, यदि कोई हो	5ङ			
च	लाभ-हानिलेखे में जमा न की गई कुलरकम (5क+5ख+5ग+5घ+5ङ)			5च	

6	सुसंगत खंडों में विनिर्दिष्ट शर्तों के अननुपालन के कारण धारा 36 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानिलेखा में विकलित की गई रकमें		
क	स्टाक या भंडार के नुकसान या विनाश के जोखिम मद्दे बीमा के लिए संदत्त प्रीमियम [36(1)( i)]	6क	
ख	कर्मचारियों के स्वास्थ्य संबंधी बीमा के लिए संदत्त प्रीमियम [36(1) ( iख)]	6ख	
ग	किसी कर्मचारी को दी गई सेवा के लिए बोनस या कमीशन के रूप में संदत्त कोई राशि, जहां ऐसी राशि उसे लाभ या लाभांश के रूप में अन्यथा संदेय थी [36(1)( ii)]	6ग	
घ	उधार ली गई पूंजी की बाबत संदत्त ब्याज की कोई रकम [36(1) ( iii)]	6घ	
ङ	जीरो कूपन बंधपत्र पर बट्टे की रकम [36(1)( iiiक)]	6ङ	
च	किसी मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में अभिदायों की रकम [36(1)( iv)]	6च	
छ	अनुमोदित अधिवाषिता निधि में अभिदायों की रकम [36(1)( iv)]	6छ	
ज	धारा 80 गगघ में निर्दिष्ट एक पेंशन स्कीम के लिए अभिदाय रकम [36(1)( iv क)]	6ज	
झ	मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में अभिदायों की रकम [36(1)( v)]	6झ	
ञ	किसी अन्य निधि में अभिदायों की रकम	6ञ	
ट	नियत तारीख को या उससे पूर्व कर्मचारी के खाते में जमा की गई सीमा तक किसी भविष्य निधि या अधिवाषिता निधि या कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अधीन गठित किसी निधि या कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में कर्मचारियों से प्राप्त कोई राशि [36(1)( vक)]	6ट	
ठ	इबंत और शंकास्पद ऋणों की रकम [36(1)( vii)]	6ठ	
ड.	इबंत और शंकास्पद ऋणों के लिए उपबंध [36(1)( vii क )]	6ड.	
ढ.	किसी विशेष आरक्षिती में अंतरित रकम [36(1)( viii)]	6ढ.	
ण	कर्मचारियों की बीच परिवार कल्याण के संवर्धन के प्रयोजनों के लिए [36(1)( ix)]	6ण	
त	प्रतिभूति के संव्यवहार के संबंध में संदत्त प्रतिभूति संव्यवहार की रकम यदि ऐसी आय को कारबार आय में सम्मिलित न किया हो [36(1)(xv)]	6त	

	थ	धारा 145(2) [36(1)(xviii) अधीन अधिसूचित आईसीडीएस के अनुसार यथा संगणित बाजार हानि या अन्य प्रत्याशित हानि के लिए चिन्हित	6थ		6ध	
	द	कोई अन्य अननुज्ञेय	6द			
	ध	धारा 36 के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (6क से 6ज)				
	न	कंपनी द्वारा नियोजित कर्मचारियों की कुलसंख्या (यदि कंपनी में मान्यताप्राप्त भविष्य निधि है तो आवश्यक)				
		i भारत में अभिनियोजित	i			
		ii भारत के बाहर अभिनियोजित	ii			
		iii कुल	iii			
	7	धारा 37 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ-हानि लेखे में विकलित रकमें				
	क	पूंजी स्वरूप का व्यय[37(1)]	7क			
	ख	व्यक्तिगत स्वरूप का व्यय[37(1)]	7ख			
ग	कारबार या व्यवसाय के प्रयोजन के लिए पूर्णया रूप से उपगत किया गया व्यय न हो [37(1)]	7ग				
घ	किसी राजनीतिक दल द्वारा प्रकाशित किसी स्मारिका, विवरणिका, पुस्तिका या पत्र या उसी प्रकार के पत्र में विज्ञापन पर व्यय [37(2 ख)]	7घ				
ङ	तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उल्लंघन के लिए शास्ति या जुर्माने के रूप में व्यय	7ङ				
च	कोई अन्य शास्ति या जुर्माना	7च				
छ	ऐसे प्रयोजन के लिए उपगत व्यय, जो अपराध है या विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है	7छ				
ज	कारपोरेट समाजिक दायित्व पर उपगत व्यय (सी.एस.आर.)	7ज				
झ	आकस्मिक प्रकृति के किसी दायित्व की रकम	7झ				
ञ	धारा 37 के अधीन अनुज्ञातन की गई कोई अन्य रकम	7ञ				
ट	धारा 37 के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (7क से 7ञ का योग )			7		
8	अ	धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम				
	क	अध्याय 17ख के अननुपालन के कारण धारा 40(क)(i) के अधीन अननुज्ञेय रकम	अक			
	ख	अध्याय 17 ख के उपबंधों के अननुपालन के कारण धारा 40 क (i क ) के अधीन अननुज्ञेय रकम	अख			
	ग	वित्त अधिनियम, 2016 के अध्याय 8 के उपबंधों के अननुपालन के कारण धारा 40(क)(iख) के अधीन अननुज्ञेय रकम	अग			
	घ	अध्याय 17ख के उपबंधों के अननुपालन के कारण धारा 40 क (iii) के अधीन अननुज्ञेय रकम	अघ			

		ड लाभ के आधार पर उदगृहित या निर्धारित कर या दर की रकम 40 क (ii)	अड		
		च धनकर के रूप में संदत्त रकम 40 क (ii क )	अच		
		छ धारा 40 क (ii ख) के अनुसार स्वामित्व अनुज्ञप्ति फीस सेवा, फीस आदि के रूप में संदत्त रकम	अछ		
		ज ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन, अथवा धारा [40(ख)/40(खक)]के अधीन स्वीकार्य किसी सहभागी अथवा सदस्य को भुगतान किए गए पारिश्रमिक की राशि	अज		
		झ कोई अन्य अननुज्ञेय	अझ		
		ञ धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (अक से अझ का योग )		8अज	
	आ	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 40के अधीन अननुज्ञेय किंतु पूर्व वर्ष के दौरान अननुज्ञेय रकम		8आ	
	<b>9</b>	धारा 40के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ-हानि लेखे में विकलित रकमें			
		क धारा 40क(2)(ख) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संदत्त रकमें	9क		
		ख धारा 40क(3)के अधीन अस्वीकृति योग पाने वाले के खाते में देय बैंक अथवा पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट अथवा एक बैंक खाते के जरिए इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम का प्रयोग करके अथवा ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भिन्न अदा की गई राशि जिसे विनिर्दिष्ट किया जा सकता है।	9ख		
		ग उपदान के संदाय के लिए उपबंध [40 क (7)	9ग		
		घ किसी निधि, न्यास, कंपनी, एओपी या बीओआई या सोसाईटी या किसी अन्य संस्था के गठन के लिए या अभिदाय के रूप में, नियोजक के रूप में निर्धारित द्वारा संदत्त कोई राशि [40 क (9)	9घ		
		ङ कोई अन्य अननुज्ञेय	9ङ		
		च धारा 40क के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (9क से 9ङ का योग )		9च	
	<b>10</b>	किसी पूर्ववर्ती पूर्व वर्ष में धारा 43ख के अधीन अननुज्ञात किंतु पूर्व वर्षों के दौरान अनुज्ञेय कोई रकम			
		क किसी विधि के अधीन कर, शुल्क, उपकरया फीस के रूप में कोई राशि	10क		
		ख कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी भविष्य निधि या अधिवार्षिक निधि या उपदान निधि या किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में संदेय कोई राशि	10ख		
		ग किसी कर्मचारी को दी गई सेवा के लिए बोनस या कमीशन के रूप में संदेय कोई राशि	10ग		

	घ	किसी लोक वित्तीय संस्था या राज्य वित्तीय निगम या राज्य औद्योगिक विनिधान निगम से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	10घ		
	घक	किसी भी ऋण या जमा लेने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के ऐसे वर्ग से जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए ऐसे ऋण या उधार को नियंत्रित करने वाले समझौते के नियम व शर्तों के अनुसार ब्याज के रूप में देय राशि	10घक		
	ङ	प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटी या प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से भिन्न किसी अनुसूचित बैंक या सहकारी बैंक से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	10ङ		
	च	छुट्टी नकदीकरण मददे संदेय कोई रकम	10च		
	छ	रेल अस्तियों के उपयोग के लिए भारतीय रेल को संदेय कोई राशि	10छ		
	ज	सुक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 15 में विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर आने वाले किसी सुक्ष्म या लघु उद्यम के लिए संदेय रकम	10ज		
	झ	धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (10क से 10ज का योग )		10झ	
11		पूर्व वर्ष के लाभ-हानि लेखे में विकलित किंतु धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय कोई रकम			
	क	किसी विधि के अधीन कर, शुल्क, उपकर या फीस की प्रकृति की कोई राशि	11क		
	ख	कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी भविष्य निधि या अधिवार्षिक निधि या उपदान निधि या किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में संदेय कोई राशि	11ख		
	ग	किसी कर्मचारी को दी गई सेवा के लिए बोनस या कमीशन के रूप में संदेय कोई राशि	11ग		
	घ	किसी लोक वित्तीय संस्था या राज्य वित्तीय निगम या राज्य औद्योगिक विनिधान निगम से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	11घ		
	घक	किसी भी ऋण या जमा लेने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के ऐसे वर्ग से केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए ऐसे ऋण या उधार को नियंत्रित करने वाले समझौते के नियम व शर्तों के अनुसार ब्याज के रूप में देय राशि	11घक		
	ङ	प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटी या प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से भिन्न किसी अनुसूचित बैंक या सहकारी बैंक से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	11ङ		

	च	छुट्टी नकदीकरण मद्दे संदेय कोई रकम	11च		
	छ	रेल अस्तियों के उपयोग के लिए भारतीय रेल को संदेय कोई राशि	11छ		
	ज	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 15 में विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर आने वाले किसी सूक्ष्म या लघु उद्यम के लिए संदेय रकम	11ज		
	झ	धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (11क से 11ज का योग )		11झ	
12		निम्नलिखित की बाबत लेखाओं में बकाया प्रत्यय की रकम			
	क	संघ उत्पादशुल्क	12क		
	ख	सेवा कर	12ख		
	ग	मूल्यवर्धित कर/विक्रय कर	12ग		
	घ	केन्द्रीय माल और सेवाकर (सीजीएसटी)	12घ		
	ङ	राज्य माल और सेवाकर (एसजीएसटी)	12ङ		
	च	एकीकृत माल और सेवाकर (आईजीएसटी)	12च		
	छ	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवाकर (यूटीजीएसटी)	12छ		
	ज	कोई अन्य कर	12ज		
	झ	अधिशेष कुल रकम (12क से 12ज का योग )		12झ	
13		धारा 33कख या धारा 33कखक या धारा 33कग के अधीन लाभ और अभिलाभ समझी गई रकमें		13	
14		धारा 41 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ की कोई रकम		14	
15		लाभ-हानि लेखे में (शुद्ध) जमा या विकलितपूर्व अवधि की आय या व्यय की रकम		15	
16		धारा 14 के अधीन अननुज्ञात व्यय की रकम		16	
17		क्या निर्धारित धारा 92 गड. की उपधारा 2क के अधीन विकल्प का प्रयोग कर रहा है (निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं [यदि हां, तो कृपया अनुसूची टीपीएसए भरें]		17	

भाग क - मात्रात्मक ब्यौरे

मात्रात्मक ब्यौरे (यदि धारा 44कख के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी हो, तो आज्ञापक)

मात्रात्मक ब्यौरे	(क)	व्यवसायगत समुत्थान की दशा में		
	1	आरंभिक स्टाक	1	
	2	पूर्व वर्ष के दौरान क्रय	2	
	3	पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय	3	
	4	अंतिम स्टाक	4	

	5	कमी/आधिक्य, यदि कोई हो	5	
	(ख) विनिर्माण समुत्थान की दशा में			
	6	कच्चा माल		
	क	आरंभिक स्टॉक	6	क
	ख	पूर्व वर्ष के दौरान क्रय	6	ख
	ग	पूर्व वर्ष के दौरान उपभोग	6	ग
	घ	पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय	6	घ
	ड	अंतिम स्टॉक	6	ड
	च	प्राप्त तैयार किए गए उत्पाद	6	च
	छ	प्राप्त का प्रतिशत	6	छ
	ज	कमी/आधिक्य, यदि कोई हो	6	ज
	7	तैयार उत्पाद/उपोत्पाद		
	क	आरंभिक स्टॉक	7	क
	ख	पूर्व वर्ष के दौरान क्रय	7	ख
	ग	पूर्व वर्ष के दौरान विनिर्मित मात्रा	7	ग
	घ	पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय	7	घ
	ड	अंतिम स्टॉक	7	ड
	च	कमी/आधिक्य, यदि कोई हो	7	च

भाग क- ओ एल	समापन के अधीन कम्पनी का प्राप्ति और संदाय खाता			
समापन के अधीन कम्पनी की प्राप्ति	1	आरम्भिक अतिशेष		
	i	हाथ नकदी	1i	
	ii	बैंक	1ii	
	iii	कुल आरम्भिक अतिशेष	1iii	

		<b>2</b> प्राप्तियां			
		i	ब्याज	2i	
		ii	लाभांश	2ii	
		iii	आस्तियों का विक्रय (कृपया प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)		
		क		2iiiक	
		ख		2iiiख	
		ग		2iiiग	
		घ	कुल (iiiक + iiiख + iiiग)	2iiiघ	
		iv	देय/ऋणी का वसूल करना	2iv	
		v	अन्य (कृपया बताएं क्या राजस्व/पूजीगत/प्रकृति एवं राशि)		
		क		2vक	
		ख		2vख	
		ग	कुल अन्य प्राप्तियां (vक + vख)	2vग	
		vi	कुल प्राप्तियां (2i + 2ii + 2iiiघ+ 2iv + 2vग)	2vi	
		<b>3</b>	कुल आरंभिक अतिशेष और प्राप्तियां		<b>3</b>
<b>4</b>	संदाय				
i	प्रतिभूत ऋण का प्रतिसंदाय	4i			
ii	अप्रतिभूत ऋण का प्रतिसंदाय	4ii			
iii	लेनदारों को प्रतिसंदाय	4iii			
iv	कमीशन	4iv			
v	अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)				
क		4vक			
ख		4vख			
ग	अन्य संदायों का योग (4vक + 4vख)	4vग			
vi	कुल संदाय (4i + 4ii + 4iii + 4iv + 4vग)	4vi			
<b>5</b>	अंत अतिशेष				
i	हाथ नकदी	5i			
ii	बैंक	5ii			
iii	कुल अंत अतिशेष (5i + 5ii)	5iii			
<b>6</b>	कुल अंत अतिशेष और संदाय (4vi + 5iii)		<b>6</b>		

## विवरणी प्ररूप की अनुसूचियां (यथा लाग भरें)

अनुसूची एच पी		गृहसंपत्ति से प्राप्त आय का ब्यौरा (कृपया अनुदेशों को देखें) (संपत्ति का स्वामित्व उपदर्शित करते हुए ड्राप डाउन का उपबंधित करें)									
गृहसंपत्ति	1	संपत्ति 1 का पता	नगर/शहर	राज्य	देश	पिन कोड / जिप कोड					
	क्या संपत्ति सह-स्वामित्वाधीन है ? हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> (यदि हां तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरें प्रविष्ट करें)										
	संपत्ति में निर्धारित अंश की प्रतिशतता% <input type="text"/>										
	सहस्वामी (स्वामियों) का नाम		सहस्वामी (स्वामियों) का स्थायी खाता संख्या क / आधार सं.			संपत्ति में अंश की प्रतिशतता(%)					
	I										
II											
		/लागू विकल्प पर <input checked="" type="checkbox"/> का निशान लगाएं] (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/>	किराएदार का नाम (यदि किराये पर हो)	किराएदार का स्थायी खाता संख्या (पैन)/आधार सं. (कृपया टिप्पण देखें)			किराएदार(रों) का पैन/टैन/ आधार सं. (यदि टीडीएस प्रत्यय का दावा किया गया है)				
		<input type="checkbox"/> यदि किराए पर हो	I								
		<input type="checkbox"/> किराये पर दिया हुआ समझा गया	II								
		क प्राप्त या प्राप्य सकल किराया या भाटकीय मूल्य				1क					
		ख किराए की रकम जो वसूल नहीं की जा सकती	1ख								
		ग स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर	1ग								
		घ योग (1ख + 1ग)	1घ								
		ङ वार्षिक मूल्य (1क - 1घ)				1ङ					
		च स्वामित्व संपत्ति का वार्षिक मूल्य (स्वामित्व भाग का प्रतिशत x 1ङ)				1च					
		छ 1च का 30%	1छ								
		ज उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज (विवरण ई-फाइलिंग उपयोगिता में दिए जाने वाले ड्राप डाउन में भरे जाने हैं)	1ज								
		झ योग (1छ + 2ज)				1झ					
		ञ वर्ष के दौरान प्राप्त बकाया / वसूल न होने वाला किराया घटा 30%				1ञ					
		ट गृहसंपत्ति 1 से आय (1च - 1झ + 1ञ)				1ट					
		(प्रत्येक संपत्ति के लिए पृथक रूप से ब्यौरा भरें।)									
	2	आय/हानि के माध्यम से पास, यदि कोई हो*				2					
	3	"गृहसंपत्ति से आय" शीर्ष के अधीन आय ( $\Sigma 1\text{ट} + 2$ ) (यदि नकारात्मक हो तो अनुसूची सीवाईएलए के 2अ का अंक लें )				3					
टिप्पण		यदि धारा 194अख के अधीन कर की कटौती होती है तो किराएदार का स्थायी खाता संख्यांक/ आधार सं. प्रस्तुत करना आज्ञापक है ।									
		यदि धारा 194अ के अधीन कर की कटौती होती है तो किराएदार का टैन प्रस्तुत करना आज्ञापक है ।									

अनुसूची - बीपी		कारबार या वृत्ति से आय की संगणना			
कारबार या वृत्ति से आय	असट्टे के कारबार और विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ति				
	1	लाभ और हानिलेखा के अनुसार कर से पूर्व लाभ (भाग क- पीओर एल की मद 53, 61(iii) और 62(ख) (भाग क- लाभ और हानि भारतीय लेखा मानकों के रूप में की मद 53) (यदि लागू हों)			1
	2क	1 में सम्मिलित असट्टे के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि (हानि की दशा में -चिह्न प्रविष्ट करें) (अनुसूचित ट्रेडिंग खाता या ट्रेडिंग-इंड एस खाता का क्रम संख्या 12बी) (जैसा लागू हो)	2क		
	2ख	1 में सम्मिलित धारा 35कघ के अधीन विनिर्दिष्ट कारबार से शुद्ध लाभ या हानि (हानि की दशा में (-) चिह्न प्रविष्ट करें)	2ख		
3	लाभ और हानि लेखा में जमा आय या पावती को आय के अन्य शीर्ष के अधीन या धारा 115खखच के अधीन या धारा 115खखछ के अधीन या धारा 115खखज के अधीन प्रभार्य समझा जाएगा	क	गृह संपत्ति	3क	
		ख	पूंजी अभिलाभ	3ख	
		ग	अन्य स्रोत	3ग	
		गा	लाभांश आय	3गा	
		गाii	लाभांश आय से भिन्न	3गाii	
		घ	115खखच के अधीन	3घ	
		ड	115खखछ के अधीन अधीन	3ड	
च	धारा 115खखज के अधीन अधिग्रहण की शुद्ध लागत (यदि कोई हो)	3च			
4क	1 में सम्मिलित लाभ या हानि, जो आय कर अधिनियम की धारा 44ख/44खख/44खखक/4खखख/44खखग/44कड./44घ/44घक/44घख/अध्याय 12ख/ पहली अनुसूची में निर्दिष्ट है (115ख से भिन्न) (ड्रॉपडाउन को उपबंधित करें)				4क
	4ख	धारा 115ख में निर्दिष्ट जीवन बीमा कारबार से लाभ और अभिलाभ			4ख
	4ग	नियम 7, 7क, 7ख (1), 7ख (1क) और 8 के अधीन आने वाले क्रियाकलापों से लाभ (ड्रॉपडाउन को उपबंधित करें)			4ग
	4घ	कच्चे हीरे बेचने के पात्र व्यवसाय से लाभ (नियम 10नझक देखें)			4घ
	5	(1 में सम्मिलित) लाभ और हानि लेखा में जमा आय, जो छूट प्राप्त है			
	क	फार्म/फर्मों से आय का अंश	5क		

	ख	एओपी/बीओए से आय के शेर	5ख				
	ग	कोई अन्य छूट प्राप्त आय (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्टकरें )					
	i		गां				
	ii		गाii				
	iii	कुल (गां + गाii)	5गाiii				
	घ	कुलआय पर छूट (5क + 5ख + 5गाiii)	5घ				
6	अतिशेष (1- 2क - 2ख - 3 क - 3ख - 3ग - 3घ -3ङ - 3च - 4- 5घ)					6	
7		लाभ और हानि लेखा में विकलित व्यय जो धारा 115खखच के अधीन या धारा 115खखछ के अधीन या धारा 115खखज के अधीन आय से संबंधित है आय के अन्य शीर्ष के अधीन प्रभार्य समझा जाएगा	क	गृह संपत्ति	7क		
			ख	पूंजी अभिलाभ	7ख		
			ग	अन्य स्रोत	7ग		
			घ	115खखच के अधीन	7घ		
			ङ	115खखछ के अधीन अधीन	7ङ		
	च	धारा 115खखज के अधीन अधिग्रहण की लागत के अतिरिक्त (यदि कोई हो)	7च				
8क	लाभ और हानिलेखा में विकलित व्यय जो कर छूट से संबंधित है				8क		
8ख	लाभ और हानि लेखा में विकलित व्यय, जो आय छूट से सम्बन्धित हैं, धारा 14क (भाग क-ओआई का 16) के अधीन अननुजात हैं				8ख		
9	कुल (7क + 7ख + 7ग + 7घ + 7ङ + 7च + 8क + 8ख)				9		
10	समायोजित लाभ या हानि(6+9)					10	
11	लाभ और हानिलेखा में विकलित अवक्षयण और अपकरण					11	
12	आयकर अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण						
	i	धारा 32(1) ii) और धारा 32(1)(ii क ) के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण (अनुसूची डीईपी का स्तंभ 6)	12i				
	ii	धारा 32(1)(i) के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण (आय कर नियम की परिशिष्ट 1 को निर्दिष्ट करते हुए स्वयं अपनी संगणना करें)	12ii				
	iii	कुल (12i + 12ii)			12iii		
13	अवक्षयण के लिए समायोजन के पश्चात लाभ या हानि (10 +11 - 12iii)					13	

14	धारा 36 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क- ओआई का 6ध)	14	
15	धारा 37 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क- ओआई का 7ट)	15	
16	धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क- ओआई का 8कज)	16	
17	धारा 40क के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानिलेखा में विकलित रकम (भाग क- ओआई का 9च)	17	
18	पूर्व वर्ष के लाभ और हानि लेखा में विकलित कोई रकम, किंतु जो धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय है (भाग क-ओआई का 11झ)	18	
19	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अधीन अननुज्ञेय ब्याज	19	
20	धारा 41 के अधीन समझी गई आय	20	
21	धारा 32कग /33कघ/ 33कख/ 33कखक/ 35कखक /35कखख/ 32कग/40क(3क)/ 33कग/ 72क/ 80जजघ/ 80झकके अधीन समझी गई आय	21	
22	धारा 43गक के अधीन समझी गई आय	22	
23	धारा 28 से 44घख के अधीन के अतिरिक्त कोई अन्य मद	23	
24	लाभ और हानि लेखा में सम्मिलित न की गई कोई अन्य आय / कोई अन्य व्यय जो अनुज्ञेय नहीं है (फर्मों से आय जिसमें कंपनी भागीदार है, वेतन, कमीशन बोनस और ब्याज सहित आय )	24	
25	आ.स.प्र.मा. समायोजन लेखा पर लाभ में बढ़त या हानि में कमी और स्टॉक मूल्यांकन के तरीके में बदलाव (स्तंभ 3क + अनुसूची क-ओआई का 4घ)	25	
26	कुल (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21+22 +23+24 + 25)	26	
27	धारा 32(1) (iii) के अधीन अनुज्ञेय कटौती	27	
28	धारा 32कग के अधीन कटौती के रूप में अनुज्ञेय रकम	28	
29	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम से अधिक धारा 35 या 35गगग या 35गगज के अधीन अनुज्ञेय कटौती (अनुसूची इएसआर का मद x (4) यदि धारा 35गगग या 35गगज के अधीन रकम लाभ और हानि लेखा की विकलित रकम से कम है तो यह मद 24 में जाएंगी)	29	
30	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय किंतु पूर्व वर्ष के दौरान अननुज्ञेय रकम (भाग क- ओआई का 8ख)	30	
31	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 43खके अधीन अननुज्ञेय किंतु वर्ष के दौरान अनुज्ञेय कोई रकम (भाग क- ओआई का 10झ)	31	
32	कटौती के रूप में अनुज्ञात कोई अन्य रकम	32	

	33	आ.स.प्र.मा. समायोजन लेखा पर लाभ में कमी या हानि में बढत कमी और स्टाक मूल्यांकन के तरीके में बदलाव (ओआइ का स्तंभ 3क + 4ड)	33		
	34	कुल(27+28+29+30+31+32+33)			34
	35	आय (13+26-34)			35
	36	कारबार या वृत्ति के लाभ या हानि निम्नलिखित के अधीन समझी जाएगी -			
	i	धारा 44कड (अनुसूची लाभ और हानि की 61(ii)ट	36i		
	ii	धारा 44ख	36ii		
	iii	धारा 44खख	36iii		
	iv	धारा 44खखक	36iv		
	vक	धारा 44खखख	36vक		
	vख	धारा 44खखग	36vख		
	vi	धारा 44घ	36vi		
	vii	धारा 44घक	36vii	(प्ररूप 3 ग.इ की मद4)	
	viii	अध्याय-XII-छ (सकल भार)	36viii	(प्ररूप 6 के मद 10 के स्तंभ 7 का कुल योग)	
	ix	आयकर अधिनियम की पहली अनुसूची (115ख से भिन्न)	36ix		
	x	कुल (36i से 36ix)			36x
	37	सट्टे और विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ति से शुद्ध लाभ या हानि (36 + 36भ)			37
	38	नियम 7क, 7ख या 7ग 8 यदि लागू हो, लागू करने के पश्चात् सट्टे के कारबार या विनिर्दिष्ट व्यवसाय से भिन्न कारबार या वृत्ति से शुद्ध लाभ या हानि (यदि नियम 7क, 7ख या 7ग 8 लागू नहीं है तो 35 की वही रकम यथा प्रविष्ट करें (38क + 38ख + 38ग + 38घ + 38ड + 38च)			अ38
	क	नियम 7 के अधीन समझी गई प्रभार्य आय	38क		
	ख	नियम 7क के अधीन समझी गई प्रभार्य आय	38ख		
	ग	नियम 7ख(1) के अधीन समझी गई प्रभार्य आय	38ग		
	घ	नियम 7ख(1क) के अधीन समझी गई प्रभार्य आय	38घ		
	ड	नियम 8 के अधीन समझी गई प्रभार्य आय	38ड		
	च	नियम 7क, नियम 7ख और नियम 8 के अधीन (मद सं. 37) से भिन्न आय	39च		
	39	वित्त अधिनियम [4ग -(38क+38ख+38ग+38घ+38ड)] के अनुसार आय के संकलन के प्रयोजन के लिए नियम 7, नियम 7क, नियम 7ख(1), नियम 7ख(1क) और नियम 8 लागू करने के पश्चात् कृषि से प्राप्त हुई समझी गई आय का अतिशेष			39

आसट्टे के कारबार से आय की संगणना			
40	लाभ या हानिलेखा के अनुसार सट्टे के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि	40	
41	धारा 28 से 44घख के अनुसार परिवर्धन	41	
42	धारा 28 से 44घख के अनुसार कटौतीयां	42	
43	सट्टे के कारबार से लाभ या हानि(40+ 41 - 42) (यदि हानि है तो अनुसूची सीएफएल का अंक 6 xvi/लें)	आ 43	
इ धारा 35कघ के अधीन विनिर्दिष्ट कारबार से आय की संगणना			
44	लाभ या हानिलेखा के अनुसार विनिर्दिष्ट कारबार से कुललाभ या हानि	44	
45	धारा 28 से धारा 44घख के अनुसार परिवर्धन		
46	धारा 28 से धारा 44घख के अनुसार कटौतीयां (धारा (i) 35कघ (ii) 32 या 35 जिसमें धारा 35कघ के अधीन कटौती का दावा किया गया के अधीन कटौती से भिन्न)	46	
47	विनिर्दिष्ट कारबार से लाभ या हानि (44 + 45 - 46)	47	
48	धारा 35कघ(1) के अनुसार कटौतीयां	48	
49	विनिर्दिष्ट कारबार से लाभ या हानि (47 - 48) (यदि हानि हो तो अनुसूची सीएफएल का अंक 7xvii लें )	<49	
50	धारा 35कघ की उपधारा (5) के ऐसे सुसंगत खंड जो विनिर्दिष्ट कारबार को सम्मिलित करते हैं (ड्राप डाउनमेन्ट्यू से चयन करने के लिए )	<50	
ई लाभ और हानि शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (अ38+आ43+इ49)			
उ चालू वर्ष में कारबार हानि का अंतःशीर्ष मुजरा			
क्र. सं.	कारबार आय का प्रकार	चालू वर्ष की आय (इस स्तंभ को उसी दशा में भरें यदि अंक शून्य या सकारात्मक है)	कारबार हानि मुजरा
		(1)	(2)
			(3) = (1) - (2)
i	हानि का मुजरा(इस पंक्ति को तभी भरें यदि अंकन सकारात्मक है)		(क38)
ii	सट्टे के कारबार से आय	(ख43)	
iii	विनिर्दिष्ट कारबार से आय	(ग49)	
iv	धारा 115 ख के अधीन जीवन बीमा व्यवसाय से आय	(4ख)	
iv क	कच्चे हीरे के विक्रय के पात्र व्यवसाय से विदेशी कंपनी की आय (नियम 10TIA देखें)	(4घ)	
v	कुल हानि मुजरा (ii + iii)		
vi	मुजरा पश्चात् हानि (i - v)		

अनुसूची - डीपीएम		संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण (उन आस्तियों से भिन्न जिन पर पूर्ण पूंजी व्यय किसी अन्य धारा के अधीन कटौती के रूप में अनुज्ञेय है )			
संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण	1 आस्तियों का ब्लाक	संयंत्र और मशीनरी			
	2 दर (%)	15	30	40	45
		(i)	(ii)	(iii)	(iv)
	3 पूर्व वर्ष के पहले दिन अवलिखित मूल्य				
	4 पूर्व वर्ष में 180 दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए परिवर्धन				
	5 3 या 4 में से पूर्व वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य निर्माण				
	6 रकम जिस पर पूरी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा(3+4-5) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें )				
	7 पूर्व वर्ष में 180 दिनों से कम की अवधि के लिए परिवर्धन				
	8 7 में से वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य निर्माण				
	9 रकम जिस पर आधीदर से अवक्षयण पूरी दर से अनुज्ञेय होगा(7-8) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)				
	10 पूरी दर से 6 पर अवक्षयण				
	11 आधी दर से 9 पर अवक्षयण				
	12 4 पर अतिरिक्त अवक्षयण, यदि कोई हो				
	13 7 पर अतिरिक्त अवक्षयण, यदि कोई हो				
	14 आस्ति जिसका 180 दिन से कम प्रयोग किया गया है, पर ठीक पूर्ववर्ती वर्ष के संबंध में अतिरिक्त अवक्षयण				
	15 कुल अवक्षयण * (10+11+12+13+14)				
	16 आयकर अधिनियम की धारा 38(2) के अधीन अननुज्ञात अवक्षयण (स्तंभ 15 के बाहर)				
	17 शुद्ध सकल अवक्षयण (15-16)				
18 अंतरवर्तन, समामेलन, निर्विलयन आदि की स्थिति में अनुज्ञात अनुपाति सकल अवक्षयण ( स्तंभ 17 के बाहर)					

19	आस्ति/ आस्तियों के अंतरण के संबंध में उपगत व्यय				
20	धारा 50 के अधीन पूंजी अभिलाभ/हानि (5+8-3-4-7-19) (केवल नकारात्मक लिखें यदि ब्लॉक नहीं रहता है)				
21	पूर्व वर्ष के अंतिम दिन अवलिखित मूल्य* (6+9-15) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें )				

अनुसूची डीओए- अन्य आस्तियों पर अवक्षयण अन्य आस्तियों पर अवक्षयण ( उन आस्तियों से भिन्न जिन पर पूर्ण पूंजी व्यय कटौती के रूप में अनुज्ञेय है )

1	आस्तियों का ब्लाक	भूमि	भवन (जिसमें भूमि सम्मिलित नहीं है)			फर्नीचर और फिटिंग	अमूर्त आस्तियां	पोत
			5	10	40			
2	दर (%)	शून्य	5	10	40	10	25	20
		(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
3	पूर्व वर्ष के पहले दिन अवलिखित मूल्य							
4	पूर्व वर्ष में 180 दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए परिवर्धन							
5	3 या 4 में से पूर्व वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य निर्मोचन							
6	रकम जिस पर पूरी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा (3+4-5) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)							
7	पूर्व वर्ष में 180 दिनों से कम की अवधि के लिए परिवर्धन							
8	7 में से वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य निर्मोचन							
9	रकम जिस पर आधी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा (7-8) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)							
10	पूरी दर से 6 पर अवक्षयण							
11	आधी दर से 9 पर अवक्षयण							
12	कुल अवक्षयण * (10+11)							
13	आय-कर अधिनियम की धारा 38(2) के अधीन अननुज्ञात अवक्षयण (स्तंभ 12 के बाहर)							
14	शुद्ध सकल अवक्षयण (12-13)							

15	अंतरवर्तन, समामेलन, निर्विलयन आदि की स्थिति में अनुज्ञात अनुपाति सकल अवक्षरण (स्तंभ 14 के बाहर)							
16	आस्ति/आस्तियों के अंतरण के संबंध में उपगत व्यय							
17	धारा 50 के अधीन पूंजी अभिलाभ/हानि (5 + 8 -3-4 -7 -16) (केवल नकारात्मक लिखें यदि ब्लॉक नहीं है)							
18	पूर्व वर्ष के अंतिम दिन अवलिखित मूल्य* (6+ 9 -12) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें )							

अनुसूची - डीईपी		आस्तियों पर अवक्षयण का सार (किसी अन्य धारा के अधीन उन आस्तियों से भिन्न जिन पर पूर्ण पूंजी व्यय कटौती के रूप में अनुज्ञेय है)						
आस्तियों पर अवमूल्यण का सार	1	संयंत्र और मशीनरी						
		क	15% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 17i या 18i जैसा लागू है )	1क				
		ख	30% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 17ii या 18ii जैसा लागू है )	1ख				
		ग	40% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 17iii या 18iii जैसा लागू है )	1ग				
		घ	45 प्रतिशत की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम-17iv अथवा 18iv जैसा लागू हो)	1घ				
		ङ	संयंत्र और मशीनरी पर कुल अवक्षयण (1क+1ख+1ग + 1घ)			1ङ		
		2	भवन (जिसमें भूमि सम्मिलित नहीं है)					
			क	5% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 14ii या 15ii जैसा लागू है )	2क			
			ख	10% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 14iii या 15iii जैसा लागू है )	2ख			
			ग	40% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 14iv या 15iv जैसा लागू है )	2ग			

	घ	भवन पर कुल अवक्षयण(योग (2क + 2ख + 2ग)	2घ	
3		फर्नीचर और फिटिंगें (अनुसूची डीओए 14v या 15v जैसा लागू हो)	3	
4		अमूर्त आस्तियां (अनुसूची डीओए 14vi या 15vi जैसा लागू हो)	4	
5		पोत (अनुसूची डीओए 14vii या 15vii जैसा लागू हो)	5	
6		कुल अवक्षयण (1ङ +2घ+3+4+5)	6	

अनुसूची - डीसीजी		अवक्षयण योग्य आस्तियों के विक्रय पर समझे गए पूंजी अभिलाभ		
1	संयंत्र और मशीनरी			
	क	15% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम20i)	1क	
	ख	30% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 20ii)	1ख	
	ग	40% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 20iii)	1ग	
	घ	45 प्रतिशत की दर से अवक्षयण के लिए हकदार पात्र ब्लाक (अनुसूची डीपीएम-20iii)	1घ	
	ङ	कुल (1क+1ख+1ग + 1घ)	1ङ	
2	भवन (जिसमें भूमि सम्मिलित नहीं है)			
	क	5% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 17ii)	2क	
	ख	10% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 17iii)	2ख	
	ग	40% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 17iv)	2ग	
	घ	योग (2क + 2ख + 2ग)		2घ
3	फर्नीचर और फिटिंगें (अनुसूची डीओए 17v)			3
4	अमूर्त आस्तियां (अनुसूची डीओए 17vi)			4
5	पोत (अनुसूची डीओए 17vii)			5
6	कुल (1ङ +2घ+3+4+5)			6

अनुसूची - इएसआर वैज्ञानिक अनुसंधान आदि पर व्यय (धारा 35 या धारा 35गगग या धारा 35गगघ के अधीन कटौती)

क्रम सं.	धारा में निर्दिष्ट प्रकृति का व्यय (1)	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम, यदि कोई हो (2)	अनुज्ञेय कटौती की रकम (3)	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकमसे अधिक कटौती की रकम (4) = (3) - (2)
i	35(1)(i)			
ii	35(1)(ii)			
iii	35(1)(ii क )			
iv	35(1)(iii)			
v	35(1)(iv)			
vi	35(2कक)			
vii	35(2कख)			
viii	35गगग			
ix	35गगघ			
x	योग			

टिप्पण यदि धारा 35(1)(ii) या धारा 35(1)(iiक) या धारा 35(1)(iii) या धारा 35(2कक) के अधीन किसी कटौती का दावा किया गया है तो कृपया अनुसूची दक के अनुसार ब्यौरे दें

अनुसूची-सीजी		पूँजी अभिलाभ					
पूँजी अभिलाभ	क	लघु अवधि पूँजी अभिलाभ (एसटीसीजी) (उपमद 4 और उपमद 5 निवासियों के लिए लागू नहीं है)					
	लघुअवधि पूँजी अभिलाभ	1	भूमि या भवन या दोनों के विक्रय से (प्रत्येक संपत्ति के लिए पृथक रूप से ब्यौरे भरे)/सह-स्वामित्व की दशा में अपने पूँजी अभिलाभ अंश प्रविष्ट करें				
		क	i	प्राप्त/प्राप्य प्रतिफल का पूरा मूल्य	का		
				क्रय/अर्जन की तारीख	दिवि/मामा/वव	विक्रय अंतरण की तारीख	दिवि/मामा/वव
			ii	स्टांप मूल्यांकन प्राधिकारी के अनुसार संपत्ति का मूल्य		काii	
			iii	पूँजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50ग के अनुसार अंगीकृत प्रतिफल का पूरा मूल्य [यदि (काii) 1.10 गुणा (का), से अधिक नहीं है तो इस आंकड़ों को (का) के रूप में लें या अन्यथा (काii) के रूप में लेंट		काiii	
			ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां			
			i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत		खा	
			ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत		ख ii	
			iii	पूर्णतया और अनन्यतः अंतरण के संबंध में व्यय		ख iii	

			iv	योग ( खां + खांii + खांiii)				ख iv		
		ग	अतिशेष कांiii - ख iv)				1 ग			
		घ	धारा 54ख/54छक के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)				1घ			
		ड	स्थावर संपत्ति पर लघु अवधि पूंजी अभिलाभ (1ग- 1 घ)						क 1 ड	
		च	स्थावर संपत्ति के अंतरण की दशा में कृपया निम्नलिखित ब्यौरे दें (टिप्पण देखें)							
			क्र. सं.	क्रेता(क्रेताओं) के नाम	क्रेता(क्रेताओं) का पैना/ आधार सं.	शेयर प्रतिशत	रकम	संपत्ति का पता, देश कोड, जिप कोड	पिन कोड	राज्य
			टिप्पण ▶	यदि कर धारा 194झक के अधीन काटा गया है तो पैना/ देना अनिवार्य है एक से अधिक क्रेता की दशा में कृपया सम्बन्धित शेयर प्रतिशत और रकम उपदर्शित करें						
		2	स्लंप बिक्री से							
		क	i	नियम 11प.क.ड(2) के अनुसार उचित बाजार मूल्य			2का			
			ii	नियम 11प.क.ड(3) के अनुसार उचित बाजार मूल्य			2काii			
			iii	प्रतिफल का पूरामूल्य (कां या कांii का अधिकतम)			2काiii			
		ख	वचनबंध या विभाजन का शुद्ध मूल्य			2ख				
		ग	स्लंप के विक्रय से लघु अवधि पूंजी अभिलाभ (2काiii - 2ख)						क 2ग	
		3	इक्विटी शेयर या पारस्परिक निधि (एमएफ) उन्मुख इक्विटी की इकाई से, या कारबार न्यास की इकाई, जिस पर धारा 111क या धारा 115कघ(1)(ii) के परंतुक (विदेशी के लिए ) के अधीन एसटीटी संदत किया गया है (जहां क4 लागू नहीं होता)				जहां अंतरण 23 जुलाई, 024 से पहले होता है	जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् होता है		
		क	प्रतिफल का पूरामूल्य			3 क	3डii			
		ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां							
			i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत			खां			
			ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत			ख ii			
			iii	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय			ग iii			
			iv	योग (i + ii + iii)			ख iv			

			ग	शेष(3 क - ख iv)	3ग					
			घ	धारा 94(7) या धारा 94(8)- के अधीन अननुज्ञेय हानि- उदाहरण के लिए यदि आस्ति को अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय/अर्जित किया जाता है और लाभांश /आय/बोनस युनिटों को प्राप्त किया जाता है तब ऐसी आस्ति के विक्रय से उद्भूत हानि की अनदेखी की जाएगी (केवल सकारात्मक मूल्य दर्ज करें )	3घ					
			ङ	साम्या शेयर या साम्या उन्मुख एमएफ पर लघु अवधि पूंजी अभिलाभ (एसटीटी संदत्त) (3 ग +3घ)	3ङ				क3ङ	
		4	अनिवासीयों के लिए जो एफआईआई नहीं है किसी भारतीय कंपनी के शेयरों या लाभांशों के विक्रय से (जिसकी संगणना धारा 48 के प्रथम परंतुक के अधीन विदेशी मुद्रा समायोजन के साथ की जाएगी)							
			क	संव्यवहारों पर एसटीसीजी जिन पर प्रतिभूति संव्यवहार कर ( एसटीटी) धारा 111क के अधीन (क4का + क4काii) संदत्त किया गया है				क 4	क	
				i	जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले होता है		क4का			
				ii	जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् होता है		क4काii			
			ख	क्रम संख्या 4ए में शामिल न किए गए शेयरों के विक्रय या डिबेंचर के विक्रय से एसटीसीजी				क	4ख	
		5	अनिवासीयो की दशा में-धारा 115कघ के अनुसार किसी एफआईआई द्वारा प्रतिभूतियों के विक्रय (उपर A 3 से भिन्न)							
			क	i	प्रतिभूतियों जिनमें कोटा किए जाने वाले शेयर के अतिरिक्तकंपनी के शेयर सम्मिलित है, के विक्रय की दशा में निम्नलिखित ब्यौरा दीजिए:-					
				क	कोट नहीं किए जाने वाले शेयर के संबंध में प्राप्त/प्राप्त करने योग्य प्रतिफल का पूरामूल्य *		क			
				ख	विहित रीति से अवधारित कोट न किए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य		ख			
				ग	पूंजी अभिलाभ के उद्देश्यके लिए धारा 50गक के अनुसार कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य (क या ख से अधिक)		ग			
				ii	कोट न किए जाने वाले शेयरों के अतिरिक्त प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूरामूल्य		का			
				iii	कुल (ग + ii)		क iii			
			ख	धारा 48 के अधीनकटौतियां						
				i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत		खा			

			ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii		
			iii	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iii		
			iv	योग (i + ii + iii)	ख iv		
	ग	शेष (5 क iii- ख iv)			5ग		
	घ	धारा 94(7) या धारा 94(8)- के अधीन अननुज्ञेय हानि- उदाहरण के लिए यदि आस्ति को अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय/अर्जित किया जाता है और लाभांश/ आय/बोनस युनिटों को प्राप्त किया जाता है तब ऐसी आस्ति के विक्रय से उद्भूत हानि की अनदेखी की जाएगी (केवलसकारात्मकमूल्यदर्ज करें )			5घ		
	ङ	साम्या शेयर या साम्या उन्मुख एमएफ पर लघु अवधि पूंजी अभिलाभ ( एसटीटीसंदत) (3 ड+3घ)			क 5 ङ		
6	पूर्वोक्त क 1 या क 2 या क 3 या क 4 या क 5 से भिन्न आस्तियों के विक्रय से						
	क	i	आस्तियों, जिनमें कोटा किए जाने वाले शेयर के अतिरिक्त कंपनी के शेयर सम्मिलित हैं, के विक्रय की दशा में निम्नलिखित ब्यौरा दीजिए:-				
		क	कोटा नहीं किए जाने वाले शेयर के संबंध में प्राप्त/प्राप्त करने योग्यप्रतिफल का पूरामूल्य *	क			
		ख	विहित रीति से अवधारित कोट न किए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य	ख			
		ग	पूंजी अभिलाभ के उद्देश्यके लिए धारा 50क के अनुसार कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूरामूल्य (क या ख से अधिक)	ग			
		ii	कोट न किए जाने वाले शेयरों के अतिरिक्त आस्तियों के संबंध में प्रतिफल का पूरामूल्य	कii			
		iii	कुल (ग + ii)	क iii			
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां					
		i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	खा			
		ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii			
		iii	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iii			
		iv	योग (i + ii + iii)	ख iv			
	ग	शेष(6 क iii - खiv)			6 ग		
	घ	धारा 94(7) या धारा 94(8)-के अधीन अननुज्ञेय हानि- उदाहरणके लिए यदि आस्ति को अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय/अर्जित किया जाता है और लाभांश /आय /बोनस युनिटों को प्राप्त किया जाता है तब ऐसी आस्ति के विक्रय से उद्भूतहानि की अनदेखी की जाएगी (केवलसकारात्मकमूल्यदर्ज करें )			6घ		
	ङ	अवक्षणी आस्तियों पर माना गया अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ ( अनुसूची डीसीजी का 6)			6ङ		

		च	धारा 54छ/54छक के अधीन कटौती	6च				
		छ	पूर्वोक्त क 1 या क 2 या क 3 या क 4 या क 5 से भिन्न आस्तियों पर एसटीसीजी (6 ग+ 6घ + 6 ङ + 6 च)		क	6छ		
		7	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि					
		क	क्या नीचे दिखाए गए पूर्व वर्षों के दौरान अंतरित आस्तियों पर पूंजी अभिलाभ की <b>उपयोग में नहीं लायी जा सकी</b> किसी राशि को उस वर्ष के लिए देय तारीख के भीतर पूंजी अभिलाभ खाता स्कीम में जमा किया गया है? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> लागू नहीं होता, यदि हां, तो ब्यौरा उपलब्ध कराएं					
			क्रमसं.	पूर्ववर्ष में जिसमें आस्तियां अंतरित की गई है	वह धारा जिसके अधीन उस वर्ष में कटौती का दावा किया गया है	नईआस्तियां अर्जित/निर्मित की गई है पूर्व वर्ष जिसमें आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई है	पूंजी अभिलाभ खाता में से उपयोग की गई नईराशि	नई आस्तियों के लिए उपयोग नहीं की गई या पूंजी अभिलाभ खाता (x) में उपयोग में नहीं लाई गई बची हुई राशि
			i	2021-22	54छ/54छक			
			ii	2022-23	54छ/54छक			
			iii	2023-24	54छ/54छक			
		ख	धारा 54 ख /54 घ /54 छ / 54 छक से भिन्न लघु अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि					
			धारा (xi+xii+xiii+ख) लघु अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि				क7	
		8	अल्पावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए प्राप्त (अनुसूची पीटीआई भरें) (क8क+ क8ख+क8ग)				क8	
		का	15%की दर से प्रभार्य अल्पावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास			क8क/		
		काii	अल्पावधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में पास-थू आय/हानि, 20% की दर से प्रभार्य			क8कii		
		ख	30% की दर से प्रभार्य अल्पावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास			क8ख		
		ग	लागू दरों पर प्रभार्य अल्पावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास			क8ग		

	9	एसटीसीजी की रकम जो क1-क8 में सम्मिलित है पर डीटीए के अनुसार भारत में दावाकृत कर प्रभार्य										
		क्रमसं..	आय की राशि	उपरोक्त मद सं.. क 1 से क 8 जिसमें सम्मिलित है	देश का नाम और कोड	डीटीए की धारा	संधि के अनुसार दर (यदि प्रभार्य नहीं है)	क्या टीआरसी प्राप्त है ( हो/नहीं)	आय-कर अधिनियम की धारा	आय-कर अधिनियम के अनुसार दर	लागू दर [ निम्न-तर(७) या(९)]	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
		I										
नहीं है या विशेष दर पर कर प्रभार्य है:												
	क	डीटीएके अधीन भारत में एसटीसीजी दावाकृत प्रभार्य कर की कुलराशि									क9क	
		ख	डीटीए के अनुसार भारत में विनिर्दिष्ट दरों पर दावाकृत कर से प्रभार्य एसटीसीजी की कुल रकम									क9ख
			1 अक्टूबर, 2024 को या उसके पश्चात् शेरों के क्रय वापसी पर पूंजी हानि [अल्प कालिक 20 % या 30 % या लागू दर पर ]									
	क (क)	(दावा तभी किया जा सकता है जब धारा 2(22)(च) के तहत संबंधित लाभांश आय की पेशकश की जाती है) (तभी दावा की जा सकेगी यदि धारा (2) (22) (च) के अधीन संबंधित लाभांश आप प्रस्तावित है।)										
दीर्घअवधि पूंजी अभिलाभ	10	कुल लघुअवधि पूंजी अभिलाभ (अ1ड+ अ2ग+ अ3ड+ अ4क+ अ4ख+ अ5ड+ अ6छ + अ7+ अ8- अ9क)									क10	
	ख	दीर्घअवधि पूंजी अभिलाभ (एलटीसीजी) (निवासियों के लिए उप-मद, 6, 7 और 8 लागू नहीं है)										
	1	भूमि या भवन या दोनों के विक्रय से (क से च तक प्रत्येक संपत्ति के लिए ब्यौरे पृथक रूप से भरें) (सह स्वामित्व के मामले में, पूंजी अभिलाभ के अपने शेर भरें)										
		क्रय/अर्जन की तारीख			दिन/मास/वर्ष			विक्रय/अंतरण की तारीख			दिन/मास/वर्ष	
	क	i	प्राप्त/प्राप्य प्रतिफल का पूरामूल्य					आ				
		ii	स्टॉप मूल्यांकन प्राधिकारी के अनुसार संपत्ति का मूल्य					आii				
		iii	पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50ग के अनुसार अंगीकृतप्रतिफल का पूरामूल्य [यदि (काii) 1.10 गुणा (का), से अधिक नहीं है तो इस आंकड़े को (का)के रूप में लें या अन्यथा (काii) लें					आiii				
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां										
		i	बिना सूचीकरण अर्जन की लागत					खा				
		ii	सूचीकरण के साथ अर्जन की लागत (केवल 23 जुलाई, 2024 से पूर्व अंतरण के लिए लागू )					खा क				
	iiख	सुधार की कुल लागत					खाii ख					

			(क) बिना सूचीकरण अर्जन की लागत						
			(ख) सुधार का वर्ष						
			(ग) सूचीकरण के साथ सुधार की लागत (केवल 23 जुलाई, 2024 को पूर्व अंतरणों के लिए ख & ग लागू )	खii	ख (ग)				
			पंक्ति जोड़ें						
			iii पूर्णतया और अन्यतः अंतरण के संबंध में व्यय	ख iii					
			कुल (जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व किया जाता है खांक + $\Sigma$ खांख (ग) + ख iii ;						
			iv (कुल (जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पश्चात् किया जाता है खां + $\Sigma$ खांख(क) + ख iii)	ख ivi					
		ग	शेष ( क iii - ख iv)	1ग					
		घ	धारा 54घ / 54डग/54छ /54छक के अधीन कटौती (नीचे मद घ में निर्दिष्ट ब्यौरे)	1घ					
		ड	स्थावर संपत्ति पर दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ (1ग- 1 घ)					आ1 ड	
		च	अचल संपत्ति के अंतरण की दशा में, कृपया निम्नलिखित ब्यौरे दें (टिप्पण देखें)						
		टिप्पण	यदि कर धारा 194झक के अधीन काटा गया है तो पैन्/ आधार नं.देना अनिवार्य है, या दस्तावेज में क्रेता द्वारा उत्कथित । एक से अधिक क्रेता की दशा में कृपया सम्बन्धित शेयर प्रतिशत और रकम उपदर्शित करें ।						
		छ.-	अचल संपत्ति पर कुल दीर्घावधि पूंजी अभिलाभ ( $\Sigma$ आ1ड.) जहां अंतरण- (क) 23 जुलाई, 2024 से पूर्व किया गया था (23 जुलाई, 2024 से पूर्व अंतरित सभी संपत्तियों पर पूंजी अभिलाभ की राशियां) (ख) 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् (23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् अंतरित सभी संपत्तियों पर पूंजी अभिलाभ की राशियां)						
		2	स्लंप बिक्री से			जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 (i) से पूर्व किया गया था।	जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 (ii) से पश्चात् किया गया था।		
		क	i नियम 11प.क.ड (2)के अनुसार उचित बाजार मूल्य	2क					

			ii	नियम 11प.क.ड (3)के अनुसार उचित बाजार मूल्य	2कii				
			iii	प्रतिफल का पूरा मूल्य (कांया क iiका अधिकतम )	2कiii				
		ख		वचनबंध या विभाजन का शुद्ध मूल्य	2ख	(प्ररूप 3इ3आ का 6(ड.))	(प्ररूप 3इ3आ का 6(ड.))		
		ग		शेष (2कiii - 2ख)	2ग				
		घ		धारा 54ड.ग के अंतर्गत कटौती	2घ				
		ड		स्लंप के विक्रय से दीर्घावधि पूंजी अभिलाभ (2ग-2घ)		आ2ड.i	आ2ड.ii	ख2ड	
		3		असूचीबद्ध बंधपत्रों या असूचीबद्ध डिबेंचरों के विक्रय से, निवास से (सरकार द्वारा जारी पूंजी सूचीबद्ध बंध पत्रों से भिन्न) (केवल वहीं होगा लागू जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व हुआ था)					
			क	प्रतिफल का पूरा मूल्य	3क				
			ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां					
			i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	खा				
			ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii				
			iii	पुर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iii				
			iv	योग (खा + खii + खiii)	ख iv				
			ग	बंधपत्रों या डिबेंचरों पर दीर्घावधि पूंजी अभिलाभ (3क - 3ख iv)				ख 3ग	
		4		धारा 112(1) के अनुसार, सूचीबद्ध प्रतिभूतियां (किसी यूनिट से भिन्न) या शून्य कूपन बंधपत्रों से		जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 (i) से पूर्व किया गया था।	जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 (ii) को या पश्चात् किया गया था।		
			क	प्रतिफल का पूरा मूल्य	4क				
			ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां					
			i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत					
			ik	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत (जहां अंतरण 23 जुलाई 2024 से पूर्व हुआ था, केवल अतिरिक्त कर की गणना के प्रयोजन के लिए लागू है जिसे 112(1) के परंतुक के अनुसार ध्यान नहीं दिया जाएगा)	खा				
			ii	सूचीकरण के साथ सुधार की लागत	खii				
			ik	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत (जहां अंतरण 23 जुलाई 2024 से पूर्व हुआ था, केवल अतिरिक्त कर की गणना के प्रयोजन के लिए लागू है जिसे 112(1) के परंतुक के अनुसार ध्यान नहीं दिया जाएगा)					
			iii	पुर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	खiii				

			iv कुल (जहाँ अंतरण 23 जुलाई 2024 से पूर्व हुआ था, खां +खांii + खांiii)  (जहाँ अंतरण 23 जुलाई 2024 को या उसके पश्चात् हुआ था, खां +खांii + खांiii)	खiv			
			ivक कुल (खांक + खांिक + खांiii) (धारा 112(1) के उपबंध के अनुसार अधिकता की गणना के प्रयोजन के लिए) (जहाँ अंतरण 23 जुलाई 2024 से पूर्व हुआ हो, वहाँ लागू)	खivक			
		ग	ख4 पर आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ जहाँ अंतरण (4क - 4ख iv)  i. 23 जुलाई 2024 से पूर्व,  ii. 23 जुलाई 2024 को या उसके पश्चात्				आ4ग
		गक	उपरोक्त ख4 पर आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ जहाँ अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व हुआ था (4गक -खivक)  (धारा 112(1) के परंतुक के अनुसार अतिरिक्त कर की गणना के उद्देश्य के लिए)				आ4गक
		घ	धारा 112(1)(क) (ii) (क) या 112(1) (ग) (ii) (क) के अनुसार कर [सूचीकरण के साथ 20% पर एलटीसीजी] [B4(गां)*20%]  (जहाँ अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व हुआ था लागू होगा)				आ4घ
		ड.	धारा 112(1) के पहले परंतुक के अनुसार कर [सूचीकरण के बिना 10% पर एलटीसीजी] [ख4(गक)*10%]  (जहाँ अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व हुआ था, लागू होगा)				आ4ड.
		च	अतिरिक्त राशि जिसे धारा 112(1) [ख4(घ) - ख4(ड.)] के पहले परंतुक के अनुसार ध्यान नहीं दिया जाना अपेक्षित है  (जहाँ अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व हुआ था लागू होगा)				आ4च
		5	किसी कम्पनी में साधारण शेयर के विक्रय या साधारण अभिन्यास निधि इकाई या किसी कारबार न्यास की इकाई से जिस पर धारा 112क के अधीन एस टी टी संदत्त है				
			उपरोक्त ख5 पर पूंजीगत परिसंपत्तियों की बिक्री पर दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ (अनुसूची 112क का स्तंभ 14)				आ5
		i	स्तंभ 14 का योग जहाँ अंतरण 23 जुलाई 2024 से पूर्व हुआ था				आ5i
		ii	स्तंभ 14 का योग जहाँ अंतरण 23 जुलाई 2024 को या उसके पश्चात् हुआ था				आ5ii
		6	अनिवासीयो के लिए- भारतीय कंपनी के शेयरों या डिबेंचरों की विक्रय से (धारा 48 के प्रथम परंतुक के अधीन विदेशी मुद्रा समायोजन के साथ संगणित किया जाएगा)				
			सूचीकरण लाभ के बिना गणना की गई एलटीसीजी, जहाँ हस्तांतरण था				आ6
		i.	23 जुलाई 2024 से पूर्व - सूचीबद्ध डिबेंचर				आ6i
		ii.	23 जुलाई 2024 से पूर्व - सूचीबद्ध डिबेंचर के अतिरिक्त				आ6ii
		iii.	23 जुलाई 2024 को या उसके पश्चात् (केवल सूची-असूचीबद्ध शेयर या सूचीबद्ध डिबेंचर)				आ6iii

7	अनिवासीयों के लिए- (i) धारा 112(1)(ग), के अनुसार असूचीबद्ध प्रतिभूतियां, (ii) धारा 115कख में निर्दिष्ट यूनिटों		जहां स्थानांतरण 23 जुलाई 2024 से पूर्व हुआ हो (i)	जहां स्थानांतरण 23 जुलाई 2024 को या उसके पश्चात् हुआ हो (ii)	
	(iii) धारा 115कग में निर्दिष्ट बंधपत्रों या जीडीआर, (iv) धारा 115कघ में निर्दिष्ट एफआईआई प्रतिभूतियां  टिप्पण: क्रम संख्या (iv) के लिए, स्थानांतरण की तिथि के आधार पर आय का विवरण आवश्यक नहीं है।				
क	i	प्रतिभूतियों जिनमें कोटा किए जाने वाले शेयर के अतिरिक्त कंपनी के शेयर सम्मिलित हैं, के विक्रय की दशा में निम्नलिखित ब्यौरा दीजिए:-			
		क कोटा नहीं किए जाने वाले शेयर के संबंध में प्राप्त/प्राप्त करने योग्य प्रतिफल का पूरामूल्य *	i	क	
		ख विहित रीति से अवधारित कोट न किए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य		ख	
	ii	ग पूंजी अभिलाभ के उद्देश्य के लिए धारा 50गक के अनुसार कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूरामूल्य (क या ख से अधिक)		ग	
		कोट न किए जाने वाले शेयरों के अतिरिक्त प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूरामूल्य	क	ii	
	iii	कुल (ग + ii)	क	iii	
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां			
	i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख	i	
		सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख	ii	
		पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख	iii	
योग (ख i + ख ii + ख iii)		ख	iv		
ग	अनिवासीयों की दशा में आस्तियों पर उपर 7 पर दीर्घावधि पूंजी अभिलाभ (क iii - ख iv)  (i) जहां अंतरण 23 जुलाई 2024 से पूर्व हुआ था [7(i), 7(ii) और 7(iii) के लिए लागू (ii) जहां अंतरण 7(i), 7(ii) और 7(iii) के लिए 23 जुलाई को या उसके पश्चात् हुआ था (iii) धारा 115कघ में निर्दिष्ट एफआईआई द्वारा प्रतिभूतियों की बिक्री से			आ7ग आ7गा आ7गii आ7गiii	
8	अनिवासीयों के लिए किसी कम्पनी में साधारण शेयर के विक्रय या साधारण अभिन्यास निधि इकाई या किसी कारबार न्यास की इकाई से जसि पर धारा 112क के अधीन एस टी टी संदत्त है				
	उपरोक्त ख8 पर पूंजीगत आस्तियों की बिक्री पर दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ (धारा 115कघ(1)(ख)(iii) का स्तंभ 14) (8ii+8ii)				आ8

		i	स्तंभ 14 का योग जहां अंतरण 23 जुलाई 2024 से पूर्व हुआ था	आ8i		
		ii	स्तंभ 14 का योग जहां अंतरण 23 जुलाई 2024 को या उसके पश्चात् हुआ था	आ8ii		
	9		आस्तियों के विक्रय से जहां उपरख 1 से ख 8 लागू नहीं होते हैं	जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व हुआ था(i)	जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् हुआ हो(ii)	
	क	i	आस्तियों जिनमें कोटा किए जाने वाले शेयर के अतिरिक्त कंपनी के शेयर सम्मिलित हैं, के विक्रय की दशा में निम्नलिखित ब्यौरा दीजिए:-			
		क	कोटा नहीं किए जाने वाले शेयर के संबंध में प्राप्त/प्राप्त करने योग्य प्रतिफल का पूरामूल्य	क		
		ख	विहित रीति से अवधारित कोट न किए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य	ख		
		ग	पूँजी अभिलाभ के उद्देश्य के लिए धारा 50गक के अनुसार कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूरामूल्य (क या ख से अधिक)	ग		
		ii	कोट न किए जाने वाले शेयरों के अतिरिक्त आस्तियों के संबंध में प्रतिफल का पूरामूल्य			
		iii	कुल (ग + ii)	क iii		
	ख		धारा 48 के अधीन कटौतियां			
		i	23 जुलाई 2024 से पूर्व अंतरण के लिए सूचीकरण के साथ अधिग्रहण की लागत और 23 जुलाई 2024 को या उसके पश्चात् अंतरण के लिए सूचीकरण के बिना	खा		
		ii	23 जुलाई 2024 से पूर्व अंतरण के लिए सूचीकरण के साथ सुधार की लागत और 23 जुलाई 2024 को या उसके पश्चात् अंतरण के लिए इंडेक्सेशन के बिना सुधार की लागत	ख ii		
		iii	पुर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iii		
		iv	योग ( खा + ख ii + ख iii)	ख iv		
	ग		शेष (9 क iii - खiv)	9ग		
	घ		धारा 54घ/धारा 54छ /धारा 54क के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे निर्दिष्ट करें)	9 घ		

		उपरोक्त ख9 पर आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ जहां स्थानांतरण (9ग-9घ) था						आ9ड आ9ड आ9डii	
	ड	i. 23 जुलाई, 2024 से पूर्व ii. 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात्							
	10	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि							
	क	क्या नीचे दिखाए गए पूर्व वर्षों के दौरान अंतरित आस्तियों पर पूंजी अभिलाभ की उपयोग में नहीं लायी जा सकी किसी राशि को उस वर्षके लिए देय तारीख के भीतर पूंजी अभिलाभ खाता स्कीम में जमा किया गया है? □हां□नहीं □लागू नहीं होता, यदिहां, तो ब्यौरा उपलब्ध कराएं							
		क्रम सं.	पूर्व वर्ष में जिसमें आस्तियां अंतरित की गई है	वह धारा जिसके अधीन उस वर्षमें जिसमें कटौती का दावा किया गया है।	नई आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई	पूर्व वर्ष जिसमें आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई है	पूंजी अभिलाभ खाता में से उपयोग की गई राशि	नई आस्तियों के लिए उपयोग नहीं की गई या पूंजी अभिलाभ खाता (x) में उपयोग में नहीं लाई गई बची हुई राशि	क्या सीमा/वापसी की तारीख 23 जुलाई, 2024 से पूर्व थी
		i	2021-22	54घ/54छ/54क					
		ii	2022-23	54घ/54छ/54क					
		iii	2023-24	54घ/54छ/54क					
	ख	क से भिन्न दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई रकम							
		i	जहां मानित पूंजीगत अभिलाभ 23 जुलाई 2024 से पहले उत्पन्न हुआ हो		आi				
		ii	जहां मानित पूंजीगत अभिलाभ 23 जुलाई 2024 को या उसके पश्चात् उत्पन्न हुआ हो		आii				
		दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई रकम (कxi+कxii+कxiii+ख)							
		i.		जहां मानित पूंजीगत अभिलाभ 23 जुलाई 2024 से पहले उत्पन्न हुआ				आ10	
		ii.		जहां मानित पूंजीगत अभिलाभ 23 जुलाई 2024 को या उसके पश्चात् उत्पन्न हुआ					
	11	दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास (अनुसूची पीटीआई भरें)(आ12क1+आ12क2 +आ12ख)						आ11	
		क1(i)	धारा 112क के अंतर्गत 10 प्रतिशत की दर से प्रभार्य दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय के जरिए पास		आ11क1(i)				
		क1(ii)	दीर्घावधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में पास-थू आय/हानि, धारा 112आ के अधीन 12.5% की दर से प्रभार्य		आ11क1				
		क2(i)	धारा 112क को छोड़कर 10 प्रतिशत की दर से प्रभार्य दीर्घावधिक पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय के जरिए पास		आ11क2(ii)				
		क2(ii)	दीर्घावधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में पास-थू आय/हानि, धारा 112आ के अन्य धाराओं के अधीन 12.5% की दर से प्रभार्य		आ11क2				

	ख	दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ के रूप में पास थू आय20 प्रतिशत की दर से प्रभार्य							आ11ख	
	एलटीसीजी की रकम जो ख1- ख11 में सम्मिलित है पर डीटीए के अनुसार भारत में दावाकृत कर प्रभार्य नहीं है या विशेष दर पर कर प्रभार्य है: (अनुसूची एसआई को लिया जाना है)									
12	क्रमसं.	आय की राशि	उपरोक्त पद सं. ख1 से ख 11 जिसमें सम्मिलित है	देश का नाम और कोड	डीटीए की धारा	संधि के अनुसार दर (यदि प्रभार्य नहीं है तो शून्य लिखें)	क्या टीआरसीप्राप्त है (हो/नहीं)	आयकर अधिनियम की धारा	आयकर अधिनियम के अनुसार दर	लागू दर(6) या (9)ट
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	I									
	II									
	क	डीटीएके अधीन दावाकृत एलटीसीजी कर प्रभार्य नहीं है की कुलराशि								ख12क
	ख	डीटीए के अनुसार भारत में दावाकृत विशेष दर पर कर प्रभार्य एलटीसीजी की कुल राशि								ख12ख
	ख(क)	01 अक्टूबर, 2024 को या उसके पश्चात् शेयरों की खरीद पर पूंजीगत हानि [गैर-निवासियों के लिए धारा 115कघ के अधीन आने वाले लेन-देन के लिए दीर्घकालिक 12.5% या 10%] (केवल तभी दावा किया जा सकता है जब धारा 2(22)(च) के अधीन संबंधित लाभांश आय की पेशकश की जाती है)							ख(क)	
	13	कुल दीर्घावधि पूंजी अभिलाभ [ख 1ड +ख 2ड +ख 3 ग +ख 4 ग +ख 5 +ख 6 +ख 7 ग +ख 8 + ख9ड + ख 10 + ख 11 - ख12क + ख(क)] (यदि क्षति हो तो ख13 को शून्य के रूप में लें)								ख 13
	ग1	पूंजीगत अभिलाभ आय की राशि (नीचे दी गई सारणी ड. के 11ii+11iii+11iv+11v+11vi+11vii+11viii+11ix+11x)								ग1
	ग2	आभासी डिजिटल आस्ति के अंतरण से आय (अनुसूची 5घक की मद संख्या ख)								ग2
	ग3	"पूंजीगत अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (ग1+ग2)								ग3
	घ	पूंजी अभिलाभ के विरुद्ध दावाकृत कटौती की जानकारी								

1	धारा 54घ / धारा 54डग/ धारा 54छ /धारा 54छक के अधीन कटौती की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे दें			
	क	धारा 54 घ के अधीन दावाकृत कटौती		
	i	मूल आस्ति के अर्जन की तारीख	का	दिन/मास/वर्ष
	ii	औद्योगिक उपक्रम के लिए नए भूमि/भवन के क्रय/निर्माण की लागत	क ii	
	iii	नए भूमि या भवन के क्रय की तारीख	क iii	दिन/मास/वर्ष
	iv	नियत तारीख से पहले पूंजी अभिलाभ योजना में जमा राशि	क iv	
	ivक	जमा करने की तारीख	ivख	ivग आई एफ एस खाता सं. कोड
	v	दावाकृत कटौती की राशि	क v	
	ख	धारा 54 डग के अधीन दावाकृत कटौती		
	i	मूल आस्ति के स्थानांतरण की तारीख	खा	दिन/मास/वर्ष
	ii	विनिर्दिष्ट /अधिसूचित बंध पत्रों में विनिधान की गई रकम (पचास लाख से ज्यादा नहीं)	ख ii	
	iii	निवेश की तारीख	ख iii	दिन/मास/वर्ष
	iv	दावाकृत कटौती की राशि	ख iv	
	ग	धारा 54 छ के अधीन दावाकृत कटौती		

	ग	धारा 54 छ के अधीन दावाकृत कटौती		
	i	शहरी क्षेत्र से मूल आस्ति के स्थानांतरण की तारीख	गा	दिन/मास/वर्ष
	ii	नई आस्ति के क्रय या निर्माण के लिए किए गए खर्च और लागत	ग ii	
	iii	शहरी क्षेत्र से भिन्न किसी क्षेत्र में खरीदी/बनाई गई आस्ति की तारीख	ग iii	दिन/मास/वर्ष
	iv	नियत तारीख के पहले पूंजी अभिलाभ खाता योजना में जमा की गई राशि	ग iv	
	ivक	जमा करने की तारीख	ivख खाता सं.	ivग आई एफ एस कोड
	v	दावाकृत कटौती की राशि	ग v	
	घ	धारा 54 छक के अधीन दावाकृत कटौती		
	i	शहरी क्षेत्र से मूल आस्ति के स्थानांतरण की तारीख	घा	दिन/मास/वर्ष
	ii	नई आस्ति के क्रय या निर्माण के लिए किए गए खर्च और लागत	घ ii	
	iii	एसईजेड में नई आस्ति के क्रय निर्माण की तारीख	घ iii	दिन/मास/वर्ष
	iv	नियत तारीख के पहले पूंजी अभिलाभ खाता योजना में जमा की गई राशि	घ iv	
	ivक	जमा करने की तारीख	ivख खाता सं.	ivग आई एफ एस कोड

			v	दावाकृत कटौती की राशि	घ v	
		ड	कुल दावाकृत कटौती (1क + 1ख +1ग +1घ)		1 ड	

ड	पूँजी अभिलाभ चालू वर्ष की पूँजी हानि को चालू वर्ष के पूँजी अभिलाभ के साथ मुजराई करना (क9क तथा ख 12क में सम्मिलित राशि को छोड़कर जो डीटीए के अंतर्गत प्रभार्य नहीं है)													
	क्रम सं.	पूँजी अभिलाभ का प्रकार	चालू वर्ष का पूँजी अभिलाभ (यदि गणनात्मक अंक घनात्मक है तो केवल इसे भरें)	अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ हानि						घकालिक पूँजी अभिलाभ हानि				मुजराई के पश्चात् चालू वर्ष का अतिशेष पूँजी अभिलाभ (11 = 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10)
				15%	20%	30%	लागू दर	डीटीए दरें	10%	12.50%	20%	डीटीए दरें		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	i	मुजराई की जाने वाली हानि (इस स्तंभ को केवल तभी भरें जब संगणित अंक नकारात्मक हो)		(अ3ड*+ अ4क*+ अ8क*)	(अ3ड.ii*+ अ4कii*+ अ8कii*+अ(क))	अ5ड*+ अ8ख*	(अ1ड*+ अ3ड*+ अ4क*+ अ8क*)	(अ3ड.ii*+ अ4कii*+ अ8कii*+अ(क))	अ5ड*+ अ8ख*	(अ1ड*+ अ3ड*+ अ4क*+ अ8क*)		(अ3ड*+ अ4क*+ अ8क*)		
	ii	अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ	15%	(अ3ड*+ अ4क*+ अ8क*)										
	iii		20%	(अ3ड*+ अ4क*+ अ8क*+अ(अ))										
	iv		30%											
	v		लागू दर	(अ5ड+ अ8ख+अ(अ))										
	vi		डीटीए दरें	(अ1ड*+ अ3ड*+ अ4क*+ अ8क*)										
	vii	दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ	10%	अ2ग*+ अ4ख*+ अ6ड*+ अ7*+ अ8ग* अ(अ))										
	viii		12.50%	अ4ख*+ अ6ड*+ अ7*+ अ8ग* अ(अ))										
	ix		20%	अ9ख*+ अ5*+ अ6*+ अ7*+ अ8*+ अ(अ))										
	x		डीटीए दरें	(अ5*+ अ6*+ अ7*+ अ8*+ अ(अ))										
	xi	मुजराई की गई कुलहानि (ii+iii+iv+v+vi+vii+viii+ix+x)												
	xii	मुजराई के बाद शेष हानि (i-xi)												
इस सारणी में एसटीसीजी के अंक (अ1ड*) स्तंभ (अ1-अ8) समान प्रतिभूतियों के साथ मुजरा के पश्चात् है और में क्रमशः संग्रहित एसटीसीजी की वह रकम है जिसमें एसटीसीजी की रकम जो कि कर प्रदाय नहीं है या डीटीए के अनुसार विशेष दर पर प्रदाय है, धटाई गई है, सम्मिलित है, यदि कोई है।														
इस सारणी में एलटीसीजी के अंक (अ1ड*) स्तंभ (अ1-अ11) समान प्रतिभूतियों के साथ मुजरा के पश्चात् है और में क्रमशः संग्रहित एलटीसीजी की वह रकम है जिसमें एलटीसीजी की रकम जो कि कर प्रदाय नहीं है या डीटीए के अनुसार विशेष दर पर प्रदाय है, धटाई गई है, सम्मिलित है, यदि कोई है।														

च	पूँजी अभिलाभ के उद्भूत/प्राप्ति के विषय में सूचना	15/6 तक (i)	16/6 से 15/9 (ii)	16/9 से 15/12 (iii)	16/12 से 15/3 (iv)	16/3 से 31/3 (v)
	पूँजी अभिलाभ का प्रकार / तारीख					
	15% की दर से प्रभार्य अल्पकालिक अवधि पूँजी अभिलाभ 1 अनुसूची बीएफएलए की मद 5vi से मूल्य भरें, यदि कोई हो तो					
	अल्पकालिक पूँजीगत लाभ पर 20% की दर से कर लगेगा। यदि कोई हो तो अनुसूची बीएफएलए की मद 5viख से मूल्य भरें।					
	30% की दर से प्रभार्य अल्पकालिक अवधि पूँजी अभिलाभ 3 अनुसूची बीएफएलए की मद 5vii से मूल्य भरें, यदि कोई हो तो।					
	लागूदर से प्रभार्य अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ 4 अनुसूची बीएफएलए की मद 5viii से मूल्य भरें, यदि कोई हो तो					
	डीटीए की दर पर करादेय अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ 5 अनुसूची बीएफएलए की मद 5ix से मूल्य भरें, यदि कोई हो तो					
	10% की दर से प्रभार्य दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ 6 अनुसूची बीएफएलए की मद 5xक से मूल्य भरें, यदि कोई हो तो					
	12.5% की दर से कर योग्य दीर्घकालिक पूँजीगत लाभ। यदि कोई हो तो अनुसूची बीएफएलए के मद 5xख से मूल्य भरें।					
	20% की दर से प्रभार्य दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ 8 अनुसूची बीएफएलए की मद 5xi से मूल्य भरें, यदि कोई हो तो					
	डीटीए की दर पर करादेय दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ 9 अनुसूची बीएफएलए की मद 5xii से मूल्य भरें, यदि कोई हो तो					



i. स्तंभ 14 का योग जहां स्थानांतरण 23 जुलाई 2024 से पूर्व हुआ था															
ii. स्तंभ 14 का योग जहां स्थानांतरण 23 जुलाई 2024 को या उसके पश्चात हुआ था															
iii. धारा 112क के अधीन LTCG का योग															

अनुसूची 115कघ(1)(ख)(iii) -परंतुक		कंपनी में इक्विटी शेयर या निधि उन्मुख इक्विटी की इकाई अथवा कारबार न्यास की इकाई के विक्रय से जिन पर धारा 115कघ(1)(ख)(iii) परंतुक के साथ पठित धारा 112क के अधीन एसटीटी संदत किया गया है।													
क्र .	अर्जित शेयर/यूनिट (31 जनवरी 2018 को या उससे पूर्व/पश्चात में)	शेयर/र/यूनिट ह स्तां तरि त (23 जुलाई 2024 से पूर्व/उस के पश्चात्	आईएस आईएन कोड	शेयर/यूनिट का नाम	शेयर/यूनिटों की संख्या	बिक्री मूल्य प्रति शेयर/यूनिट	प्रतिफल का पूरा मूल्य , - यदि शेयर्स 31.0 1.20 18 या उससे पहले अर्जित किए गए हैं। (कुल बिक्री मूल्य) (4*5) यदि शेयर्स 31 जनवरी 2018 के बाद अर्जित किए गए हैं, कृपया प्रतिफल का पूरा मूल्य प्रविष्ट करें।	इंडेक्सेशन के बिना अधिग्रहण की लागत 8 अथवा 9 उच्चतर	अधिग्रहण की लागत	यदि दीर्घावधि परिसंपत्ति 01-2-2018 से पूर्व अधिग्रहित की गई थी	31 जनवरी 2018 को उचित बाजार मूल्य प्रति शेयर यूनिट	धारा 56 2 के अनसार पूंजीगत परिसंपत्ति का कुल उचित बाजार मूल्य 4 से 10	अनुसरण के संबंध में पूर्णतया तथा विशेषकर व्यय	कुल कटौतियों 3 7	शेष(6-13) - आईटम्स 8 काएलटीसीजीशेड्यूल का आईटीआर 6
(	(स्तंभ 1क)	(स्तंभ 1ख)	(स्तंभ 2)	(स्तंभ 3)	(स्तंभ 4)	(स्तंभ 5)	(स्तंभ 6)	(स्तंभ 7)	(स्तंभ 8)	(स्तंभ 9)	(स्तंभ 10)	(स्तंभ 11)	(स्तंभ 12)	(स्तंभ 13)	(स्तंभ 14)

भ															
1)															
1															
2															
	पंक्तियां जोड़े														
	i. स्तंभ 14 का योग जहां अंतरण 23 जुलाई 2024 से पूर्व हुआ था ii. स्तंभ 14 का योग जहां अंतरण 23 जुलाई 2024 को या उसके पश्चात् हुआ था iii. 115कघ(1)(ख)(iii)- परंतुक के साथ पठित धारा 112क के अधीन एलटीसीजी का योग														

अनुसूची वीडिए		आभासी डिजिटल परिसंपत्ति के अंतरण से आय (टिप्पण: प्रत्येक संव्यवहार का ब्यौरा भरा जाए जिसमें प्रत्येक 'अंतरण' एक संव्यवहार है। )				
क्रम सं.	अधिग्रहण की तारीख	अंतरण की तारीख	पूँजी अभिलाभ का प्रकार (अल्पकालिक/ दीर्घकालिक)	अधिग्रहण की लागत उपहार के मामले में धारा 56(2)(x) के अधीन राशि जिस पर कर चुकता किया गया है दर्ज करें।	प्राप्त प्रतिफल	आभासी डिजिटल परिसंपत्ति अंतरण से आम (हानि के मामले में शून्य दर्ज करें)
(स्तंभ 1)	(स्तंभ 2)	(स्तंभ 3)	(स्तंभ 4)	(स्तंभ 5)	(स्तंभ 6)	(स्तंभ 7)
सम्मिलित पंक्तियां						
क. कुल (स्तंभ 7 में कारबार आय की समस्त सकारात्मक आय की राशि)						(अनुसूची बी पी का मद सं .3 च )
ख. कुल (स्तंभ 7 में पूँजी अभिलाभ की समस्त सकारात्मक आय की राशि)						(अनुसूची सी जी का मद सं .सी 2)

अनुसूची-अन्य स्रोत			
1	सामान्य लागू दरों पर कर से प्रभार्य सकल आय (1क + 1ख + 1ग + 1घ + 1ङ)	1	
	क लाभांश, सकल (का + काii + काiii)	1क	
	i (ii) और (iii) के अतिरिक्त लाभांश आय	का	
	ii धारा 2(22)(ड) के अधीन लाभांश आय	काii	
	iii. धारा 2(22)(च) के अधीन लाभांश आय	काiii	
	ख ब्याज, सकल (खा + खii + खiii + खiv + खv)	1ख	
	i बचत बैंक खाता	खा	
	ii जमा राशि (बैंक/ डाकखाना/ कॉर्पोरेटिव सोसाइटी)	खii	
	iii आय कर प्रतिदाय से	खiii	
	iv आय/क्षति के जरिए पास की प्रकृति में	खiv	
	v अन्य	खv	

ग	मशीनरी, संयंत्रों, भवनों से किराए की आय		1ग		
घ	धारा 56 (2) (x) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय जो कर से प्रभार्य है (घा + घाii + घाiii + घाiv + घाv)		1घ		
	i	प्रतिफल के बिना प्राप्त धन राशि का समग्र मूल्य	घा		
	ii	यदि स्थावर संपत्ति बिना किसी प्रतिफल के प्राप्त की गई है, संपत्ति का स्टॉप शुल्क मूल्य	घाii		
	iii	यदि स्थावर संपत्ति अपर्याप्त प्रतिफल के बिना प्राप्त की गई है, ऐसे प्रतिफल से आधिक्य संपत्ति का स्टॉप शुल्क	घाiii		
	iv	प्रतिफल के बिना प्राप्त की गई अन्य संपत्तियों की दशा में संपत्ति का उचित बाजार मूल्य	घाiv		
	v	यदि अन्य संपत्ति बिना पर्याप्त प्रतिफल के प्राप्त की गई है, ऐसे प्रतिफल से आधिक्य संपत्ति का उचित बाजार	घाv		
1ड	कोई अन्य आय कृपया प्रकृति का उल्लेख करें				
	क्रम सं	प्रकृति	राशि		
	1	धारा 56(2)(xii) में निर्दिष्ट अनुसार पूर्व वर्ष के दौरान इकाई धारक द्वारा किसी कारबार न्यास से प्राप्त कोई विनिर्दिष्ट राशि।	1		
	पंक्ति जोड़े				
2	विशेष दरों पर प्रभार्य आय (2का + 2काii + 2ख + 2ग + 2घ + 2ड क्रम सं 1 से संबंधित)		2		
का	लाटरी वर्ग पहली दौड़, कार्ड गेम इत्यादि की जीत के रूप में आय धारा 115खख		2का		
काii	धारा 115खख के अधीन आनलाईन गेम जीतने के माध्यम से प्रभार्य आय		2काii		
ख	धारा 115खख के अधीन प्रभार्य आय (खा + खाii + खाiii + खाiv + खv + खvi)		2ख		
	i	धारा 68 के अधीन उधार रोकड़	खा		
	ii	धारा 69 के अधीन अस्पष्टीकृत विनिधान	खाii		
	iii	धारा 69क के अधीन अस्पष्टीकृत धन आदि	खाiii		
	iv	धारा 69ख के अधीन अप्रकटित विनिधान आदि	खाiv		
	v	धारा 69ग के अधीन अप्रकटित व्यय आदि	खv		
	vi	धारा 69घ के अधीन हंडी पर उधार ली गई रकम या	खvi		
ग	विशेष दर पर प्रभार्य कोई आय (ग/से गxxiii का कुल योग)		2ग		
	i	धारा 115 क(1)(क) के परंतुक से भिन्न, धारा 115 क(1)(क)(ii) के अधीन विदेशी कंपनी द्वारा प्राप्त लाभांश	गा		
	ii	धारा 115 क(1)(क) के परंतुक के अधीन प्रभार्य धारा 80ठक की उपधारा (1क) में यथानिर्दिष्ट किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में किसी इकाई से अनिवासी (गैर कंपनी) या विदेशी कंपनी द्वारा प्राप्त लाभांश	गाक		
	iii	धारा 115 क(1)(क)(ii) के अधीन प्रभार्य सरकार या विदेशी करेंसी श्रृण पर भारतीय समुन्यान से प्राप्त ब्याज	ग ii		
	iv	धारा 115 क(1)(क)(ii) के अधीन प्रभार्य अवसंरचना श्रृण निधि से प्राप्त ब्याज	ग iii		
	v	धारा 115 क(1)(क)(ii) के अधीन प्रभार्य धारा 194ठग(1) @5% में निर्दिष्ट ब्याज	ग iv		
	vi	धारा 115 क(1)(क)(ii) के अधीन प्रभार्य धारा 194ठग(1) के परंतुक @4% में निर्दिष्ट ब्याज	ग v		
	vii	धारा 115 क(1)(क)(ii) के अधीन प्रभार्य धारा 194 ठघ में निर्दिष्ट ब्याज	ग vi		
	viii	धारा 115 क(1)(क)(ii) के अधीन प्रभार्य धारा 194 ठख में निर्दिष्ट वितरित आय जो ब्याज है	ग vii		

	viii	धारा 115क(1)(क)(iii)के अधीन प्रभार्य यूटीआई की इकाई या धारा 10 (23घ)में विनिर्दिष्ट अन्य पारस्परिक निधि से आय	ग viii			
	ix	धारा 115क(1)(ख)(क) तथा 115(1)(ख)(ख)सरकार या भारतीय समुन्धान से प्राप्त तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी या फीस से	ग ix			
	x	धारा 115 कग के अधीन प्रभार्य अनिवासियों द्वारा ब्याज के रूप में या बॉण्डस या विदेशी करेन्सी में क्रय किया गये लाभांश से आय	ग x			
	xi	धारा 115कग के अधीन प्रभार्य अनिवासी द्वारा विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए जी.डी.आर के लाभांश पर आय	ग xi			
	xii	पारिस्परिक निधि-115कख(1) के द्वारा विदेशी मुद्रा की इकाईयों की खरीद के संबंध में प्राप्त आय	ग xii			
	xiii	धारा 115 कघ (1)(i)के अधीन प्रभार्य प्रतिभूतियों (धारा 115 कख में निर्दिष्ट इकाईयों के सिवाय) के संबंध में एफ.आई.आई द्वारा प्राप्त ब्याज के रूप में आय	ग xiii			
	xiv	धारा 115 कघ (1)(i) के परन्तुक के अनुसार प्रभार्य किसी एफ.आई.आई द्वारा बाण्ड पर या धारा 194 ठघ में निर्दिष्ट	ग xiv			
	xv	धारा 115 खखक के अधीन प्रभार्य अनिवासी खिलाड़ी या खेल संगठनों पर कर	ग xv			
	xvi	धारा 115खखग के अधीन प्रभार्य कतिपय मामलो में गुप्त दान	ग xvi			
	xvii	भारत में विकसित और रजिस्ट्रीकृत पेटेंट से रायल्टी के रूप में आय -धारा 115खखच के अधीन प्रभार्य	ग xvii			
	xviii	धारा 115 खखछ के अधीन प्रभार्य कार्बन क्रेडिट के अंतरण के द्वारा आय	ग xviii			
	xix	रायल्टी से आय जहां करार 31.3.1961 से 31.3.1976 के मध्य और तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क से आय जहां करार 29.2.1964 से 31.3.1976, के मध्य केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है। (वित्त विधेयक की प्रथम अनुसूची के पैरा ईII के भाग I)	ग xix			
	xx	धारा 115कघ(1)(i)के अधीन प्रभार्य धारा 115कख में संदर्भित इकाईयों के अतिरिक्त एफ आई आई द्वारा प्राप्त प्रतिभूतियों के संबंध में प्राप्त आय (लाभांश के अतिरिक्त)	ग xx			
	xxi	धारा 115कघ(1)(i)के अधीन प्रभार्य धारा 115कख में संदर्भित इकाईयों के अतिरिक्त विनिर्दिष्ट निधि द्वारा प्राप्त लाभांश आय	ग xxi			
	xxii	धारा 115कघ(1)(i)के अधीन प्रभार्य धारा 115कख में संदर्भित इकाईयों के अतिरिक्त विनिर्दिष्ट द्वारा प्राप्त प्रतिभूतियों के संबंध में प्राप्त आय (लाभांश के अतिरिक्त)	ग xxii			
घ		विशेष दरों पर दावाकृत प्रभार्य अन्य स्रोतों से आय की प्रकृति में पास थू आय (डॉप डाउन दिया जाए)			2घ	
ड		डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दर परदावाकृत प्रभार्य है उपरोक्त 1 और 2 में सम्मिलित राशि (नीचे दी गई सारणी के स्तंभ 2 का कुल योग)			2ड	

क्रम सं.	आय की रकम	मद संख्या 1क, 1कiii, 1ख से 1घ 2क, 2ग और 2घ जो सम्मिलित है	देश का नाम और कूट	धनकक की मद	संधि के अनुसार दर (कुछ नहीं दर्ज करें, यदि प्रभार्य नहीं है)	क्या टीआरसी अभिप्राप्त किया गया है (हां/नहीं)	आय-कर अधिनियम की धारा	आय-कर अधिनियम के अनुसार दर	लागू दर (6 या 9 में से निम्नतर)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I									
II									
3	धारा 57 के अधीन कटौतियां (2क, 2ख, 2ग और 2घके अधीन विशेष दर पर प्रभार्य आय से संबंधित कटौतियों के सिवाय अन्य कटौतियों)								
क	व्यय/कटौतियां "ग" में इंद्रराज के अतिरिक्त				3क				
ख	अवक्षयण (तभी उपलब्ध यदि आय 1 ग में प्रस्तुत की गई)				3ख				
ग	धारा 57(1) के अधीन लाभांश पर ब्याज व्यय (केवल यदि आय 1क(i) और/या 1क(ii) में प्रस्तावित है)				3ग				
गा	धारा 57(i) के अधीन योग्य ब्याज व्यय-कलित राशि				3गा				
घ	योग				3घ				
4	धारा 58 के अधीन कटौती न की जाने वाली रकम								4
5	धारा 59के अधीन कर से प्रभार्य लाभ								5
6	सामान्य लागू दर (1 (डीटीए हिस्से से संबंधित आय कम करने के बाद - 3 + 4 + 5) पर प्रभार्य अन्य स्त्रोतों से शुद्ध आय (यदि नकारात्मक है तो सीवाईएलए अनुसूची के 4i में अंकों को रखें)								6
7	अन्य स्त्रोतोंसे आय (दौड़ के घोड़ों के स्वामित्वसे भिन्न) ( 2 + 6 ) ( यदि हानि है तो 6 को शून्यलिखें )								7
8	धुड़ दौड़ केस्वामियों के क्रियाकलापों से आय								
क	प्राप्तियां				8क				
ख	केवल 8क की प्राप्तियों के संबंध में धारा 57 के अधीन कटौतियां				8ख				
ग	धारा 58 के अधीन कटौती न की जाने वाली रकम				8ग				
घ	धारा 59के अधीन कर से प्रभार्य लाभ				8घ				
ड	अतिशेष(8क - 8ख + 8ग + 8घ) (यदि ऋणात्मक है तो हानि की दशा में अनुसूची अग्रणीत हानियां 11xvii के अंक प्रविष्ट करें)								8ड
9	"अन्य स्त्रोतों से आय शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय(7 + 8ड) (यदि ऋणात्मक है तो 8ड में शून्य लिखें )								9
10	अन्य स्त्रोतों से आय की प्रोद्घन/प्राप्ति के बारे में जानकारी								

	क्रसं.	अन्य स्रोतों से आय	15/6 तक	16/6 से 15/9 तक	16/9 से 15/12 तक	16/12 से 15/3 तक	16/3 से 31/3 तक	
			(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	
	1	धारा 2(24)(ix) में निर्दिष्ट लाटरी, वर्ग पहेलियोंदौड, खेलों, घुत,शर्तो इत्यादि से जीती हुई राशि						
	2	धारा 115खखज के अधीन जीती हुई राशि के रूप में आय						
	3क	क्रम सं. 1क(i) में संदर्भित लाभांश पर आय						
	3ख	क्रम संख्या 1क(iii) में निर्दिष्ट लाभांश आय						
	4	धारा 115(1)(क)(अ) के परंतुक से भिन्न धारा 115क(1)(क)(i) के अधीन 20%की दर से लाभांश आय (पी टी आई आय शामिल)						
	5	धारा 115(1)(क)(अ) के परंतुक के अधीन 10% दर से लाभांश (पी टी आई आय शामिल)						
	6	धारा 115कग के अधीन 10% की दर से लाभांश आय						
	7	धारा 115कघ (1)(i) के अधीन किसी एफआईआई द्वारा 20% की दर से धारा 115कघ(1)(i) में संदर्भित इकाईयों के अतिरिक्त एफ.आई.आई की लाभांश के रूप में आय (पी.टी.आई आय सहित)						

		8	धारा 115कघ (1)(i) के अधीन 10% की दर से धारा 115कघ(1)(i) में संदर्भित इकाईयों के अतिरिक्त विनिर्दिष्ट निधि से लाभांश के रूप में आय (पी.टी.आई आय सहित)						
		9	डी.टी.ए.ए.दरों पर प्रभार्य लाभांश आय						

अनुसूची सीवाईएलए		चालू वर्ष की हानियों का मुजरा करने के पश्चात् आय के ब्यौरे					
क्रम सं.	आय का शीर्ष/स्त्रोत	चालूवर्षकी आय (इस स्तंभ को केवल तभी भरें यदि आय शून्य या सकारात्मक है)	मुजरा की गई चालू वर्ष की गृहसंपत्ति हानि	मुजरा की गई चालू वर्ष की हानि (सट्टे या विनिर्दिष्ट कारबार की हानि से भिन्न)	अन्य स्त्रोतों से चालू वर्ष के लिए मुजराई की गई हानि (दौड़ के घोड़ों से हानि और विशेष दर पर कर से प्रभार्य रकम से भिन्न)	मुजरे के पश्चात् शेष बची चालू वर्ष की आय	
		1	2	3	4	5=1-2-3-4	
चालू वर्ष हानि समायोजन	i	हानि की मुजराई की जानी है (यदि आकड़े नकारात्मक हो तभी इस पंक्ति को भरें)		(अनुसूची एच.पी.का 3)	(अनुसूची बी.पी की मद च का 2)	(अनुसूची ओ.एस. का 6)	
	ii	गृहसंपत्ति	(अनुसूची एच.पी. का 3)				
	iii	बिजनेस धारा 115ख के अन्तर्गत जीवन बीमा बिजनेस से आय तथा सट्टा बिजनेस से आय तथा आय	(अनुसूची बी.पी का क 38)				
	iv	धारा 115ख के अन्तर्गत जीवन बीमा बिजनेस से आय	( बी.पी अनुसूची की मद ड का 3iv)				
	v	सट्टे से आय	(बी.पी अनुसूची की मद ड का 3ii)				
	vi	धारा 35कघ के अधीन विनिर्दिष्ट कारबार आय	(बी.पी अनुसूची की मद ड का 3iii)				
	viiक	15 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सी.जी.की मद ड का 11ii)				

viiख	20 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सी.जी. की मद ड का 11iii)				
viii	30 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सी.जी.की मद ड का 11iv)				
ix	लागूदर पर कर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सी.जी.की मद ड का 11v)				
x	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सी.जी.की मद ड का 11vi)				
xiक	10 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सी.जी.की मद ड का 11vii)				
xiख	12.5 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सी.जी. की मद ड का 11viii)				
xii	20 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सी.जी.की मद ड का 11ix)				
Xiii	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सी.जी.की मद ड का 11x)				
xiv	सामान्य लागू दरों पर प्रभार्य अन्य स्रोतों से शुद्ध आय	(अनुसूची ओ.एस. की मद 6)				
Xv	दौड के घोड़ों का स्वामित्व रखने और उनके पोषण करने से लाभ	(अनुसूची ओ.एस. की मद 8ड)				
xvi	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय अन्य स्रोतों से आय	(अनुसूची ओ.एस. की मद 2ड)				
xvii	मुजरा की गई कुल हानि					
xviii	मुजरे के पश्चात् शेष हानि (i - xvii)					

अनुसूची-बीएफएलए		पूर्व वर्षों की अग्रणीत हानियों के मुजरे के पश्चात् आय के ब्यौरे					
अग्रणीत हानि समायोजन	क्रम सं.	आय का शीर्ष/स्रोत	अनुसूची सीवाईएलए के 5 के अनुसार चालू वर्ष की हानियों के मुजरे के पश्चात्आय	मुजरा की गई अग्रणीत हानि	मुजरा किया गया अग्रणीत अवक्षयण	मुजरा किया गया , धारा 35(4) के अधीन अग्रणीतमोक (रिबेट)	मुजरे के पश्चात् शेष बची चालू वर्ष की आय
			1	2	3	4	5
i	गृहसंपत्ति		(अनुसूची सीवाईएलए का 5ii)	(अग्रणीत यदि गृहसंपत्ति से हानि है)			

ii	बिजनेस (बीमा बिजनेस सट्टा बिजनेस से आय तथा विनिर्दिष्ट बिजनेस से आय को छोड़कर)	(अनुसूची सीवाईएलए का 5iii)	(अग्रणीत यदि सट्टेबाजी या विनिर्दिष्ट ट कारबार से भिन्न, कारबार से हानि है) (टिप्पण : मुजरा की गई अग्रणीत हानि धारा 44खख और धारा 44खखख के अधीन आय को छोड़कर कारबार आय तक सीमित रहेगी)	(टिप्पण : मुजरा की गई अग्रणीत अवक्षयण धारा 44खख और धारा 44खखख के अधीन आय को छोड़कर कारबार आय तक सीमित रहेगी)		
iii	धारा 115 ख के अधीन जीवन बीमा कारबार से लाभ और अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5iv)	(अग्रणीत यदि सट्टेबाजी या विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न, कारबार से हानि है)			
iv	सट्टे से आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5v)	(अग्रणीत यदि सट्टेबाजी से हानि है)			
v	विनिर्दिष्ट कारबार आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5vi)	(अग्रणीत विनिर्दिष्ट कारबार से हानि है)			
viक	15 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य अल्पकालिकपूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 viक)	(अग्रणीत यदि अल्पकालिक पूंजी हानि है)			
viख	20 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 viख)	(अग्रणीत यदि अल्पकालिक पूंजी हानि है)			
vii	30 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य अल्पकालिकपूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 viii)	(अग्रणीत यदि अल्पकालिक पूंजी हानि है)			
viii	लागूदर पर कर से प्रभार्य अल्पकालिकपूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 ix)	(अग्रणीत यदि अल्पकालिक पूंजी हानि है)			
ix	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 x)	(अग्रणीत यदि अल्पकालिक पूंजी हानि है)			
xक	10 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य दीर्घकालिकपूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5xक)	(अग्रणीत यदि अल्पकालिक या दीर्घकालिक पूंजी हानि है)			
xख	12.5 प्रतिशत 1 की दर से कर से प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5xख)	(अग्रणीत यदि अल्पकालिक या दीर्घकालिक पूंजी हानि है)			
xi	20 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य दीर्घकालिकपूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5xii)	(अग्रणीत यदि अल्पकालिक या दीर्घकालिक पूंजी हानि है)			
xii	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय दीर्घ कालिक अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5xiii)	(अग्रणीत यदि अल्पकालिक या दीर्घकालिक पूंजी हानि है)			



xiv	2023-24											
xv	2024-25											
xvi	पूर्व वर्षों की हानियों का योग ख/ च											
xvii	अनुसूची बीएफएलए में उपरोक्त हानियों का समायोजन	(अनुसूची बीएफएलए का 2i)	(अनुसूची बीएफएलए का 2ii)	(अनुसूची बीएफएलए का 2iv)	(अनुसूची बीएफएलए का 2v)	(अनुसूची बीएफएलए का 2iii)				(अनुसूची बीएफएलए का 2xiv)		
xviii	2025-26 चालू वर्ष की हानियाँ	(अनुसूची सीवाईएलए का 2xviii)	(अनुसूची सीवाईएलए का 3xviii)	(अनुसूची बीपी का ख43, यदि नकारात्मक.)	(अनुसूची बीपी का ग49, यदि नकारात्मक.)	(अनुसूची बीपी का 4ख (यदि नकारात्मक.)	(अनुसूची सीजी की मद ड. का 2xii+3xii+4xii+5xii+6xii)	(अनुसूची सीजी की मद ड. का 7xii+8xii+9xii+10xii)	(अनुसूची ओएस का 8ड. यदि नकारात्मक.)			
xix	यूनिट धाराकों के मध्य चालू वर्ष हानि वितरित(निवेश निधि के लिए लागू)											
xx	चालू वर्ष की हानियाँ अग्रणीत (xviii-xix)											
xxi	भावी वर्षों को अग्रणयन की गई कुल हानि(xvi - xvii + xx)											

अनुसूची - यूडी		धारा 35(4) के अधीन अनामेलित अवक्षयण और भत्ते					
क्रम सं.	निर्धारण वर्ष	अवक्षयण			धारा 35(4) के अधीन भत्ते		
		अग्रणीत अनामेलित अवक्षयण की रकम	चालू वर्ष की आय के विरुद्ध मुजरा की गई अवक्षयण की रकम	अगले वर्ष के लिए अग्रणीत शेष रकम	अग्रणीत अनामेलित भत्ते की रकम	चालू वर्ष की आय के विरुद्ध मुजरा किए गए भत्ते की रकम	अगले वर्ष के लिए अग्रणीत शेष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
i	चालू निर्धारण वर्ष						
ii							
iii							

iv	योग	(बीएफएलए का 3xvi)	(बीएफएलए का 4xvi)
----	-----	-------------------	-------------------

अनुसूची आईसीडीएस		लाभ पर आय संगणना प्रकटीकरण मानक का प्रभाव		
क्रम.स.	आ.स.प्र.मा.	लाभ में वृद्धि (रू.)	लाभ में कमी (रू.)	शुद्ध प्रभाव (रू.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	लेखा नीति			
II	तालिकाओं का मूल्यांकन (145 क के अधीन मूल्यांकन की पद्धति में बदलाव से भिन्न, यदि वहभाग क ण के स्तंभ 4घ या 4 ड में पृथकरूप से सूचित किया गया है)			
III	संनिर्माण संविदाएं			
IV	राजस्व मान्यता			
V	मूर्त नियत आस्तियां			
VI	विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन			
VII	सरकारी अनुदान			
VIII	प्रतिभूतियां (145 क के अधीन मूल्यांकर की पद्धति में बदलाव से भिन्न, यदि वह भाग क ण के स्तंभ 4घ या 4 ड में पृथक रूप से सूचित किया गया है)			
IX	उधार लेने की लागत			
X	समाश्रित दायित्व और समाश्रित आस्तियां की व्यवस्था			
XI	लाभ पर आई सी डी एस समायोजन का कुल प्रभाव (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)			

अनुसूची-10कक		धारा 10कक के अधीन कटौती			
धारा 10कक के अधीन कटौती	विशेष आर्थिक क्षेत्र में अवस्थित यूनियों की बाबत कटौती				
	क्र.सं.	उपक्रम	निर्धारण वर्ष जिसमें इकाई निर्माण/उत्पादन करती है	क्र.सं.	रकम
	क	उपक्रम सं. 1		क	(उपक्रम 1 के लिए प्ररूप56च के उपाबंध अ का मद 17)
	ख	उपक्रम सं. 2		ख	(उपक्रम 2 के लिए प्ररूप56च के उपाबंध अ का मद 17)
ग	धारा 10कक के अधीन कुल कटौतियां(क + ख)				ग

अनुसूची 80छ		धारा 80 छ के अधीन कटौतियों के लिए हकदार दानों के ब्यौरे				
दान के ब्यौरे	क	बिना अर्हता सीमा के 100 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार संदान				
		आदाता का नाम और पता	आदाता का पैस	संदान की रकम		संदान के लिए उपयुक्त रकम
				नकद संदान	अन्य रीति से संदान	कुल संदान
	i					
ii						

	iii						
	iv कुल						
ख	बिना अर्हता सीमा के 50 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार संदान						
	आदाता का नाम और पता	आदाता का पैना	संदान की रकम			संदान के लिए उपयुक्त रकम	
			नकद संदान	अन्य रीति से संदान	कुल संदान		
	i						
	ii						
	iii						
	iv कुल						
ग	अर्हता सीमा के अध्यक्षीन 100 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार संदान						
	आदाता का नाम और पता	आदाता का पैना	संदान की रकम			संदान के लिए उपयुक्त रकम	
			नकद संदान	अन्य रीति से संदान	कुल संदान		
	i						
	ii						
	iii						
	iv कुल						
घ	अर्हता सीमा के अध्यक्षीन 50 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार संदान						
	आदाता का नाम और पता	आदाता का पैना	ए.आर.एन (संदान संदर्भ संख्या)	संदान की रकम			संदान के लिए उपयुक्त रकम
				नकद संदान	अन्य रीति से संदान	कुल संदान	
	i						
	ii						
	iii						
	iv कुल						
ड	कुल संदान (का iii + खा iii + गा iii + घा iii)						

अनुसूची 80 छछक		वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास के लिए संदान का ब्यौरा					
क.सं.	सुसंगत खंड जिसके अधीन अनुदान का दावा किया गया है (ड्राप डाउन दिया जाए)	संदान आदाता का नाम और पता	संदान आदाता का स्थायी खाता संख्या	अनुदान की राशि			संदान की उपयुक्त राशि
				नकद संदान	अन्य रीति से संदान	कुल संदान	
	i						
	ii						
	कुल संदान						

अनुसूची 80छछग		राजनैतिक दलों को किए अभिदाय के ब्यौरे					
क्रं .सं.	तारीख	अभिदाय की रकम			अभिदाय की पात्र रकम	यू पी आई अंतरण की संव्यवहार संदर्भ संख्या या चैक आईएमपीएस/एनईएफटी/आरटीजीएस संख्या	बैंक का आईएफसी कोड
		नकद में अभिदाय	अन्य रीति में अभिदाय	कुल अभिदाय			
।							
	(पंक्तियां जोडे)						
	कुल अभिदाय						

अनुसूची 80झकग		पात्र स्टार्ट-अप के संबंध में कटौती (केवल तब भरा जाए यदि क19(थ) का उत्तर हां है)				
क्रं .सं.	स्टार्ट अप- के निगमन की तारीख	कारबार की प्रकृति	अंतर-मंत्रालय प्रमाणीकरण बोर्ड से प्राप्त प्रमाण पत्र संख्या	पहली नि. व. जिसमें कटौती का दावा किया गया था	चालू नि. व. के लिए दावा की गई कटौती की रकम	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	

अनुसूची 80ठक		अपतट बैंककारी ईकाईयों या आईएफएससी के संबंध में कटौती					
उपधारा जिसमें कटौती का दावा किया गया है।							
क्रं .सं.	ईकाई का प्रकार	ईकाई की आय का प्रकार	रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने वाला प्राधिकारी	रजिस्ट्रीकरण की तारीख	रजिस्ट्रीकरण संख्या	पहली नि. व. जिसमें कटौती का दावा किया गया था	चालू नि. व. के लिए दावा की गई कटौती की रकम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(पंक्तियां जोड़ने का विकल्प प्रदान किया जाए)							
कुल							

अनुसूची आरए		अनुसंधान संगम इत्यादि को संदान के ब्यौरे [धारा 35(1)(ii) या 35(1)(iik) या 35(1)(iii) या 35(2कक) के अधीन कटौतियां]					
		संदान आदाता का नाम और पता	संदान आदाता का स्थायी खाता संख्या	संदान की राशि			संदान की उपयुक्त राशि
				नकद संदान	अन्य रीति से संदान	कुल संदान	
i							
ii							
iii	योग						

अनुसूची 80झक		धारा 80झक के अधीन कटौतियां				
धारा 80झक के अधीन कटौतियां	क	धारा 80झक (4) (i) में निर्दिष्ट किसी उद्यम के लाभों की बाबत कटौतियां (अवसंरचना सुविधा)	क1	उपक्रम सं. 1	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)	
			क2	उपक्रम सं. 2	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)	
	ख	धारा 80-झक(4)(iv) में निर्दिष्ट उद्यम के लाभों की बाबत कटौती (विद्युत)	ख1	उपक्रम सं. 1	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)	
			ख2	उपक्रम सं. 2	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)	
	ग	धारा 80-झक(4)(v) में निर्दिष्ट उद्यम के लाभों की बाबत कटौती (विद्युत उत्सर्जन संयंत्र का {पुनरूजजीवन})	ग1	उपक्रम सं. 1	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)	
घ	धारा 80-झक के अधीन कुल कटौती (क 1 + क 2 + ख1 + ख2 + ग1)					घ

अनुसूची 80झख		धारा 80-झख के अधीन कटौती					
धारा 80-झख के अधीन कटौती	क	ऐसे उपक्रम की दशा में कटौती, जो खनिज तेल का वाणिज्यिक उत्पादन और खनन आरंभ करता है [धारा80झख(9)]	क1	उपक्रम सं. 1	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)		
			क2	उपक्रम सं. 2	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)		
	ख	गृह परियोजना का विकास और निर्माण करने वाले उपक्रम की दशा में कटौती [धारा80झख(10)]	ख1	उपक्रम सं. 1	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)		
			ख2	उपक्रम सं. 2	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)		
	ग	फल और सब्जियों, मांस, मांस उत्पाद कुक्कुट, समुद्री या डेयरी उत्पादों के प्रसंस्करण, परिरक्षण और पैकिंग में लगे उपक्रम की दशा में कटौती [धारा80झख(11क)]	ग1	उपक्रम सं. 1	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)		
				ग2	उपक्रम सं. 2		(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)
	घ	अनाज की संभलाई, भंडारण और परिवहन के एकीकृत कारबार में लगे उपक्रम की दशा में कटौती [धारा80झख(11क)]	घ1	उपक्रम सं. 1	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)		
			घ2	उपक्रम सं. 2	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)		
ड	धारा 80झख के अधीन कुल कटौती (क1 से घ 2 का योग )					ड	

अनुसूची- 80-झड		धारा 80झड के अधीन कटौतियां				
धारा 80-झड के अधीन कटौतियां	क	पूर्वोत्तर में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती				
	कक असम	कक1	उपक्रम सं. 1	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)		
		कक2	उपक्रम सं. 2	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)		

	कख	अरुणाचल प्रदेश	कख1	उपक्रम सं. 1	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)		
			कख2	उपक्रम सं. 2	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)		
	कग	मणिपुर	कग1	उपक्रम सं. 1	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)		
			कग2	उपक्रम सं. 2	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)		
	कघ	मिजोरम	कघ1	उपक्रम सं. 1	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)		
			कघ2	उपक्रम सं. 2	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)		
	कड	मेघालय	कड1	उपक्रम सं. 1	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)		
			कड2	उपक्रम सं. 2	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)		
	कच	नागालैंड	कच1	उपक्रम सं. 1	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)		
			कच2	उपक्रम सं. 2	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)		
	कछ	त्रिपुरा	कछ1	उपक्रम सं. 1	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)		
			कछ2	उपक्रम सं. 2	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)		
	कज	पूर्वोत्तर में अवस्थित उपक्रमों के लिए कटौतियों का योग (कक1 से कछ2 का योग)					कज
	ख	धारा 80झड के अधीन कुल कटौती (कज)					ख

अनुसूची-VI- क		अध्यायVI- क के अधीन कटौतियां					
कुल कटौतियां	1	भाग ख-कतिपय संदाय के बाबत कटौतियां					
	क	80छ		ख	80छछख		
	ग	80छछक		घ	80छछग		
		भाग ख के अधीन कुल कटौती (क + ख + ग +घ)				1	
	2	भाग ग-कतिपय आय के बाबत कटौती					
	ड	80झक	(अनुसूची 80झक का घ)	च	80झकख		
	छ	80झकग	(अनुसूची 80झकग का 7)	ज	80झख		(अनुसूची 80झख का ड)
	झ	80झखक		ञ	80-झड.		(अनुसूची 80-आई का ख)
	ट	80जक		ठ	80जकक		(प्ररूप 10 घक में अनुलग्नक में क्रम सं. 5/(अिव) +5//
	ड	80ठक(1)	(अनुसूची 80 ठक का 9)	ढ	80ठक(1क)	(अनुसूची 80 एलए का 9)	

ण	80फ- ई- फाइलिंग उपयोगिता के अनुसार		त 80तक		
	भाग ग के अधीन कुल कटौती (कुल ड से त)				2
3	अध्याय VI- क के अधीन कुल कटौतियां (1 +2)				3

अनुसूची एसआई		विशेष दर से प्रभार्य आय (धारा और कर की दरके लिए कृपया अनुदेश देखें )				
क्र.सं.	धारा / विवरण	<input type="checkbox"/>	विशेष दर (%)	आय (i)	उस पर कर ii	
1क	111क अथवा 115कघ(1)(ख)(ii)- परन्तुक (एमएफ उन्मुख शेयर/इक्विटी पर एसओसीजी जिन पर एसटीटी अदा किया गया है) [जहां अंतरण 23 जुलाई 2024 से पूर्व हुआ हो, जैसा लागू हो]	<input type="checkbox"/>	15	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5vक)		
1ख	111क या धारा 115कघ(1)(ख)(ii)- परंतुक (शेयर इकाइयों पर एसटीसीजी जिस पर एसटीटी का भुगतान किया गया) [जहां अंतरण 23 जुलाई 2024 को या उसके पश्चात् हुआ हो, जैसा लागू हो]	<input type="checkbox"/>	20	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5vख)		
2	115 क घ ( एफआईआई प्रतिभूतियों पर अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ जहां एसटीटी का संदाय नहीं किया गया है)	<input type="checkbox"/>	30	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5vii)		
3क	परंतुक 112(1)(सूचीबद्ध प्रतिभूतियों/सूचीकरण के साथ इकाइयों पर एलटीसीजी) [जहां अंतरण 23 जुलाई 2024 से पूर्व हुआ था, वहां लागू होगा और उस पर कर अनुसूची गछ के क्रम संख्या ख4(च) को ध्यान में रखते हुए, यदि कोई हो।]	<input type="checkbox"/>	20 (अनुसूची गछ के ख4(च) द्वारा घटाया गया, यदि कोई हो)	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5xi)		
3ख	112(1) (सूचीबद्ध प्रतिभूतियों/इकाइयों पर एलटीसीजी) [जहां अंतरण 23 जुलाई 2024 को या उसके पश्चात् हुआ हो, जैसा लागू हो]	<input type="checkbox"/>	12.5	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5ख)		
4क	112(1)(ग)(ii) ( गैर निवासियों पर अनुपयोजित प्रतिभूतियों पर एलटीसीजी) [जहां अंतरण 23 जुलाई 2024 से पूर्व हुआ हो, जैसा लागू हो]	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5क)		
4ख	112(1)(ग)(iii) (अनिवासी के लिए गैर-सूचीबद्ध प्रतिभूतियों या सूचीबद्ध डिबेंचर के अलावा अन्य पर एलटीसीजी) [जहां अंतरण 23 जुलाई 2024 को या उसके पश्चात् हुआ हो, जैसा लागू हो]	<input type="checkbox"/>	12.5	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5ख)		
5क	115 क ख (अनिवासीयो के लिए धारा 115कख में निर्दिष्ट इकाइयो पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ) [जहां अंतरण 23 जुलाई 2024 से पूर्व हुआ हो, जैसा लागू हो]	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5क)		
5ख	115कख (धारा 115कख में निर्दिष्ट इकाइयों पर अनिवासी के लिए एलटीसीजी जहां अंतरण 23 जुलाई 2024 को या उसके पश्चात् हुआ था, जैसा भी लागू हो]	<input type="checkbox"/>	12.5	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5ख)		
6क	115 क ग (अनिवासीयो के लिए बंधपत्रों /जीडीआर पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ) [जहां अंतरण 23 जुलाई 2024 से पूर्व हुआ हो, जैसा लागू हो]	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5क)		

6ख	115कग (बांड/जीडीआर पर अनिवासी के लिए एलटीसीजी) [जहां अंतरण 23 जुलाई 2024 को या उसके पश्चात् हुआ हो, जैसा लागू हो]	<input type="checkbox"/>	12.5	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5ख)
7	115 क घ (प्रतिभूतियों पर एफआईआई के लिए दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5क)
8क	112 (अन्य पर एलटीसीजी) [जहां अंतरण 23 जुलाई 2024 से पूर्व हुआ हो, जैसा लागू हो]	<input type="checkbox"/>	20	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5xi)
8ख	112 (अन्य पर एलटीसीजी) [जहां अंतरण 23 जुलाई 2024 के पश्चात् हुआ हो, जैसा लागू हो]	<input type="checkbox"/>	12.5	(अनुसूची बीएफएलए की धारा भाग 5ख)
9क	112क (शेयरों अथवा यूनितों की बिक्री दर एलटीसीजी जिन पर एसटीटी अदा किया गया है अथवा धारा 115कघ(1)(ख)(iii)-परन्तुक [जहां अंतरण 23 जुलाई 2024 से पूर्व हुआ हो, जैसा लागू हो]	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5क)
9ख	112क (शेयरों या यूनितों की बिक्री पर एलटीसीजी जिस पर एसटीटी का भुगतान किया जाता है) या धारा 115कघ(1)(घ)(iii)- परन्तुक [जहां अंतरण 23 जुलाई 2024 को या उसके पश्चात् हुआ हो, जैसा लागू हो]	<input type="checkbox"/>	12.5	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5ख)
10	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभार्य एसटीसीजी	<input type="checkbox"/>		(अनुसूची बीएफएलए का 5ix)
11	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभार्य एलटीसीजी	<input type="checkbox"/>		(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5xii)
12	115ख (जीवन बीमा कारबार के लाभ और अभिलाभ)	<input type="checkbox"/>	12.50	(अनुसूची बीएफएलए का 5iii)
13क	115कग (विदेशी कंरसी में क्रय किए गए बंधपत्रों से प्राप्त ब्याज से अनिवासी की आय)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची ओ.एस. का भाग 2ग x)
13ख	115कग (अनिवासी द्वारा विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए जी.डी.आर के लाभांश पर आय)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची ओ.एस. का भाग 2ग xi)
14	115 खख (लॉटरी, वर्गपहेली, दौड़, खेल आदि से जीत)	<input type="checkbox"/>	30	(अनुसूची ओ.एस. का 2क)
15	115खखज (ऑनलाइन खेलों से जीत)	<input type="checkbox"/>	30	(अनुसूची ओ.एस. का 2कख)
16	115खखज (आभासी डिजिटल परिसंपत्ति के अंतरण से आय पर कर)			
	क कारबार या वृत्ति से आय	<input type="checkbox"/>	30	(अनुसूची बी.पी का 3घ)
	ख पूंजीगत लाभ शीर्ष के अधीन आय	<input type="checkbox"/>	30	(अनुसूची सी.जी का ग2)

17	115 खखड (धारा 68,69,69क,69ख,69ग या 69घ)	<input type="checkbox"/>	60	(अनुसूची ओ.एस. का 2ख)
18	115क(1)(ख)(क) तथा 115क(1)(ख)(ख)(रायल्टी तथा तकनीकी सेवाओं हेतु फीस से विदेशी कंपनी की आय)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची ओ.एस. का भाग 2ग xix)
19	115खखच (पेटेंट से आय पर कर)			
	क शीर्ष कारबार या वृत्ति के अधीन आय	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची बी.पी का 3घ)
	ख शीर्ष अन्य स्रोत के अधीन आय	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची ओ.एस का 2ग xvii)
20	115खखछ (कार्बन जमा के अंतरण से आय पर कर)			
	क शीर्ष कारबार या वृत्ति के अधीन आय	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची बी.पी का 3ड)
	ख शीर्ष अन्य स्रोत के अधीन आय	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची ओ.एस का 2ग xviii)
21	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय अन्य स्रोतों से आय	<input type="checkbox"/>		(अनुसूची बीएफएलए की धारा का भाग 5xv)
22क	15 प्रतिशत की दर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति की पास थू आय	<input type="checkbox"/>	15	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5viक)
22ख	20 प्रतिशत की दर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति की पास थू आय	<input type="checkbox"/>	20	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5viख)
23	30 प्रतिशत की दर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति की पास थू आय	<input type="checkbox"/>	30	(अनुसूची बीएफएलए का 5vii का भाग)
24क	112क के अन्तर्गत 10 प्रतिशत की दर से प्रभार्य दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय के जरिए पास थू आय	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5xक)
24ख	112क के अन्तर्गत 12.5 प्रतिशत की दर से प्रभार्य दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में पास थू आय	<input type="checkbox"/>	12.5	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5xख)
25	20 प्रतिशत की दर से प्रभार्य दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति की पास थू आय	<input type="checkbox"/>	20	(अनुसूची बीएफएलए का 5xi का भाग)
26क	धारा 112क से भिन्न 10 प्रतिशत की दर से प्रभार्य दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय के जरिए पास थू आय	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5xक)

26ख	धारा 112क से भिन्न 12.5% प्रतिशत की दर से प्रभार्य दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में पास थू आय	<input type="checkbox"/>	12.5	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5ख)
27	विशेष दरों से प्रभार्य अन्य स्त्रों की प्रकृति की पास थू आय (ई-फाइलिंग उपयोगिता में ड्राप डाउन प्रदान किया जाना है)	<input type="checkbox"/>		(अनुसूची ओ.एस का 2घ)
28	एक विदेशी (आफ शोर) निधि द्वारा विदेशी मुद्रा में खरीदी गई यूनिटों के बारे में प्राप्त की गई आय-115कख(1)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची ओ.एस का 2ग x)
29	रायल्टी से आय जहां 31.3.1961 से 31.3.1976 के बीच करार किया गया और तकनीकी सेवाओं से फीस से आय जहां करार 29.2.1964 से 31.3.1976, के बीच किया गया और करार का केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था। वित्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग 1 का पैरा ड. II	<input type="checkbox"/>	50	(अनुसूची ओ.एस का 2ग xix)
30	अन्य स्त्रों से आय की प्रकृति में किसी और आय पर विशेष दरों पर प्रभार्य होगा (ई-फाइलिंग युटिलिटी में ड्राप-डाउन दिया जाएगा)	<input type="checkbox"/>		(अनुसूची ओ.एस का भाग 2ग)
			योग	

**अनुसूची झ.च अनिगमित संस्थाओं में निवेश के संबंध में सूचना**

संस्था जिसमें निवेश किया गया	संस्थाओं की संख्या जिसमें निवेश किया गया है								
	क्रम सं.	संस्था का नाम	संस्था का प्रकार	संस्था का पैन	क्या संस्था परीक्षा के लिए उत्तरदायी है? (हां/नहीं)	क्या संस्था पर धारा 92ड लागू होती है? (हां/नहीं)	संस्था के लाभ में शेयर प्रतिशत	लाभ की शेयर राशि	संस्था में 31 मार्च को पूंजीगत शेष
								i	ii
	1								
	2								
	3								
	4	कुल							

**अनुसूची-छूट प्राप्त आय छूट प्राप्त आय के ब्यौरे (वह आय जो कुल आय में सम्मिलित नहीं है या कर से प्रभार्य नहीं है।)**

क्र.सं.	व्यय	व्यय का विवरण	व्यय का प्रकार	व्यय का प्रतिशत	व्यय का प्रतिशत
1	ब्याज से आय			1	
2	i	शुद्ध कृषि आय (आयकर नियम के नियम 7क, 7ख या 8 के अधीन सम्मिलित न की जाने वाली आय से भिन्न)	i		
	ii	कृषि पर उपगत व्यय	ii		
	iii	पूर्व आठ कर-निर्धारण वर्षों का अनामिलित कृषि हानि	iii		
	iv	नियम 7, 7क, 7ख(1), 7ख(1क) तथा 8से संबंधित कृषि आय (अनुसूची बी.पी के क्रम सं. 39 से)	iv		
	v	वर्ष (i-ii-iii+iv) के लिए शुद्ध कृषि आय (यदि हानि है तो शून्य निर्दिष्ट करें)		2	
	vi	यदि वर्ष के लिए कृषिगत आय 5 लाख ₹0 से अधिक है तो, कृपया निम्नलिखित ब्यौरे दीजिए (प्रत्येक कृषिगत भूमि के लिए अलग से ब्यौरा दीजिए)			

	क	जिला का नाम पिन कोड सहित, जहाँ कृषिगत भूमि है						
	ख	एकड़ में कृषिगत भूमि का नाम						
	ग	क्या कृषिगत भूमि का स्वामित्व रखते हैं या पट्टा पर ली है (ड्राप डाउन दिया जाए)						
	घ	क्या कृषिगत भूमि सिंचित है या वर्षा पर आश्रित है (ड्राप डाउन दिया जाए)						
छूट प्राप्त आय	3 अन्य छूट प्राप्त आय (कृपया उल्लेख करें) (3क+3ख)						3	
	क	धारा 10(15ख), 10(23चख), 10(23चखक), 10 (23चग), 10(23चगक), 10(23चड), 10(23चच), 10(4घ) के अधीन आय (कृपया प्ररूप दाखिल करने की तारीख तथा पावती संख्या का विवरण प्रदान करें (यदि 10(23चच और 10(4घ) के अधीन दावा किया गया है।) के अधीन ड्रापडाउन प्रदान करें तथा पंक्ति विकल्प शामिल करें।			3क			
	ख	कोई अन्य आय (प्रकृति निर्दिष्ट करें)- प्रदत्त आय की प्रकृति वर्णन करें।			3ख			
	4 डी.टी.ए.ए के अनुसार आय जो कर से दावाकृत प्रभार्य नहीं है							
	क्र.सं;	आय की राशि	आय की प्रकृति	देश का नाम और कोड	डीटीएए का अनुच्छेद	आय का शीर्ष		क्या टीआरसी लिया गया है (हाँ/ना)
	I							
II								
III	डीटीएए से कुल आय जो कर से प्रभार्य नहीं है					4		
5 पास थु आय जो कर से दावाकृत प्रभार्य नहीं है(अनुसूची पीटीआई)							5	
6 योग (1+2+3 +3 +4+5)							6	

अनुसूची पीटीआई		धारा 115प, 115पक और 115पख के अनुसार कारबार न्यास या विनिवेश निधि के पास के माध्यम से आय के ब्यौरे								
क्रम	धारा 115प/115पक/115पख में निवेशित	कारबार न्यास / विनिवेश निधि का नाम	कारबार न्यास / विनिवेश निधि का स्थायी खाता संख्या	क्रम	आयकाशीर्ष	चालू वर्ष आय	निवेश निधि वितरित चालू वर्ष हानि का शेयर	निवल आय/हानि 9=7-8	ऐसी रकम पर स्रोत पर कर कटौती ,यदि कोई हों	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
पास के माध्यम से आय	1. (ड्राप डाउन प्रदान किया जाएगा )			i	गृह संपत्ति					
				ii	पूँजी अभिलाभ					
				क	अल्पकालिक अवधि					
				का	धारा 111क					
				काii	अन्य					
				ख	दीर्घकालिक अवधि					
				खा	धारा 112क					



4	लाभ और हानि लेखा में यथादर्शित कर पश्चात् लाभ भाग क पी एंड एल की मद 56 प्रविष्टकरें/ (भाग क-पी एल आईएनडी ए एस की मद 56 में प्रविष्ट करें) (जो लागू हो)	4	
5	योग (यदि लाभ और हानि लेखा में विकलित है)		
	क आस्थगित कर की रकम और उसके लिए उपबंध समेत संदत्त या संदेय आय कर या उस का उपबंध (एफबीटी से भिन्न)	5क	
	ख आरक्षित (धारा 33कग के अधीन आरक्षित के सिवाय)	5ख	
	ग अभिनिश्चित न किए गए दायित्व के लिए उपबंध	5ग	
	घ समानुंगी कंपनियों की हानियों के लिए उपबंध	5घ	
	ङ संदत्त या प्रस्तावित लाभांश	5ङ	
	च धारा 10, 11 और 12 के अधीन छूट प्राप्त आय संबंधित व्यय (धारा 10 (38) के अधीन छूट प्राप्त आय को छोड़कर छूट प्राप्त आय)	5च	
	छ एओपी/बीओआई की आय में शेयर से संबंधित व्यय पर जिस पर धारा 86 के अनुसार आय कर संदत्त नहीं हैं	5छ	
	ज धारा 115अख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (चख) में निर्दिष्ट विदेशी कंपनी की दशा में व्यय	5ज	
	झ धारा 115अख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (चग) में निर्दिष्ट कतिपय पूंजी आस्तियां या यूनिटों के अंतरण पर संकेतन हानि	5झ	
	ञ 115खख के अधीन कर पर प्रभार्य पेटेंट की बाबत स्वामित्व के मद्धे आय से संबंधित व्यय	5ञ	
	ट आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन के लिए मान्य अवक्षयण	5ट	
	ठ धारा 115अख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (ट) में निर्दिष्ट यूनिटों के अंतरण पर अभिलाभ	5ठ	
	ड अन्य (अवशिष्ट असमायोजित मदों और किसी आस्ति के मूल्य में कमी के लिए उपबंध सहित )	5ड	
	ढ कुल कटौतियां (5क+5ख+5ग+5घ+5ङ+5च+5छ +5ज+5झ+5ञ+5ट+5ठ + 5ड )	5ढ	
6	कटौतियां		
	क आरक्षित से निकाली गई रकम या यदि लाभ या हानि लेखा को जमा की गई है तो उपबंध	6क	
	ख धारा 10, , 11 और 12 के अधीन आय (धारा 10 (38) के अधीन छूट प्राप्त आय को छोड़ कर छूट प्राप्त आय )	6ख	
	ग पुनर्मूल्यांकन आरक्षित और लाभ और हानि लेखा में जमा की गई रकम से निकाली गई उससीमा तक जब तक आस्ति के मूल्यांकन के मान्य अवक्षयण की रकम से अधिक नहीं होने की सीमातक	6ग	
	घ एओपी/ बीओआई की आय में अंश जिस पर लाभ और हानि खाते में जमा धारा 86 के अनुसार आय कर संदत्त नहीं हैं	6घ	
	ङ धारा 115अख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (IIघ) में निर्दिष्ट विदेशी कंपनी की दशा में आय	6ङ	
	च धारा 115अख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (IIङ) में निर्दिष्ट कतिपय पूंजी आस्तियां या यूनिटों के अंतरण पर संकेतन हानि	6च	

	छ	धारा 115 जख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (ट) में निर्दिष्ट यूनिटों के अंतरण पर हानि	6छ		
	ज	धारा 115 जख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (ii) में निर्दिष्ट स्वामित्व के मद्धे आय	6ज		
	झ	अग्रनित की गई हानि या गैर आमेलित अवक्षयण जो भी कम हो या दोनों जो भी लागू हो ।	6झ		
	ञ	रूग्ण औद्योगिक कंपनी का लाभ जो शुद्ध लाभ के बराबर या एक एकलिखित हानियों से अधिक है *	6ञ		
	ट	अन्य (अवशिष्ट असमायोजित मदों और लाभ और हानि लेखा में जमा किए गए आस्थगित कर की रकम सहित )	6ट		
	ठ	कुल कटौतियां (6क+6ख+6ग+6घ+6ङ +6च+6छ +6ज +6झ+6ञ+6ट)	6ठ		
7		धारा 115 जख के अधीन कुललाभ (4+ 5ढ - 6ठ)	7		
8		क्या कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के उपाबंध में विनिर्दिष्ट भारतीय लेखा मानक (आईएनडी-एस) के अनुपालन में कंपनी के वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं, यदि हां तो नीचे ब्यौरे प्रस्तुत करें ।		□हां□नहीं	
	क.	धारा 115 जख की उपधारा (2क) से (2ग) के अधीन अतिरिक्त खाता लाभ			
	क	शीर्ष वे मद्धे, जो लाभ और हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं की जाएगी, के अधीन लाभ और हानि के विवरण में अन्य व्यापक आय	8क		
	ख	शेयर धारक में किसी निर्विलयन के लिए बिना नकद आस्ति के वितरण पर लाभ और हानि के विवरण हेतु विकलन की रकम	8ख		
	ग	धारा 115 जख (2ग) में यथा निर्दिष्ट सक्रमण रकम के 1/5वें (यदि लागू हो)	8ग		
	घ	अन्य (जिसमें अवशिष्ट समायोजन भी शामिल है)	8घ		
	ङ	कुल जोड़ (8क + 8ख + 8ग + 8घ)	8ङ		
	ख.	धारा 115 जख की उपधारा (2क) से (2ग) के अधीन खाते से कटौती			
	च	शीर्ष वे मद्धे, जो लाभ और हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं की जाएगी, के अधीन लाभ और हानि के विवरण में अन्य व्यापक आय	8च		
	छ	शेयर धारक में किसी निर्विलयन के लिए बिना नकद आस्ति के वितरण पर लाभ और हानि के विवरण हेतु विकलन की रकम	8छ		
	ज	धारा 115 जख (2ग) में यथा निर्दिष्ट सक्रमण रकम के 1/5वें (यदि लागू हो)	8ज		
	झ	अन्य (जिसमें अवशिष्ट समायोजन भी शामिल है)	8झ		
	ञ	कुल जोड़ (8च + 8छ + 8ज + 8झ)	8ञ		
9		धारा 115 जख (7 + 8ङ - 8ञ) के अधीन समझी गई कुल आय	9		
	क	धारा 115 जख के अधीन आई.एफ.एस.सी में स्थित इकाईयों से समायोजित कुल आय, यदि कोई हो	9क		
	ख	धारा 115 जख के अधीन इकाईयों (9-9क) के अतिरिक्त समायोजित कुल आय	9ख		
10		धारा 115 जख के अधीन संदेय कर [(9क) का 9% + (9ख) का 15%]	10		

अनुसूची एमएटीसी	धारा 115 जख के अधीन कर प्रत्यय की संगणना		
1	निर्धारण वर्ष 2025-26 में धारा 115 जख के अधीन कर (भाग बीटीटीआई का 1घ)	1	
2	निर्धारण वर्ष 2025-26 में अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन कर (भाग बीटीटीआई का 2छ)	2	
3	कर की रकम जिसके विरुद्ध प्रत्यय उपलब्ध है [यदि 2 1 से बढ़ा है तो (2-1) प्रविष्ट करें, अन्यथा 0 प्रविष्ट करें]	3	

4 उपलब्ध एमएटी प्रत्यय का उपयोग [चालू वर्ष के दौरान उपयोग किए गए एमएटी प्रत्यय की राशि उपर 3 में वर्णित रकम के अधिकतम के अधीन है और अग्रणीत एमएटी प्रत्यय की राशि से अधिक नहीं हो सकती]						
क्रम सं.	निर्धारणवर्ष (क)	एमएटी प्रत्यय			चालू वर्ष के लिए एमएटी प्रत्यय (ग)	अग्रणी तब का या एमएटी प्रत्यय (घ) [घ = ख3 -ग]
		सकल (ख1)	पूर्व के वर्षों में मुजरा किए गए (ख2)	अग्रणीत अति शेष (ख3) = (ख2) - (ख1)		
I	2009-10					
ii	2010-11					
iii	2011-12					
iv	2012-13					
v	2013-14					
vi	2014-15					
vii	2015-16					
viii	2016-17					
ix	2017-18					
x	2018-19					
Xi	2019-20					
Xii	2020-21					
Xiii	2021-22					
Xiv	2022-23					
xv	2023-24					
xvi	2024-25					
xvii	2025-26 [(का क्रम संसं1 -क्रम सं2)- अनुसूची भाग ख का क्रम सं 6ग-2घ) टीटीआई केवल यदि सकारात्मक है)					
xviii	योग					
5	वर्ष के दौरान उपयोग की गई धारा 115अकक के अधीन कर प्रत्यय की रकम [4ग (xvi) प्रविष्ट करें]				5	
6	पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों में प्रत्यय के लिए उपलब्ध एमएटी दायित्व की रकम [ 4(घ) xviii प्रविष्ट करें]				6	

अनुसूची-बीबीएस		शेयरों की पुनःखरीद पर घरेलू कंपनी की वितरित आय पर कर के ब्यौरे [01.10.2024 से पहले बाय बैंक के लिए]			
क्रम	विवरण	पहले क्रय द्वारा वापिस के ब्यौरे	दूसरे क्रय द्वारा वापिस के ब्यौरे	तीसरे क्रय द्वारा वापिस के ब्यौरे	
		(iii)	(iv)	(v)	
1	क्रय द्वारा वापिस लिए गए शेयरों पर शेर धारकों को किसी प्रतिफल के संदाय की तारीख	(दिन/मास/वर्ष)	(दिन/मास/वर्ष)	(दिन/मास/वर्ष)	



6	बैंक तथा शाखा का नाम						
7	बीएसआर कोड						
8	चालान की क्रम सं.						
9	जमा की राशि						

अनुसूची 115नघ		धारा 115 नघ के अधीन सहवर्धी आय		
1	विनिर्दिष्ट व्यक्ति के सकल आस्ति का उचित बाजार मूल्य	1		
2	घटाना: विनिर्दिष्ट व्यक्ति का सकल दायित्व	2		
3	आस्तियों का शुद्ध मूल्य (1-2)	3		
4	(i) धारा 10(1) में निर्दिष्ट आय से प्रत्यक्षता अधिगृहित आस्तियों का उचित बाजार मूल्य	4i		
	(ii) निर्मिति या स्थापन की तारीख से धारा 12कख के अधीन रजिस्ट्रीकरण या अनंतिम रजिस्ट्रीकरण की प्रभावी तारीख की अवधि के दौरान अधिगृहित आस्तियों का उचित बाजार मूल्य, यदि धारा 11 और धारा 12 के अधीन उक्त अवधि के दौरान फायदे का दावा नहीं किया गया है।	4ii		
	(iii) धारा 115नघ(2) के तीसरे परंतुक अनुसार हस्तांतरित आस्तियों का उचित बाजार मूल्य	4iii		
	(iv) कुल (4i+4ii+4iii)	4iv		
5	उपरोक्त 4 पर आस्तियों के संबंध में दायित्व	5		
6	धारा 115 नघ के अनुसार आय {3-(4iv-5)}	6		
7	अधिकतम मार्जिनल दर पर धारा 115नघ के अधीन संदेय अतिरिक्त आय कर	7		
8	धारा 115नघ के अधीन संदेय ब्याज	8		
9	धारा 115नघ के अधीन विनिर्दिष्ट अतिरिक्त आय कर	9		
10	संदेय अतिरिक्त आयकर और ब्याज	10		
11	संदत कर और ब्याज	11		
12	शुद्ध संदाय (10-11) ( नकारात्मक होने पर 0 लिखें)	12		
13	आय पर जमा किए गए कर की तारीख	दिनांक 1 डीडी/एमएम/वाईवाई	दिनांक 2 डीडी/एमएम/वाईवाई	दिनांक 3 डीडी/एमएम/वाईवाई
14	बैंक और ब्रांच का नाम			

15	बी एस आर कोड			
16	चालान का क्रम संख्यांक			
17	जमा की गई राशि			

अनुसूची- एफएसआई		भारत से बाहर आय के ब्यौरे और कर राहत(निवासी के मामले में ही उपलब्ध)								
क्र. सं.	देश कोड (ई-फाइलिंग यूटिलिटी में डापडाउन दिया जाएगा)	कर संदाय कर्ता की पहचान संख्या	क्रम	आय का शीर्ष	भारत के बाहर से आय (भाग बीटीआईमें सम्मिलित )	भारत के बाहर संदत	भारत में सामान्य उपबंधों के अधीन इस आय पर संदेय कर	भारत में उपलब्ध कर राहत(ड.)=(ग) या (घ) जो भी कम हो	डीटीए का अनुच्छेद यदि राहत का दावा धारा 90 या 90 क के अधीन किया गया है	
				(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ड)	(च)	
1			i	गृह संपत्ति						
				ii	कारबार या व्यवसाय					
				iii	पूंजी अभिलाभ					
				iv	अन्य स्रोत					
				योग						
2			i	गृह संपत्ति						
				ii	कारबार या व्यवसाय					
				iii	पूंजी अभिलाभ					
				iv	अन्य स्रोत					
				योग						
टिप्पण:-		कृपयाइस अनुसूची को भरनेके लिए अनुदेशों के प्रतिनिर्देशकरें								

अनुसूची-टीआर		भारत से बाहर संदत्त कर के लिए दावाकृत कर राहत का संक्षिप्त विवरण (निवासी के मामले में ही उपलब्ध)				
भारत से बाहर संदत्तकर के लिए कर राहत	1	दावाकृत कर राहत के ब्यौरे				
		देश कोड	कर संदाय कर्ता पहचान संख्या	भारत से बाहर कुल संदत्तकर (प्रत्येक देश के बाबत अनुसूची एफएसआई के (ग का योग )	उपलब्ध कुल कर राहत (प्रत्येक देश के बाबत अनुसूची एफएसआई के (ड.) का योग )	धारा जिसके अधीन राहतका दावा कियागया है (90, 90 क या 91 विनिर्दिष्ट करें)
		(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)
				योग		
	2	देश जहां डीटीए लागू है, के बाबत उपलब्ध कुल कर राहत (धारा 90/90क) (1घ के योग का भाग)				2
	3	देश जहां डीटीए लागू नहीं है, के बाबत उपलब्ध कुल कर राहत (धारा 91) (1घ के योग का भाग)				3
	4	क्या भारत के बाहर संदत्त कोई कर, जिस पर भारत में कर राहत अनुज्ञात या वर्ष के दौरान विदेशी कर प्राधिकरण				4
		क प्रतिदेय कर की रकम		ख वह निर्धारित वर्ष जिसमें भारत में कर राहत अनुज्ञात किया गया है		हां/नहीं
टिप्पण ▶ कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों को निर्दिष्ट करें						

अनुसूची- एफ.ए		भारत के बाहर किसी भी स्रोत से विदेशी आस्तियां और आय का ब्यौरा										
विदेशी आस्तियों के ब्यौरे	A1	31 दिसंबर, 2024 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी समय विदेशी निक्षेपागार खातों का विवरण (अन्य लाभकारी ब्याज शामिल)										
	क्र सं.	देश का नाम	देश का कोड	वित्तीय संस्थानों का नाम	वित्तीय संस्थानों का पता	जिप कोड	खाता सं.	प्रास्थिति	खाता खोलने की तारीख	अवधि के दौरान अधिकतम अतिशेष	अंत अतिशेष	अवधि के दौरान खाते में संदत्त या जमा सकल ब्याज
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	(i)											
	(ii)											
A2	31 दिसंबर, 2024 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय धारित विदेशी अभिरक्षा खाते के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)											

क्र सं.	देश का नाम	देश का कोड	वित्तीय संस्थानों का नाम	वित्तीय संस्थानों का पता	जिप कोड	खाता सं.	प्रास्थिति	खाता खोलने की तारीख	अवधि के दौरान अधिकतम अतिशेष	अंत अतिशेष	अवधि के दौरान खाते से संदत/प्रत्यय सकल रकम (झाप डाउन उपबंधित किया जाए जिसमें रकम की प्रकृति विनिर्दिष्ट हो जैसे कि ब्याज/लाभांश/विक्रय से प्राप्तियां या वित्तीय आस्तियों का मोचन/अन्य आय	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
(i)												
(ii)												
<b>अ3</b>	31 दिसंबर, 2024 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय किसी इकाई द्वारा धारित विदेशी साधारण और ऋण ब्याज के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी हैं)											
क्र सं.	देश का नाम	देश का कोड	इकाई का नाम	इकाई का पता	जिप कोड	इकाई की प्रकृति	हित अर्जित करने की तारीख	निवेश का आरंभिक मूल्य	अवधि के दौरान अधिकतम अतिशेष	अंतमूल्य	अवधि के दौरान धृति के संबंध में संदत्त या जमा सकल रकम	अवधि के दौरान विक्रय से कुल सकल आगम या निवेश का कुल सकल मोचन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
(i)												
(ii)												
<b>अ4</b>	31 दिसंबर, 2024 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय धारित विदेशी नकद मूल्य बीमा संविदा या वार्षिकी संविदा के ब्यौरे(जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी हैं)											
क्र सं.	देश का नाम	देश का कोड	वित्तीय संस्था जिसमें बीमा की गई का नाम	वित्तीय संस्था का पता	जिप कोड	संविदा की तारीख	संविदा का नकद मूल्य या अभ्यर्पित मूल्य	अवधि के दौरान संविदा के संबंध में संदत्त या जमा सकल रकम				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
(i)												
(ii)												
<b>ख</b>	31 दिसंबर, 2024 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय किसी इकाई में धारित वित्तीय हित के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी हैं)											
क्रसं.	देश का नाम	जिप कोड	अस्तित्व की प्रकृति	अस्तित्व का नाम औरप ता	ब्याज की प्रकृति-सीधे / फायदाप्रद	रखने की तारीख से	कुल विनिधान (लागत)	ऐसे ब्याज से प्रोदभूत आय	आय की प्रकृति	इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज		
										राशि	जहां अनुसूची	अनुसूची की मद संख्या

	और कोड			स्वामी / हिताधिकारी		पर) (रु. में)				पेश की गई है		
(1)	(2क)	(2ख)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(i)												
(ii)												
ग	31 दिसंबर, 2024 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय अचल संपत्ति के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)											
क्र.सं.	देश का नाम और कोड	जिप कोड	संपत्ति का पता	स्वामित्व-सीधे फायदाप्रद स्वामी/हिताधिकारी	अर्जन की तारीख	कुल विनिधान (लागत पर) (रु. में)	संपत्ति से प्राप्त आय	आय की प्रकृति	इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज			
									राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या	
(1)	(2क)	(2ख)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
(i)												
(ii)												
घ	31 दिसंबर, 2024 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय कोई अन्य पूंजी आस्ति के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)											
क्र.सं.	देश का नाम और कोड	जिप कोड	आस्ति की प्रकृति	स्वामित्व-सीधे फायदा प्रदस्वामी/हिताधिकारी	अर्जन की तारीख	कुल विनिधान (लागत पर) (रु. में)	संपत्ति से प्रोदभूत आय	आय की प्रकृति	इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज			
									राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या	
(1)	(2क)	(2ख)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
(i)												
(ii)												
ड	31 दिसंबर, 2024 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय खाता (खातों) जिसमें आप हस्ताक्षर प्राधिकारी हैं के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है) और जो उपरोक्त क से घ में सम्मिलित नहीं किए गए हैं ।											
क्र.सं.	संस्था का नाम जिसमें खाता रखा है	संस्था का पता	जिप कोड	खाताधारक का नाम	खाता संख्या	वर्ष के दौरान उच्चतम अतिशेष / विनिधान (रु. में)	क्या आपके पास प्रोदभूत आय कराधेय है	यदि (7)हां है तो खाते में प्रोदभूत राशि	यदि (7)हां में है,तो इस विवरणी में पेश की गई आय			
									राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या	
(1)	(2)	(3क)	(3ख)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	





टिप्पण	पदों- "जोखिम पूंजी कंपनी", "जोखिम पूंजी निधि" और "विनिर्दिष्ट कंपनी", की परिभाषा के लिए, कृपया डीपीआईआईटी अधिसूचना तारीख 19.02.2019 देखें
--------	---

अनुसूची ए.एल-1	वर्ष की समाप्ति पर आस्तियां और दायित्व (किसी असूचीबद्ध कंपनी द्वारा भरा जाना आज्ञापक रूप से अपेक्षित है)/(किसी स्टार्ट-अप से अन्य जिसके द्वारा अनुसूची ए.एल-2 भरना जाना है)											
आस्तियां और दायित्वों के ब्यौरे	क आवासीय घर होने पर भवन या उसकी भूमि के उपाबंध या दोनों के ब्यौरे											
	क्र.सं.	पता		पिन कोड		अर्जन की तारीख		अर्जन की कीमत (₹.)		प्रयोजन जिसके लिए उपयोग किया गया (ड्रॉप-डाउन दिया जाए)		
	(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		
	(i)											
	(ii)											
	ख घर की प्रकृति आवासीय न होने पर भवन या उसकी भूमि के उपाबंध या दोनों के ब्यौरे											
	क्र.सं.	पता		पिन कोड		अर्जन की तारीख		अर्जन की कीमत (₹.)		प्रयोजन जिसके लिए उपयोग किया गया (ड्रॉप-डाउन दिया जाए)		
	(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		
	(i)											
	ग सूचीबद्ध साधारण शेयरों का ब्यौरा											
	आरंभिक अतिशेष			वर्ष के दौरान अर्जित किए गए शेयर			वर्ष के दौरान अंतरित किए गए शेयर			अंत अतिशेष		
	शेयरों की संख्या	शेयरों के प्रकार	अर्जन की कीमत	शेयरों की संख्या	शेयरों के प्रकार	अर्जन की कीमत	शेयरों की संख्या	शेयरों के प्रकार	विक्रय प्रतिफल	शेयरों की संख्या	शेयरों के प्रकार	अर्जन की कीमत
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
घ असूचीबद्ध साधारण शेयरों का ब्यौरा												
कंपनी का नाम	पेन	आरंभिक अतिशेष		वर्ष के दौरान अर्जित किए गए शेयर				वर्ष के दौरान अंतरित किए गए शेयर		अंत अतिशेष		
		शेयरों की संख्या	अर्जन की कीमत	शेयरों की संख्या	अभिदान/क्रय की तारीख	प्रति शेयर अंकित मूल्य	प्रति शेयर निर्गमन कीमत (नए निर्गमन की दशा में)	प्रति शेयर क्रय कीमत (विद्यमान शेयर धारक से क्रय की दशा में)	शेयरों की संख्या	विक्रय प्रतिफल	शेयरों की संख्या	अर्जन की कीमत
ड अन्य प्रतिभूतियों के ब्यौरे												
प्रतिभूतियों के प्रकार	क्या सूचीबद्ध या असूचीबद्ध है	आरंभिक अतिशेष		वर्ष के दौरान अर्जित की गई प्रतिभूतियां				वर्ष के दौरान अंतरित की गई प्रतिभूतियां		अंत अतिशेष		

		प्रतिभूतियों की संख्या	अर्जन की कीमत	प्रतिभूतियों की संख्या	अभिदान/क्रय की तारीख	प्रतिशेयर अंकित मूल्य	प्रतिभूतियों की निर्गमन कीमत (नए निर्गमन की दशा में)	प्रति प्रतिभूति क्रय कीमत (विद्यमान धारक से क्रय की दशा में)	प्रतिभूतियों की संख्या	विक्रय प्रतिफल	प्रतिभूतियों की संख्या	अर्जन की कीमत
च	अन्य अस्तित्व को पूंजी अभिदाय के ब्यौरे											
	अस्तित्व का नाम	पैन	आरंभिक अतिशेष	वर्ष के दौरान अभिदाय की गई रकम	वर्ष के दौरान निकाली गई रकम	वर्ष के दौरान विकलित या जमा किए गए लाभ /हानि/लाभांश/ब्याज की रकम	अंत अतिशेष					
छ	किसी अन्य समुत्थान को उधार और अग्रिम के ब्यौरे (यदि साहूकारी निर्धारिती का सार्वान कारवार नहीं है)											
	व्यक्ति का नाम	पैन	आरंभिक अतिशेष	प्राप्त रकम	संदत रकम	जमा किया गया ब्याज, यदि कोई हो	अंत अतिशेष	ब्याज की दर (%)				
ज	मोटर यान, वायुयान नौका या अन्य परिवहन के अन्य माध्यम के ब्यौरे											
	आस्ति का विवरण	बाहन की रजिस्ट्रीकृत सं.		अर्जन की कीमत	अर्जन की तारीख	प्रयोजन जिसके लिए उपयोग किया गया (ड्रॉप-डाउन दिया जाए)						
झ	आभूषण, पुरातत्वीय संग्रह, चित्रकारी, रंगचित्र, मूर्ति, कला या सोने- चांदी के अन्य कार्य का ब्यौरा											
	आस्ति का विवरण	मात्रा	अर्जन की कीमत	अर्जन की तारीख	उपयोग का प्रयोजन (ड्रॉप-डाउन दिया जाए)							
ञ	दायित्वों के ब्यौरे											
	वित्तीय संस्थान से भिन्न किसी व्यक्ति से लिए गए उधार, निक्षेपों और अग्रिमों के ब्यौरे											
	व्यक्ति का नाम	पैन	आरंभिक अतिशेष	प्राप्त रकम	संदत रकम	जमा किया गया ब्याज यदि कोई हो	अंत अतिशेष	ब्याज की दर (%)				

टिप्पण ▶ कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए निर्देशों को देखें

अनुसूची ए.एल-2

वर्ष के अंत में आस्तियां और दायित्व (केवल स्टार्ट-अप के लिए लागू)

	यदि आप एक ऐसे स्टार्ट-अप हैं जिसमें डीपीआईआईटी अधिसूचना तारीख 19.02.2019 के पैरा-5 के अधीन प्ररूप-2 में घोषणा फाइल की है, कृपया निगमन की तारीख से वर्ष के अंत तक की अवधि के लिए निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करें :-								
आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे	क	निगमन से अर्जित आवासीय घर होने पर भवन या उसकी भूमि के उपाबंध या दोनों के ब्यौरे							
	क्र.सं.	पता	पिन कोड	अर्जन की तारीख	अर्जन की कीमत (₹.)	प्रयोजन जिसके लिए उपयोग किया गया (ड्रॉप-डाउन दिया जाए)	क्या पूर्व वर्ष के अंत पर या पहले अंतरित किया गया, यदि हां तो अंतरण की तारीख		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
	(i)								
	(ii)								
	ख	निगमन से अर्जित आवासीय घर न होने पर भवन या उसकी भूमि के उपाबंध या दोनों के ब्यौरे							
	क्र.सं.	पता	पिन कोड	अर्जन की तारीख	अर्जन की कीमत (₹.)	प्रयोजन जिसके लिए उपयोग किया गया (ड्रॉप-डाउन दिया जाए)	क्या पूर्व वर्ष के अंत पर या पहले अंतरित किया गया, यदि हां तो अंतरण की तारीख		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
	(i)								
	ग	निगमन से दिए गए उधार और अग्रिम के ब्यौरे (यदि साहकारी निर्धारिती का सारवान कारवार नहीं है)							
		व्यक्ति का नाम	पैन	तारीख जिसको उधार और अग्रिम दिए गए हैं	उधारों और अग्रिमों की रकम	रकम	क्या उधार और अग्रिम का प्रतिसंदत्त हो गया है, यदि हां तो ऐसे प्रतिसंदाय की तारीख	पूर्व वर्ष के अंत में अंत अतिशेष, यदि कोई हो	ब्याज की दर यदि कोई हो
	घ	निगमन से अन्य अस्तित्व को किए गए पूंजी अभिदाय के ब्यौरे							
		अस्तित्व का नाम	पैन	तारीख जिसको पूंजी अभिदाय किया गया है	अभिदाय की रकम	निकाली गई रकम यदि को हो	वर्ष के दौरान विकलित या प्रत्यय किए गए लाभ /हानि/लाभांश/ब्याज की रकम	पूर्व वर्ष के अंत में अंत अतिशेष, यदि कोई हो	
ङ	शेयरों और प्रतिभूतियों के अर्जन के ब्यौरे								
	कंपनी/अस्तित्व का नाम	पैन	शेयरों /प्रतिभूतियों के प्रकार	अर्जित शेयरों/प्रतिभूतियों की संख्या	अर्जन की कीमत	अर्जन की तारीख	क्या अंतरित किया गया, यदि हां तो अंतरण की तारीख	पूर्व वर्ष की समाप्ति पर अंत अतिशेष, यदि कोई हो	
च	मोटर यान, वायुयान नौका या अन्य परिवहन के अन्य माध्यम के ब्यौरे, जिसकी वास्तविक कीमत निगमन से अर्जित दस लाख रुपयों से अधिक है								

	आस्ति का विवरण	बाहन की रजिस्ट्रीकृत सं.	अर्जन की कीमत	अर्जन की तारीख	प्रयोजन जिसके लिए उपयोग किया गया (ड्रॉप-डाउन दिया जाए)	क्या अंतरित किया गया, यदि हां तो अंतरण की तारीख		
छ	निगमन से अर्जित आभूषणों का ब्यौरा							
	आस्ति का विवरण	मात्रा	अर्जन की कीमत	अर्जन की तारीख	उपयोग का प्रयोजन (ड्रॉप-डाउन दिया जाए)	क्या अंतरित किया गया, यदि हां तो अंतरण की तारीख	पूर्व वर्ष की समाप्ति पर अंत अतिशेष, यदि कोई हो	
ज	निगमन से अर्जित पुरातत्वीय संग्रह, चित्रकारी, रंगचित्र, मूर्ति, कला या सोना चांदी के अन्य कार्य का ब्यौरा							
	आस्ति का विवरण	मात्रा	अर्जन की कीमत	अर्जन की तारीख	उपयोग का प्रयोजन (ड्रॉप-डाउन दिया जाए)	क्या अंतरित किया गया, यदि हां तो अंतरण की तारीख	पूर्व वर्ष की समाप्ति पर अंत अतिशेष, यदि कोई हो	
झ	दायित्वों के ब्यौरें							
	वित्तीय संस्थान से भिन्न किसी व्यक्ति से लिए गए उधार, निक्षेपों और अग्रिमों के ब्यौरें							
	व्यक्ति का नाम	पैना	आरंभिक अतिशेष	प्राप्त रकम	संदत रकम	विकलित ब्याज यदि कोई हो	अंत अतिशेष	ब्याज की दर (%)
टिप्पण▶	कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए निर्देशों को देखें							

अनुसूची जीएसटी		आवर्तन/ रिपोर्ट की गई सकल रसीद के संबंध में सूचना	
जीएसटी का ब्यौरा	क्र.सं.	जीएसटीआईएन (सं.)	फाइल की गई जीएसटी विवरणी (विवरणियों) के अनुसार जाबक पूर्तियों का वार्षिक मूल्य
	(1)	(2)	(3)
टिप्पण▶	कृपया प्रत्येक जीएसटीआईएन संख्या के लिए पृथक रूप से सूचना उपर प्रस्तुत करें		

अनुसूची एफ.डी		विदेशी करेंसी में संदाय/प्राप्ति के ब्यौरें (निर्धारित जो धारा 44कख के अधीन लेखों की संपरीक्षा करवाने हेतु दायी नहीं हैं)	
करेंसीवार ब्यौरें	क्रम सं.		रकम (रुपयमें)
	i	पूजीगत लेखा पर वर्ष के दौरान किए गए संदाय	
	ii	राजस्व खातो पर वर्ष के दौरान किए संदाय	
	iii	पूजीगत लेखा पर वर्ष के दौरान प्राप्ति	
	iv	राजस्व खातो पर वर्ष के दौरान प्राप्ति	
टिप्पण▶	कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों को विनिर्दिष्ट करें		

## भाग - ख

भाग ख-कुल आय	कुल आय की संगणना
--------------	------------------

कुल आय	1	गृहसंपत्ति से आय (अनुसूची गृहसंपत्ति का 3) (शून्य प्रविष्ट करें यदि हानि हो)			1	
	2	कारबार या वृत्ति से लाभ और हानिसट्टे का कारबार से भिन्न कारबार से लाभ हानि				
	i	सट्टे का कारबार और विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न कारबार से लाभ हानि (अनुसूची -बीपी का क 38) (शून्य प्रविष्ट करें यदि हानि हो)	2i			
	ik	कच्चे हीरे बेचने के पात्र कारबार से विदेशी कंपनी की आय (नियम 10नझक देखें)(अनुसूची बीपी की सारणी ड. का 3ivक)	2ik			
	ii	सट्टे का कारबार से लाभ हानि अनुसूची बीपी की तालिका च के 3(ii)(यदि हानिक हो तो शून्य भरें तथा अनुसूची सीएफएल के आंकड़े लें)	2ii			
	iii	विनिर्दिष्ट कारबार से लाभ और अभिलाभ (अनुसूची बीपी की तालिका च का 3(iii)(यदि हानि हो तो शून्य भरें तथा अनुसूची सीएफएल का आंकड़े लें)	2iii			
	iv	विशेष दरों पर कर से प्रभाय आय(अनुसूची बी.पी की तालिका च का 3घ, 3ङ, 3च और 3ख)	2iv			
	V	कुल(2i +2ik + 2ii+2iii + 2iv)			2v	
	3	पूंजी अभिलाभ				
	क	अल्पकालिक				
	ik	अल्पकालिक प्रभाय 15% की दर से (अनुसूची सीजी की मद ड. के 11ii)	कांक			
	ix	अल्पकालिक प्रभाय 20% की दर से (अनुसूची सीजी की मद ड. के 11iii)	काख			
	ii	अल्पकालिक प्रभाय 30% की दर से (अनुसूची सीजी की मद ड. के 11iv)	काii			
	iii	लागूदर पर अल्पकालिक प्रभाय (अनुसूची सीजी की मद ड. के 11v)	काiii			
	iv	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर अल्प-कालिक प्रभाय (अनुसूची सीजी के मद ड की 11vi)	काiv			
v	कुल अल्पकालिक (कांक + काख + काii+काiii + काiv) (यदि हानि तो शून्य प्रविष्ट करे)	3कv				
ख	दीर्घकालिक					
ik	दीर्घकालिक प्रभाय 10% की दर से (अनुसूची सीजी की मद ड के 11vii)	खांक				
ix	दीर्घकालिक प्रभाय 12.5% की दर से (अनुसूची सीजी की मद ड के 11viii)	खाख				
ii	दीर्घकालिक प्रभाय 20% की दर से (अनुसूची सीजी की मद ड के 11ix)	खii				
iii	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर दीर्घ-कालिक प्रभाय (अनुसूची सीजी के मद ड की 11x)	खiii				
iv	कुल दीर्घकालिक (खांक + खाख + खii + खiii) (यदि हानि है तो शून्य प्रविष्ट करें)	3खाiv				
ग	अल्पकालिक/दीर्घकालिक पूंजीगत अभिलाभ की राशि (3कv + 3खाiv) (यदि हानि तो शून्य दर्ज करें)			3ग		
घ	धारा 115खखज के अधीन 30% की दर से प्रभाय पूंजीगत अभिलाभ (अनुसूची सी.जी का ग 2)			3घ		
ङ	कुल पूंजीगत अभिलाभ (3ग + 3घ)			3ङ		
4	अन्य स्रोतों से आय					

	क	साधारण लागू दरों पर कर से प्रभार्य स्रोतों से अन्य शुद्ध आय/ अनुसूची ओएस का 6) (यदि हानि है तो शून्यप्रविष्टकर)	4क		
	ख	आय पर प्रभार्य कर विशेषदर पर (अनुसूची ओएस का 2)	4ख		
	ग	दोड़ के घोड़ों के स्वामित्व और रख-रखाव के क्रिया कलापों से आय(अनुसूची ओएस का 8ड) (यदि हानि है तो शून्यप्रविष्टकरें)	4ग		
	घ	कुल(4क+ 4ख+ 4ग)			4घ
5		शीर्ष-वार आय का योग (1 + 2व + 3ड+ 4घ)			5
6		5 के लिए मुजरे के चालू वर्ष की हानियां (अनुसूची सीवाईएलए का कुल2xvii, 3xvii तथा4xvii)			6
7		चालू वर्ष की हानियों के मुजरा करने के पश्चात् अतिशेष (5--6) अनुसूची सीवाईएलए के स्तंभ 5 के क्रम सं (ii), (iii), (iv) से (xv) तक का योग + 4ख + 2iv)			7
8		7 के विरुद्ध मुजरा किए जाने योग्य अग्रणीत की गई हानि (बीएफएलए अनुसूची का कुल 2xvi, 3xvi तथा4xvi)			8
9		सकल कुल आय (7--8) (अनुसूची बीएफएलए के स्तंभ 5 के क्रम सं (i), (ii), (iv) से (xiv)तक का योग + 4ख + 2iv)			9
10		9 में सम्मिलित, धारा 111क, धारा 112, धारा 112क आदि के अधीन आय पर विशेष दर से प्रभार्य कर			10
11		अध्याय 6 के अधीन कटौतियां			
	क	अनुसूची 6क का भाग ख/अनुसूची V/क का 1 तथा बीएफएलए के स्तंभ 5 के i+ii+iv+v+viii+xiii+xiv तक सीमित			11क
	ख	अनुसूची 6क का भाग ग (अनुसूची V/क का 2)			11ख
	ग	कुल (11क + 11ख) (9-10) तक सीमित)			11ग
12		धारा 10कक के अधीन कटौतियां (योग अनुसूची 10कक)			12
13		कुल आय (9- 11ग -12)			13
14		विशेष दर पर आय पर प्रभार्य कर (अनुसूची एस आई के (i) का योग )			14
15		मामूली दर पर आय पर प्रभार्य कर (13 - 14)			15
16		शुद्ध कृषि आय /दर प्रयोजन के लिए कुल अन्य (अनुसूची ईआई का 2v)			16
17		चालू वर्ष की हानिया जो अग्रणीत की जानी है (अनुसूची सीएफएल का xx) का योग )			17
18		धारा 115 जख के अधीन समझी जाने वाली कुल आय (अनुसूची एमएटी का 9)			18

भाग ख - टीटीआई		कुल आय पर कर दायित्व की संगणना			
संगणना कर दायित्व की	1	क	धारा 15जख के अधीन समझी जानी वाली कुल आय पर संदेय कर (अनुसूची एमएटी का 10)	1क	
		ख	उपर(क) पर अधिभार (यदि लागू है)	1ख	
		ग	उपर (1क+1ख) पर 4% की दर से स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर	1ग	
		घ	धारा 115जख के अधीन संदेय कुलकर (1क + 1ख + 1ग)	1घ	
	2		कुल आय पर संदेय कर		
		क	भाग ख- टीआई की मद 15 पर दरों पर कर	2क	
		ख	विशेष दरों पर कर (अनुसूची एसआई (ii) का योग )	2ख	
		ग	(2क + ख) कुलआय पर संदेय कर	2ग	
		घ	अधिभार		
		i	एस.आई अनुसूची 16(ii) का 25%	2घा	

	ii एस.आई अनुसूची का 16(ii) - 2ग)	2घाii			
	iii कुल(i + ii)		2घाiii		
	ड (2ग+2घाiii) पर 4% की दर से स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर		2ड		
	च सकल कर दायित्व (2ग+2 घाiii +2ड)		2च		
3	सकल संदेय कर (1घ और 2छ की उच्चतर प्रविष्ट करें)		3		
4	पूर्व वर्षों में धारा 115 जकक के अधीन जमा संदत्त कर (यदि 2छ 1घ से अधिक होतो)(एमएटीसीअनुसूची का 5)		4		
5	धारा 115जकक के अधीन जमा के पश्चात् संदेय कर [(3 - 4)]		5		
6	कर अनुतोष				
	क धारा 90/90क (अनुसूची टीआर का 2 )	6क			
	ख धारा 91 (अनुसूची टीआर का 3)	6ख			
	ग कुल (6क + 6ख)		6ग		
7	शुद्ध कर दायित्व (5 - 6ग) (यदि नकारात्मक हो तो शून्य प्रविष्ट करें)		7		
8	संदेय ब्याज और फीस				
	क विवरणी देने में चूक के लिए ब्याज (धारा 234क)	8क			
	ख अग्रिम कर में भुगतान में चूक के लिए ब्याज (धारा 234ख)	8ख			
	ग अग्रिम कर आस्थगन के लिए ब्याज (धारा 234ग)	8ग			
	घ आय विवरणी प्रस्तुत न करने पर चूक के लिए फीस (धारा 234घ)	8घ			
	ड कुल संदेय ब्याज (8क+8ख+8ग +8घ)		8ड		
9	सकल दायित्व (7 + 8ड)		9		
देय कर	10 संदत्तकर				
	क अग्रिम कर (15क के स्तंभ 5 से)	10क			
	ख टीडीएस (15ख के स्तंभ 9 का योग)	10ख			
	ग टीसीएस (15ग के स्तंभ 7 का योग)	10ग			
	घ स्वनिर्धारण कर (15घ के स्तंभ 5 से)	10घ			
	ड कुलसंदत्तकर (10क+10ख+10ग +10घ)		10ड		
11	संदेय रकम (9 - 10ड) (यदि 9 10ड से अधिक है तो शून्य प्रविष्ट करें)		11		
12	प्रतिदाय (यदि 10ड 9 से अधिक है)		12		
बैंक खाता	13 धारा 115नड. के अधीन संदेय ब्याज सहित धारा 115नघ के अधीन आय पर संदेय शुद्ध कर ( अनुसूची 115नघ का क्रं.स. 12)		13		
	14 क्रं.स. 12(13-12) पर प्रतिदाय के समायोजन के पश्चात् धारा 115नघ के अधीन संदेय कर		14		
	15 क्रं.स. 14(12-13) के अनुसार समायोजन के पश्चात् शुद्ध प्रतिदाय (यदि कोई प्रतिदाय हो तो सीधे बैंक खाते में जमा किया जाएगा)		15		
	16 क्या आपका भारत में कोई बैंक खाता है				
	(क) पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय भारत में धारित सभी बैंक खातों के ब्यौरे (डोरमैट खाते को छोड़कर)				
क्रं सं.	यदि बैंक खाता भारत में है तो बैंक का आई.एफ.एस.सी कोड	बैंक का नाम	खाता सं	खाता का प्रकार (ई- फाईलिंग उपयोगिता द्वारा इंपाउंडन उपलब्ध कराया जायेगा)	रिफंड क्रेडिट के लिए खाता चुनें (कम से कम एक खाते पर निशान लगाएं ✓)

	i					<input type="checkbox"/>
	ii					<input type="checkbox"/>
	टिप्पणः 1) निष्क्रिय खाते को छोड़कर, किसी भी समय रखे गए सभी बैंक खातों की सूचना दी जानी है। 2) यदि एक से अधिक खाते चुने गए हैं, तो रिटर्न की प्रक्रिया पूरी होने के बाद रिफंड किसी एक मान्य खाते में जमा कर दिया जाएगा। आवश्यकतानुसार पंक्ति जोड़ी जा सकती है।					
	(ख) अनिवासी: अपने विकल्प पर एक विदेशी बैंक खाते के ब्यौरे प्रस्तुत कर सकते हैं					
	क्रम सं.	एस.डब्ल्यू.आई.एफ.टी कोड	बैंक का नाम	देश का नाम(लोकेशन)	आई.बी.ए.एन	
	यथा अपेक्षित पंक्ति बढ़ाई जा सकती है					
17	क्या आप पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय (i) भारत के बाहर स्थित कोई आस्तियां (जिसके अंतर्गत किसी सत्ता में वित्तीय हित सम्मिलित है) को हिताधिकारी स्वामी, हिताधिकारी या अन्यथा के रूप में धारित करते हैं। (ii) भारत के बाहर स्थित किसी लेखा में हस्ताक्षर प्राधिकारी हैं; या (iii) भारत के बाहर किसी स्रोत से आय है? (निवासी के मामले में ही लागू) (यदि उत्तर हां है, तब अनुसूची च क को भरना सुनिश्चित करें)					<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं

18	अनुसूची-आय कर									
क	अग्रिम कर और आयकर के स्वतः निर्धारण कर संदाय के ब्यौरे									
कर संदाय	क्रम.सं.	बीएसआर कोड	जमा करने की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	चालान की क्रम संख्या	रकम (रूपएमें)					
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					
	i									
	ii									
	iii									
	टिप्पण-भाग ख-टीटीआई की क्रम सं. 10क और 10घ में कुल अग्रिम कर और स्वतः निर्धारण कर प्रविष्ट करें *									
ख	स्रोत पर कर कटौती के ब्यौरे [कटौतीकर्ता(कटौतीकर्ताओं) द्वारा जारी प्ररूप (टीडीएस) प्ररूप 16 क या प्ररूप 16ख/16ग/16घ/ 16ड के अनुसार]									
क्र.सं.	स्वयं/अन्य व्यक्ति से संबंधित टीडीएस प्रत्यय नियम 37खक(2) के अनुसार अन्य व्यक्तिट	अन्य व्यक्ति का पैन/आधार सं.(यदि टीडीएस प्रत्यय दूसरे व्यक्ति से संबंधित है)	कटौतीकर्ता का टैन/किरायेदार/क्रेता का पैन/ आधार सं.	वह धारा जिसके अधीन टीडीएस काटा जाता है	अग्रेषित किया गया अदावाकृत टीडीएस (बी/एफ)	चालू वित्त वर्ष का टीडीएस(वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान काटा गया टीडीएस	इस वर्ष जमा टीडीएस का दावा (केवल तभी जब समान आय इसी वर्ष कर से लिए प्रस्तावित, लागू नहीं, यदि टीडीएस धारा 194 एन के अधीन काटा गया।  प्रस्तावित समान रसीद/ आहरण	तदनुरूपी रसीद/ आहरण प्रस्तुत की गई	अग्रेषित किया जा रहा टीडीएस प्रत्यय	

(1)	(2)	(3)	(4)	(4क)	वित्तीय वर्ष जिसमें कटौती की गई	टीडीएस बी/एफ	अपने हाथों में की गई कटौती	नियम 37खक(2) (यदि लागू हो)	अपने हाथों में किया गया दावा	नियम 37 खक(2) के अनुसार किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा दावा किया गया (यदि लागू हो)	सकल रकम	आय का शीर्ष	(13)
(1)	(2)	(3)	(4)	(4क)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
								आय टीडीएस		आय टीडीएस	पैन/आधार सं.		
i													
टिप्पण▶कृपया भाग ख टीटीआई के स्तभ-9 में 10ख के योग को प्रविष्ट करें													

ग	स्त्रोत पर कर के संग्रहण का ब्यौरा [संग्रहणकर्ता द्वारा जारी किए गए प्ररूप27घ के अनुसार]											
आय के स्त्रोत पर संग्रहणकर्ता	क्र. सं.	स्वयं/अन्य व्यक्ति सं संबंधित जमा टी.सी.एस नियम 37-आई (1) के अनुसार अन्य व्यक्तित	संग्रहणकर्ता का कर कटौती और कर संग्रहण अकाउंट नंबर	अन्य व्यक्ति का पैन( यदि टी.सी.एस जमा अन्य व्यक्ति से संबंधित	अग्रणीत अदावाकृत टी.सी.एस	चालू वित्त वर्ष का टी.सी.एस (वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान संग्रहित टीसीएस)	इस वर्ष में दावा किया गया जमा टी.सी.एस		टी.सी.एस जमा आगे लाया गया			
	(1)	(2)(i)	(2)(ii)	(3)	(4)	(5)	(6i)	(6ii)	(7)(i)	(7)(ii)	(8)	
i										टीसीएस	पैन	
ii												
टिप्पण ▶कृपया भाग ख-टीटीआई के 10ग में स्तंभ (7i) का योग भरें												

### सत्यापन

में.....पुत्र/पुत्री.....यह घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार विवरणी और इसकी अनुसूचियों में दी गई जानकारी आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार सही और पूर्ण है।

में यह और घोषणा करता हूँ/ करती हूँ कि मैं.....(ड्रॉप-डाउन दिया जाए)की हैसियत से यह विवरणी दे रहा/रही हूँ और इस विवरण को देने और इसका सत्यापन करने के लिए भी सक्षम हूँ। मैं स्थायी लेखा संख्यांक.....धारण कर रहा हूँ (यदि आबंटित हो) (कृपया अनुदेश देखें)।

में यह और घोषणा करता हूँ कि करार में विनिर्दिष्ट आलोचनात्मक धारणाओं का समाधान कर दिया है और करार की सभी निबंधनों और शर्तों का अनुपालन कर दिया है (उस दशा में, जहां धारा 92गघ के अधीन विवरणी दाखिल किया जाना लागू हों)

तारीख..... स्थान .....यहां हस्ताक्षर करें।